खण्ड-11 सत्र-11 / अंक 84

शुक्रवार 7 सितम्बर, 2012 / भाद्रपद 16, 1934 (शक)

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्यमेव ज्यते

चतुर्थ विधान सभा
(ग्यारहवाँ सत्र)

अधिकृत वितरण
(खण्ड-11 में अंक 81 से 84 तक सम्मिलित है)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग
Editorial Board

पी.एन. मिश्रा
सचिव

P.N. MISHRA
Secretary

लाल मणी
उप-सचिव (सम्पादन)

LAL MANI
Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-11 शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2012/भाद्रपद 16, 1934 (शक) अंक 84

क्र.सं. विषय

1. सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

2. तारांकित प्रनों के मौखिक उत्तर
(प्र.सं. 66, 69, 73 और 79)

3. तारांकित प्रनों के लिखित उत्तर
(प्र.सं. 61 से 65, 67, 68, 70 से 72, 74 से 78 एवं 80)

4. अतारांकित प्रनों के लिखित उत्तर
(प्र.सं. 217 से 279)

5. नियम-280 के अन्तर्गत विोष उल्लेख

7. नियम 107 के अन्तर्गत प्रस्ताव
(दिल्ली पुलिस विधेयक, 2012 के संबंध में)

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-11 दिल्ली विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का चौथा दिन अंक 84

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराहन् 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

1. श्री ए. दयानन्द चंदीला ए.
2. श्री अनिल भारद्वाज
3. श्री अनिल कुमार
4. श्री अरविन्दर सिंह
5. श्री आसिफ मो. खान
6. श्री बलराम तंवर
7. श्रीमती बरखा सिंह
8. डॉ. बिजेन्द्र सिंह
9. श्री देवेन्द्र यादव
10. श्री हरिंकर गुप्ता
11. श्री हसन अहमद
12. श्री जय किन
13. श्री जसवंत सिंह राणा
14. श्री मालाराम गंगवाल
15. श्री मंगत राम
16. चौ. मतीन अहमद
17. श्री मुकेशर्मा
18. श्री नदं किोर

19. डॉ. नरेन्द्र नाथ
20. श्री नसीब सिंह
21. श्री नीरज बैसोया
22. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
23. चौ. प्रेम सिंह
24. श्री राजे जैन
25. श्री राजो लिलोठिया
26. श्री राम सिंह नेताजी
27. श्री ोएब इकबाल
28. श्री सुभाष चौपड़ा
29. श्री सुमो
30. श्री सुरेन्द्र कुमार
31. चौ. सुरेन्द्र कुमार
32. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
33. श्री वीर सिंह धिंगान

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-11 शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2012/भाद्रपद 16, 1934 (शक) अंक 84

सदन अपराह्न 2.07 बजे समवेत हुआ

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री करण सिंह तंवर : चौ. सुरेंन्द्र कुमार (अनुपस्थित), श्री जसवंत राणा।

श्री जसवंत सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, प्रन संख्या 69 प्रस्तुत है :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के गॉव बख्तावरपुर में स्थित उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय का भवन एस्बेस्ट्स ाीट के कमरों में चल रहा है;

ख) यदि हां, तो क्या इस विद्यालय का नया भवन बनवाने की कोई योजना है,

ग) यदि हां, तो इस विद्यालय का नया भवन कब तब बनवा दिया जाएगा, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है,

घ) क्या यह भी सत्य है कि इस विद्यालय के रख-रखाव का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के पास है, और

ड) यदि नहीं, तो क्षेत्र के बाकी स्कूलों के भवनों के रख-रखाव का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के पास है तो इस विद्यालय का क्यों नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रन संख्या 69 का उत्तर प्रस्तुत है :

क) जी हां।

ख व ग) 24 एस.पी.एस. कमरे पी.डब्लू.डी. द्वारा बनवाने के लिए शिक्षा विभाग ने 2,03,01,973 रूपये स्वीकत कर दिये हैं।

घ) जी हां।

ड) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : राणा जी।

श्री जसवंत राणा : मंत्री जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि नरेला विधान सभा में हो सकता है कि सारी दिल्ली की विधान सभा में भी हो, ये स्कूल की बिल्डिंग में पूरा पैसा लगाया जाता है लेकिन छत उसकी लाल सिल्ली की दी जाती है। मेरा आपसे सुझाव है कि यह छत लाल सिल्ली की बजाय लैंटर की दी जाये तो उसकी मियाद भी लंबी होगी, हिफाजत भी ज्यादा होगी। लाल सिल्ली तो हमारे देहात में पुओं के लिए जो कमरे बनाए जाते थे उसमें लगाये जाते थे। मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि यह लाल सिल्लियों की बजाय लैंटर की छत दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, यह एसपीएस स्ट्रक्चर का जब फैसला किया गया। इसमें और जो औपचारिकताएं हैं, जैसे नक्शे पास कराने की एमसीडी से, उसको अवाइड

करने के लिए किया गया अगर उसका अर्थ यह नहीं है वहां पर स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है और स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है और उसमें बहुत ही मुकिल था आपको पता है राइट टू एजूकेान के तहत जल्दी-जल्दी स्कूल बनाने की आवयकता है। इसलिए इस तरह की नीति को अपनाया गया।

श्री जसवंत राणा : अध्यक्ष जी, एक प्रन और है, मेरी मंत्री जी से यह गुजारि है कि लाल की बजाय सफेद सिल्ली लगाया जाये, यह तो हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शिक्षा मंत्री : ठीक है अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य के अनुसार सफेद सिल्ली लगा दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल चौधरी जी।

श्री अनिल चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय जसवंत जी ने जो बात उठाई है यह सत्य है कि मेरे यहां भी तीन चार विद्यालयों का निर्माण कार्य हुआ है और दो दो मंजिल इमारत बनी हैं। मैं समझता हूं कि जो राणा साहब ने बात कही है उस पर मंत्री जी गौर फरमाये क्योंकि आप जितना खर्च करते हैं, यदि उसको लैंटर में बदल दिया जाये क्योंकि मानसून के दौरान मेरे यहां दो स्कूलों में ाकायत आई है, एक ईस्ट विनोद नगर की बिल्डिंग का निर्माण कार्य हुआ, जिसके इनआगरेान के लिए मैने समय मांगा है तो मंत्री जी कपया इस पर ध्यान दें जो पानी चूता है उससे निजात मिलेगी और जो यह लैंटर का काम होगा। वैसे भी आपकी बिल्डिंग की मियाद और बढ जायेगी। तो मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे यहां पर भी तीन चार विद्यालयों का निर्माण कार्य हुआ है जिसमें ाकायतें हैं कि पानी छत से टपका है, इस मानसून के दौरान, तो यह कब तक उद्घाटन के लिए तैयार होंगे। ईस्ट विनोद नगर, कल्याणवास और वेस्ट विनोद नगर, यह तीन विद्यालय। धन्यवाद।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, कुछ स्कूलों से ऐसी ाकायतें आई हैं और नोटिस भी इयू किये जा रहे हैं कि जिन्होंने बनाया है और जिनका निर्माण उन्होंने किया है क्योंकि उसमें कमी पेाी हुई है तो उन्हीं को पूरी करनी होगी। मैंने कुछ एमएलए साहब को कहा भी है मैं दौरा करूँगी और आपके इन स्कूलों को इस हालत में नहीं रहने दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र कुमार।

श्री सुरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि डीएसआईआईडीसी द्वारा दिल्ली में जो स्कूलों की बिल्डिंग बनाई है। अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ भी 6-7 स्कूलों की बिल्डिंग बनी हैं अभी तक उन स्कूलों का उद्घाटन भी नहीं हुआ है और सारी की सारी छत उसकी इतनी बुरी तरह टपकती है ओर पीछे मैंने और डिप्टी डायरेक्टर जी ने वहाँ पर दौरा किया था तो स्कूलों में आप यकीन करना, पैंट ऊपर करके टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे डैक्स के ऊपर बैठे थे। एक बिल्डिंग नहीं है ऐसी-ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जिनमें इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है पानी भरा है अभी तक उनका उद्घाटन भी नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जो-जो बिल्डिंग खराब बनी हैं उनके खिलाफ क्या आपने कोई कार्रवाई की है? आपकी नॉलिज में ऐसी कितनी बिल्डिंगें हैं जो ऐसे टपकती हैं और उनमें करेंट तक भी यह हमें जाकर के वहाँ लाइन कटवानी पड़ी, पूरे स्कूल में करंट था और जहाँ बल्ब और पंख लगे हुये थे उनके ऊपर से ऐसे पानी टपक रहा था जैसे किसी बाल्टी से ऊपर से पानी आ रहा हो, यह हालत स्कूल की है और हमने जब एजुकेान डायरेक्टर को बता दिया था, इनके यहाँ डीएसआईआईडीसी को भी बता दिया था कि जितनी बिल्डिंगे हमारी बनी हैं किसी का उद्घाटन नहीं हुआ और यह हालत है तो माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने इसमें क्या कार्रवाई की है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, आदरणीय सुरेन्द्र कुमार जी ने मेरे से यह बात कही थी और मैंने उस पर तुरंत एक मीटिंग बुला भी ली है और ऐसे जितने स्कूल हैं, जिनके भवन का निर्माण हो गया है और अभी निर्माण हुआ है तो उन सब को नोटिसेस जारी करने के लिए कह दिया गया है और नोटिसेस ही सिर्फ जारी करने से बच्चों को फायदा नहीं होगा, उनकी जल्दी से जल्दी रिपेयर होनी है और मैंने आपको वचन दिया था कि मैं सेान खत्म होने के पचात् इनके यहाँ दौरा करूंगी और हमारे अनिल जी भी जो कह रहे हैं खुद जाकर दौरा करके ऑफिसर्स को साथ लेकर जाऊंगी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : गंगवाल साहब।

श्री मालाराम गंगवाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि रघुवीर नगर के अंदर सीनियर सैकेंडरी स्कूल एक बनना है, और एक जो सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर सेमी पक्का स्ट्रक्चर बन रहा है उस कार्य को कब तक हम पूरा कर लेंगे, रघुवीर नगर का सेकेंडरी स्कूल।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, आदरणीय एमएलए साहब का अपना एक स्पेसिफिक क्वेचन है मैं आपको इसके बारे में आज रात को या कल सुबह पूरी सूचना दे दूंगी कि यह जल्द से जल्द मुझे मालूम है अंडर प्रोसेस है और कब तक यह खत्म होगा यह तो हम पर है उसको धक्का मारका उसकी रफ्तार बढ़ानी होगी।

अध्यक्ष महोदय : तरविंदर मारवाह जी।

श्री तरविंदर मारवाह : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ क्योंकि यह स्कूल जो पीडब्लयूडी और डीएसआईडीसी रिपेयरिंग का काम करते हैं और उसके बाद बनाने का भी ठेका उनको होता है। अध्यक्ष महोदय के आदेा से कार्यवाही से निकाले गए।

मुख्यमंत्री : I have a Point of Order, Sir. Sir, is this Question Hour or is this Comments Hour? आप क्वेचन्स पूछियेगा, लेकिन अपनी टिप्पणी, मैं समझती हूँ, सर, यह ऐसी टिप्पणी का वक्त नहीं है, क्या क्वेचन्स पूछने का वक्त हैं यह आप बोल दीजिएगा। लेकिन राय या टिप्पणी करना, मैं समझती हूँ, क्वेचन अवर में उचित नहीं है।

श्री तरविंदर मारवाह : अध्यक्ष महोदय के आदेा से कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : आप क्वेचन पूछ लीजिये।

श्री तरविंदर मारवाह : अध्यक्ष महोदय के आदेा से कार्यवाही से निकाले गए।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, तरविंदर जी ने जो बात कही है, यह जाहिर है और मैंने कहा भी है ..... (व्यवधान)

श्री राजेश लिलौठिया : अध्यक्ष जी, मेरा प्वांइट ऑफ ऑर्डर है। सर, जसवंत सिंह राणा जी का प्रन था नरेला से रिलेटिड था। जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि अगर उसी विधान सभा से रिलेटिड कोई सवाल था या सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर कमेंट करना मैं बडें अदब से कहना चाहता हूँ कि हमारा सम्मानित सदन है और यहाँ पर जो मंत्री हैं उन लोगों को अपना कार्य किस तरीके से करना है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर कोई सुझाव देने की आवयकता नहीं है और सुझाव भी एक मर्यादा के तहत दिया जाये तो उचित लगता है लेकिन इस तरीके का कि वहाँ पर जाकर, उसके जाने से कुछ नहीं होगा, एक तो भाषा का एक अच्छा प्रयोग करें ताकि हम एक एग्जाम्पल सैट कर सके लोगों के लिए।

अध्यक्ष महोदय : क्वेचन पूछिये।

श्री राजेश लिलौठिया : सर, मेरा तो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर था, मुझे इसी चीज़ के लिए करना था, मेरा कोई सवाल नहीं है। थैंक यू।

श्री तरविंदर मारवाह : अध्यक्ष महोदय के आदेा से कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : मारवाह जी, आप बैठिये।

श्री तरविंदर मारवाह : अध्यक्ष महोदय के आदेा से कार्यवाही से निकाले गए।

श्री राजेश लिलौठिया : सर, आप ऐसे कैस अलाउ कर रहे हैं।

श्री तरविंदर मारवाह : अध्यक्ष महोदय के आदेा से कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मारवाह जी, बैठ जाइये। देखिय, सदन की नेता यदि कोई बात कहती है तो हमें उसको सर्वथा मानना चाहिये। टिप्पणी की बात उन्होंने की है, वो बिल्कुल ठीक है। हमारे सदस्य ..... (व्यवधान)

श्री तरविंदर मारवाह : अध्यक्ष महोदय के आदेा से कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। देखिये, यह कोई विवाद का विषय नहीं है। खाली आप ही नहीं विपक्ष के सदस्य भी जब होते हैं तो क्वेचर अवर से आगे जाकर के सुझाव देने लगते हैं। मिनिस्टर को सुझाव देने की जरूरत नहीं होती है। वो खुद जवाब तैयार करके आपको बताते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह से सर्वथा सहमत हूँ कि टिप्पणी कोई भी नहीं आनी चाहिये और ऐसे समय में हमें एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हुए विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए इसलिए मैं जो टिप्पणी की गई है उसको एक्सपंज करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आगे से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र पाल जी।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अध्यक्ष जी, प्रन संख्या 73 प्रस्तुत है -

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय (उत्तरी) गुलाबी बाग में विधायक कार्यालय द्वारा भेजे गए फार्मों को जमा करवाने की रसीद/पावती/रिसिविंग नहीं दी जाती है;

ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा पेंन आवेदन फार्मों पर लिखा है कि आवेदक का दिल्ली में स्थायी रहने का पाँच वर्ष का प्रमाण होना चाहिए;

ग) यदि हाँ, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी (उत्तरी जिला) गुलाबी बाग के द्वारा आवेदकों का दिल्ली में रहने के स्थायी प्रमाण पत्र की जगह विोष तौर पर विधान सभा क्षेत्र तिमारपुर के क्षेत्राधिकार में रहने का प्रमाण ही क्यों मांगा जाता है; और

घ) विभाग द्वारा यह नियम कब तक ठीक करवा दिए जाएँगे?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, प्रन संख्या 73 का उत्तर प्रस्तुत है -

क) जिला कार्यालय (उत्तरी) गुलाबी बाग में विधायक कार्यालय द्वारा भेजे गए फार्मों को जमा करवाने की रसीद/पावती/रिसिविंग फार्मों को चैक करने के बाद दी जाती है। जिन फार्मों में कोई कमी होती है तो उसकी सूचना सहित सुधार हेतु फार्म को वापिस कर दिया जाता है।

ख) जी हाँ।

ग) जिला समाज कल्याण अधिकारी (उत्तरी जिला) गुलाबी बाग के द्वारा आवेदक का दिल्ली में रहने के स्थायी प्रमाण पत्र ही माँगा जाता है।

घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्रपाल सिंह।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पांच साल का प्रमाण चाहिए होता है वह दिल्ली में रहने का होना चाहिए या उसी विधान सभा में रहने का होना चाहिए। दूसरा, कई बार जो फार्म जमा होते हैं उनको रिजैक्ट करने की पाचर अधिकारी के पास फोटो देखकर है वह फोटो में 60 साल की नहीं लग रही इस आधार पर क्या फार्म को रिजैक्ट किया जा सकता है, ऐसे कई छोटे छोटे सवाल है जिससे फार्म रिजैक्ट होते है, क्या उनके पास ऐसे अधिकार हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का बताना चाहती हूं कि कई बार कई महिलाएं अपनी ाादी के समय की फोटो लगा देती हैं और उन्होने एप्लाई 60 साल के लिए किया होता है तो इस प्रकार अधिकारियों को भी कंफ्यूजन हो जाता है। आपको मालूम है कि जब हम किसी फार्म को रिजैक्ट करते हैं तो सभी विधायकों को उसके रीजन बताते हैं और अगर एज का प्रूफ फोटो से नहीं मिल रहा है या कुछ और है तो हमने आंगवाड़ियों के द्वारा भी सर्वे बंद करा दिया है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डाउट होता है तो आकपेा बता देते हैं सभी विधायक कोई न कोई प्रमाण देकर उसको ठीक करा देते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी है वह दिल्ली की आवयकता है। आपका प्रन आने के बाद मैंने पूछा था कई बार यह जरूर पूछते हैं कि आप उस जगह कितने दिनों से रह रहे हो, अध्यक्ष जी, क्योंकि कुछ केसिज ऐसे निकले हैं जो तीन साल करोल बाग में रहे हैं दो साल आपके इलाके में रहे हैं वहां से भी पेंान ड्रा करने लग जाते हैं, यहां से भी पेंान ड्रा करने लग जाते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत जरूर पूछ

लेते हैं और दिल्ली का ही प्रूफ लेते हैं साल भर से रह रहे हैं तो किसी न किसी इंका के आधार पर पूछा होगा और कभी भी इस आधार पर कोई फार्म रिजैक्ट नहीं हुआ जहां दिल्ली का प्रूफ पांच साल का है। अगर आपके पास कोई ऐसा केस है तो आप बता सकते हैं क्योंकि मालूम है कि रिजैक्शन के रीजन दिए जा रहे हैं और एक एक केस sort out हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वीर सिंह धिंगान जी, मैं माफी चाहता हूँ पहले प्रन के समय में आपको नहीं बुलवा सका, थोड़ा विवाद होने की वजह से ओझल हो गया था, आप अब बोल सकते हैं।

श्री वीर सिंह धिंगान : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो फार्म चेक करके वापस लौटाने या सही फार्म जमा करके रसीद वापस करने की काई समय सीमा तय है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगी कि बिल्कुल है। माननीय विधायक जी को मालूम है कि हमने स्वयं अपने ऊपर 45 दिन की एक इम्पोजिान किया हुआ है कि हम 45 दिन में हर केस डिस्पोज ऑ करेंगे। आपके यहां भी भेजे जाते हैं, रिजैक्शन के जो भी कारण हैं, वे बता दिए जाते हैं जोकि विधायक जी देख लें कि छोटी मोटी कोई कमी है, कई बार फोटो अटैस्ट करनी रह गई, कई बार साइन नहीं मिलते, छोटी मोटी जो बातें होती हैं हमारे पास उसके आंकड़े भी हैं कि वह हम ाार्ट आउट करके उसमें से 80 परसेंट केसिज को तो रिसोल्व हो जाते हैं। आपकी विधान सभा क्षेत्र का मेरे पास विवरण है आपके जो रिजैक्टिड हैं उनके सभी कारण आपको दे दिए गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें रिजेक्शन के कारण नहीं हैं। रिजेक्टिड के बाद अगर एमएलए साहब उस अमुक व्यक्ति को एक दो महीने कांट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं और हमारे पास वह फार्म

वापस नहीं आते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हम अपनी तरफ से 45 दिन से अधिक समय कहीं भी नहीं ले रहे यह मैं आन रिकार्ड कह रही हूँ।

अध्यक्ष महोदय : डा. बिजेन्द्र सिंह जी।

डा. बिजेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कुछ किडनी फेल्योर केसिज होते हैं या कैंसर के होते हैं, जैसे कल हमारे साथी ार्मा कह रहे थे Bone Marrow के होते हैं या Liver Cirhosis के होते हैं जिनके survival की possibility ना के बराबर होती है तो उनके आश्रितों के लिए भी क्या किसी प्रकार की पेंन का प्रोविजन है, यदि नहीं, तो क्या करने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही उपयुक्त प्रन उठाया है और इसको हम लोग सीरियसली सोच रहे हैं कि जिन महिलाओं के प्रति bed-ribben हो गये हैं और सरकारी अस्पतालों के रिकार्ड हैं तो हमको इसमें जरूर सम्मिलित करना चाहिए। क्योकि अगर पति की डैथ हो गई है या वैसे छोड़कर चला गया है तो उसी तरह की परिस्थिति में वह महिला भी आ जाती है और साथ साथ खर्चा उसको पति के लिए भी खर्चना पड़ता है। वे ऐसी परिस्थिति में नहीं होते कि वे उसकी देखभाल कर सकें। अध्यक्ष जी, इस स्थिति में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हदय हमेाा संवेदनाील रहता है मुझे पूरा विवास है कि निराश्रित महिलाओं में इस कैटेगरी को हम डाल देंगे। अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से एक बात बोलना चाह रही हूँ कि हम आप को अक्टूबर के महीन में यह बुकलैट भी देंगे जो केस बैंकों से वापस आते हैं, उसके लिए हमने दो मीटिंग आर.बी.आई. और तमाम प्रमुख बैंकों के मैनेजरों से की हैं उसमें एक एकाउंट नं., आजकल जैसे सब्जी मण्डी में एक पंजाब नेानल बैंक है उसमें एकाउंट नं. जहां पांच अंकों का होता था वह 16-16 अंकों का कर दिया। क्योंकि तमात

हिन्दुस्तान के पंजाब नेानल बैंकों का एक नेटवर्क बना दिया कि कहीं भी डिपोजिट करो और कहीं से भी ड्रा करो। तो कई बार जो प्रार्थी है उसको एकाउंट नं. के चेंज होने का पता नहीं लगता इसलिए कई बार बैंक से भी वापस आते हैं या एमसीआर का कोड गलत लिख देते हैं या उनका सिंगल व्यक्ति का एकाउंट होना चाहिए वह ज्वाइंट एकाउंट होता है। इसलिए हम विधायकों को आज से बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र के केस बैंकों से वापस आए हैं वह आप किसी तरह उनमें चेंज कर लें क्योंकि हर विधायक के कुछ कुछ केस बैंकों से वापस आ रहे हैं। बैंकों ने हमको assure किया है कि वे हमें inform करेंगे और हम आपको accordingly inform इनफार्म करेंगे कि उसमें फिर कैसे चेंज किया जाये। एकाउंट नं. और कोड नं. जो बैंक का एड्रस होता है और ज्वाइंट नहीं सिंगल एकाउंट हो।

अध्यक्ष महोदय : श्री मालाराम गंगवाल जी।

श्री मालाराम गंगवाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे फार्म स्वीकार ही क्यों किए जाते हैं जिनके अन्दर कमी होती है। जिस वक्त आपके जिला कार्यालय के अन्दर कमी होती है। जिस वक्त आपके जिला कार्यालय के अन्दर जाकर जो भी व्यक्ति फार्म जमा कराता है जो भी जरूरतमंद आदमी फार्म जमा कराता है उसी वक्त उसकी त्रुटि को सामने निकाल कर रखना चाहिए। जैसे कि आपकी फोटो नहीं मिल रही है, आपका एकाउंट नं. नहीं है, दिल्ली में रहने का 5 साल का प्रमाण नहीं है और जिस प्रकार बिजेन्द्र सिंह जी ने कहा कि कुछ ऐसी बीमारियां है जिनका इलाज करने के लिए हम मदद करना चाहते हैं पहले टी.बी. वालों को यह सुविधा दी जाती थी, किसी कारणवा सरकार ने उसे विदड्रा कर दिया है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो टी.बी. के पैंट है क्योंकि जेजे कालोनी और कलस्टर में रहने वाले जिनकी खानपान की सुविधा नहीं होती हैं उन लोगों को अक्सर टीबी हो जाया करती है। कई लोग इस बीमारी से मर भी जाते हैं। लेकिन उनकी विधवाओं को तो यह

फैसिलिटी है, टीबी के पैंट को नहीं है इसलिए मेरा आपसे और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध है कि जो टीबी के पैंट हैं वे उसके अन्दर जोड़ लिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की दोनों बातें सोचने लायक हैं, जो पहली बात है, कई बार हमारे विधायक भी मजबूर होते हैं और वे हमें 100-100 केसिज भी भेजते हैं यदि उसी समय हम विण्डो पर यह सब चैक करने लग जाएं तो उनके द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति भी परेान होगा। हम जल्द से जल्द उनको रिजैक्ंस के रीजन बताते हैं। जो त्रुटि एकदम सामने नजर आती हैं वह कई बार विण्डो पर ही बता दी जाती है तो दोनों तरह की प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है। हमारी यह भी कोाि है जैसे हमारी स्टाफ स्ट्रैंथ सुदढ हो जाएगी तो हम हर विधायक से 10-15 दिन में कोई दिन पूछ लेंगे जिस दिन हमारे अधिकारी वहीं जाकर पेंन अप्रूव कर लेंगे, फोटो आदि ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हम इसके ऊपर आगे चलना चाह रहे हैं और हमें थोड़ा स्टाफ की आवयकता हो रही है। जो माननीय सदस्य ने टीबी मरीज के बारे में बात कही मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने कहा कोई और पीड़ित या बीमारी से ग्रस्त हो और सरकारी अस्पताल का उसके पास रिकार्ड हो तो उसको उस श्रेणी में डालना वाजिब लगता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री करण सिंह जी।

श्री कंवर करण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूॅ कि जिसके पति छोड़कर चले जाते हैं, उसमें नियम यह है कि 7 साल तक मतलब पुरानी एफ.आई.आर. होनी चाहिए। अब जिनका पति छोड़कर चला गया, वह 7 साल इन्तजार करे पूरे होने का, यह आपके ऑफिस ने मुझे जानकारी दी है। .... एक

मिनट मैं बात पूरी कर लूं। और साथ ही जो मुस्लिम महिलाएं है, जिनके पति छोड़कर चले गये हैं। उनके लिए भी जो नियम हैं, उसमें भी यही दिक्कत आती है कि वे मौलवी से लिखवाकर लायें और 7 साल इन्तजार करें। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई तब्दीली करके या नियम बदलकर क्योंकि 7 साल वह इन्तजार करे, पति चला भी गया और ये ज्यादा जे.जे. कलस्टर्स में प्राब्लम्स आ रही है कि वह छोड़कर दूसरी के साथ रह रहा है सामने ही ..... तो इसमें मंत्री महोदया कुछ बतायें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये अनोखा केस माननीय सदस्य ने बताया है। आप मुझे .....

श्री कंवर करण सिंह : सर ये मेरे यहां पचासों केस हैं और मैं कह रहा हूॅ मैं आपके समाज कल्याण कार्यालय में आज बात करके आया हूँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी से . ... ाकायत के तौर पर नहीं ..... क्योंकि मेरी आज ही बात हुई है तो 50 केस हैं मेरे यहां ऐसे कि उस में एफआईआर 7 साल पुरानी होनी चाहिए। यह आपके कार्यालय ने मुझे जवाब दिया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिसने भी ऐसे कहा है, उनको निर्देा दे दिये जायेंगे। सभी एमएलए साहिबान जानते हैं। ये बात आपके पास लिखित में है कि हम तो बहुत सरल हो गये है। चौहान साहब, कोई सीमा नहीं है समय की। मैं आपको और हाउस को पहले ही बता दूँ कि और आप सब के केसेज वैसे ही प्रोसेस भी हो रहे हैं। आप जानते हैं छोड़कर चला गया है .... हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि 7 साल हो गये हैं और किसी महिला आयोग में, राष्ट्रीय महिला आयोग में, महिला पंचायत में पुलिस में कहीं भी कोई एक रिपोर्ट दर्ज की हो तो हम उसको मान लेते हैं कि ..... इसमें सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करने को मान रहे हैं हम। क्योंकि हम मानते हैं कि रिपोर्ट दर्ज होने में और निपटारा होने के दसियों साल लग जायेंगे। तो ऐसा हम नहीं करते। मगर

आपका जो केस है, उसको जरूर देख लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री नसीब सिंह जी।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से ये जानना चाहता हूँ कि रेजीडेन्स प्रूफ के नाम पर राान कार्ड या पहचान पत्र किसी एक को माना जायेगा या दोनों को माना जायेगा, एक। दूसरा जो डाकघर में पेंान चल रही थी, उनको ट्रांसफर किया गया है बैंक में। उसमें कितने दिन लगते हैं ट्रांसफर ... फार्म जमा कराने के बाद। और एड्रेस प्रूफ का राान कार्ड या पहचान पत्र में से एक चाहिए या दोनों की जरूरत है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह किसी समय दो होता था। दोनों उसको हमने या बना दिया है बहुत मुद्दत से अथवा कर दिया हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बात कर रहे है जो दूसरी बात कही कि जो पोस्ट ऑफिस से बैंक में जाने की बात है, उसके लिए हमने जिंगल्स में भी कहा है कि अब पोस्ट ऑफिस बंद हो गया है। तो अब जितने भी कोई केसेज रह गये हैं, आप हमें कहें तो हम आपके यहां सहूलियत दे देंगे कि कहीं पर बैंक में कैसे खाता खोलना हैं। खाता खोलने में सभी बैंकों को निर्दो भी दिए हैं। कोई बैंक को तुरंत ही वहां जाकर खाता खोला जा रहा है। कहीं कोई मुकिल हो रही है तो नसीब सिंह जी हम बिल्कुल हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वह आपसे सम्पर्क कर लेगा फैसिलिटी को लेकर।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो पहले डाकघर में उनकी पेंान आ रही थी, लेकिन उन्होंने एक फार्म फिलअप किया कि उसे ट्रांसफर बैंक में कर दिया जाये। इसमें जो समय लग रहा है, वह समय ज्यादा लग रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इसमें समय ज्यादा नहीं लगना चाहिए।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि बैंक खाते की सूचना देने पर उसे तिमाही में पैसे दे दिये जायेंगे। ये बैंकों ने हमें आवस्त किया है। क्योंकि उन्हें प्रोसेस करने में जो भी टाइम लग रहा है, उसमें बहुत से लोगों का आपको मालूम है कि जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री साहिबा ने कहा कि कोई बैंक्स का रिस्पांस ज्यादा अच्छा होता है। किसी किसी बैंक्स का रिस्पांस इतना अच्छा नहीं होता है तो कहीं भी कोई मुकिल है कि अमुक बैंक से. .. तो आप हमें बताइये। हम उसके मैनेजर से कहकर जल्दी से जल्दी ये करवा देंगे।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं। ये खाता खुल गया है। उसका खाता खुल गया है। उसने पुराना डाकघर का कागज और नया बैंक का कागज दोनों आपके विभाग में जमा कर दिए हैं। लेकिन उसमें समय इतना लग रहा है कि वे बेचारे .... 9 महीने हो गये हैं। तो पहले तीन महीने की नहीं मिली और जब उसने चेंज किया तो फिर आगे तीन महीने की नहीं मिली।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमारी क्योंकि बैंक के ट्रांजेक्न की सारी बात है। इसमें हमारी जो लिमिट हैं, वह तीन महीने है ट्रांसफर करने की और तीन महीने के पचात् मैं पूरे हाउस को बताना चाहूंगी कि किसी का भी कोई केस ज्यादा समय लगा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके यहां 9 महीने लग रहे है तो आप प्लीज बताइये। वो हमारे नियम का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री नीरज बसोया।

श्री नीरज बसोया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि तीन महीने से ज्यादा का समय जो भी आपकी जानकारी के बीच में लाया जायेगा, उसके बीच में नियम का उल्लंघन है। मैंने आपके ऑफिस में भी बताया है, कन्सर्न्ड ऑफिसर को

भी बताया है, सभी को बताया है। हमारे यहां 9 महीने से कुछ केसेज को पैसे नहीं मिले हैं और 5 महीने से ऊपर जो उनके डाक्यूमेन्टस थे, वह जमा हम करा चुके हैं। उनकी लिस्ट अभी तक नहीं पहुँची है। मेरी आपसे ये गुजारि है कि उसे आप जल्दी एक्सपीडाइट करवा दीजिए। इसका इयू ये है कि कुछ लोग जैसे कोई 80 साल का है कोई 85 साल का है, उसको आप कहते है कि हमारे ऑफिस में आकर फार्म सबमिट कराओ। कुछ लोग बहुत बीमार होते हैं। लेकिन आपका ऑफिस पहले था जल विहार में। अब जल विहार से आपने भेज दिया कर्जन रोड़। अब लाजपत नगर, अमर कालोनी से अगर आप कर्जन रोड जायेंगे तो 8 से 9 किलोमीटर पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप उस ऑफिस को वापिस जल विहार ले आइये क्योंकि आपके पास वहां जगह भी है और ऑफीसर भी। सब लोग आपके वहां मौजूद हैं। मेरी यही गुजारि है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो रिक्वेस्ट की है कि वापस जल विहार ले आया जाये। उसको हम पूरा करेंगे, वाजिब बात है। बाकी कोई भी अपना फार्म, जैसे आपके ऑफिस हेल्प करे या उनके विहाफ पर कोई दे आये विन्डों में। तो ऐसे 85 इयर ओल्ड की सिक्योरिटी जरूर की जायेगी। ये मैं आदेा भी दे दूंगी कि किसी 80-85 साल के व्यक्ति पर ऐसी पाबन्दी नहीं लगायी जाये। नहीं तो आपको पता है कि आपके कार्यकर्ता और सभी के कार्यकर्ता भी तो फार्म ले जाकर सबमिट कर रहे हैं। जिनको स्वीकार किया जा रहा है।

श्री नीरज बसोया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को एलाउड कर देते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं करते हैं। खैर पहले से तो बहुत ज्यादा सुधार है, इसमें बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत ज्यादा कैम्प लगवाये हैं, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमैन्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ जगह इलेक्शन इयर आने वाला है, कुछ जगह बहुत ज्यादा प्राबल्म है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे हम सब के कोई न कोई फार्म ले जाकर कार्य कर रहे हैं। वह सब फार्म ले जाकर, मुझे नहीं मालूम किसने जबरदस्ती कहा होगा कि वो स्वयं आये। लेकिन अगर ऐसा कहीं हुआ है तो आपके डिपुटी डायरेक्टर, आपके साथ मीटिंग भी हुई हैं। घर भी आकर सब बात चीत कर लेते हैं। तो ऐसी कोई खास बात हो आप जरूर बताइये।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुमेा ौकीन। आज आपका जन्मदिन है।

श्री सुमेश शौकीन : अध्यक्ष महोदय, पहले तो बधाई है। समाज कल्याण विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी सिर्फ दो सबमिान हैं कि जो हमारी ग्रामीण पष्ठभूमि के जो बुजुर्ग हैं, उनके पास उनके जन्म प्रमाण पत्र का कोई रिर्कार्ड नहीं होता, तो एक नोटिफिकेान समाज कल्याण विभाग से आया है कि कोई हड्डी के डाक्टर से अगर लिखवाकर दे दे तो उनकी एज कम होती है, वह हड्डी का डॉक्टर बहुत इजली एवेलेवल भी नहीं है हमार इधर और मिलता भी नहीं है। तो यह तो इसमें प्राइवेट डॉक्टरा भी आप एलाउ कर दें तो वह भी अच्छा रहेगा। आपने एक बार पहले कहा था कि अगर कोई सेल्फ अगर एफिडेविट देता है कि मेरी उम्र इतनी है तो उसे आप मानेंगे। लेकिन आपके जो रिसीव करने वाले ऑफीसर हैं, वह उसको नहीं मानते हैं, वह उसको नहीं मानते। तो मैं चाहूंगा कि इसमें कोई आप वक्तव्य दे दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि ये हुआ क्या कि जब हमने 70 किया कि 70 साल में 1500 मिलेंगे तो बहुत से हमारे पास बुजुर्ग आने लगे कि हमारी उम्र गलत है, हम असल में 70 साल के हैं। इसलिए कुछ थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में लोगों ने बढ़ा दिया अपना करना। मगर ये भी नहीं चाहते कि जो जेनेइनली 70 साल के हैं, वो सफर

करें। तो ये जो उनके पास नहीं होगा, कोई भी एज का प्रूफ तो हम लोगों ने कहा है कि आप चाहते हैं कि वे एटेस्टेान अपनी सेल्फ सर्टिफिकेट करें। सर्टिफिकेान करें अपनी उम्र की तो इस पर जरूर सोचा जा रहा है। as of yet कुछ न कुछ एज प्रूफ जो एकदम 500 का फर्क है हर महीने का। तो इसके ऊपर जरूर सोचा जायेगा। आज आपका जन्म दिन है तो जरूर सोचेंगे सोमेा जी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रन श्री सुरेन्द्र पाल सिंह जी, आपका हो गया। आप बैठिए। श्री प्रहलाद सिंह साहनी।

श्री प्रहलाद सिंह साहनी : अध्यक्ष महोदय, प्रन संख्या–79 प्रस्तुत है।

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि विधवा महिलाओं, विंकलागों एवं वद्ध पेंान आदि सहायता में वद्धि की गई है,

ख) यदि हाँ, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं, पूर्ण विवरण दिया जाए, और

ग) बढ़ी हुई पेंान कब से मिलनी ारू होगी, किस किस तरीके से लोगों को कब तक मिल सकेगी?

अध्यक्ष महोदय : समाज कल्याण मंत्री जी।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, प्रन संख्या 79 का उत्तर प्रस्तुत है।

क) जी हाँ। वद्धावस्था पेंान योजना के अंतर्गत 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के वद्धजनों की पेंान एक हजार से बढ़ाकर 1500 रूपए प्रतिमाह कर दी गई है।

विकलांग पेंन योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2012 से पेंन एक हजार रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रति माह कर दी गई है।

विधवा पेंन योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2012 से पेंन एक हजार रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रति माह कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी मंत्री मंडलीय निर्णय संख्या 1873 दिनांक 03-03-2012 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के केवल वद्धावस्था पेंन लाभार्थियों को वर्ष 2012-13 से 500 रूपये प्रति माह अतिरिक्त प्रदान किए जायेंगे।

ख) वद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंन के वर्तमान नियमावली के मानदंडों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल वद्धावस्था पेंन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के अल्पसंख्यक लाभार्थियों द्वारा संबंधित जाति/वर्ग संबंधी प्रमाण जमा कराना आवयक है।

ग) बढ़ी हुई पेंन लागू कर दी गई है। केवल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक लाभार्थियों को बढ़ाई गई पेंन संबंधित जाति/वर्ग संबंधी प्रमाण, संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा कराने के अगले महीने से प्रदान कर दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : साहनी साहब।

श्री प्रहलाद सिंह साहनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपक माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 60 साल से ऊपर वाली महिलाएँ एस.सी. जो हैं। उनके लिए जो सर्टिफिकेट की जरूरत कही गई है। उसके लिए एस.डी.एम. कार्यालय में बहुत

दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से minorities का उस तरह से सर्टिफिकेट लिया जाता है। यदि इसी आधार पर हो जाए तो अच्छा रहेगा। कर सकते हैं। इसी तरह से जितनी मुस्लिम महिलाएँ हैं। उनमें तलाक के लिए कोर्ट्स में नहीं जाया जाता बल्कि कई जगह पर काजी लिख देते हैं या उनसे एफिडेविड लेकर किया जा सकता है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं का जब तलाक किया जाता है तो वो कोर्ट में नहीं जाती। इनके साथ साथ एक 18 साल की लड़की की जो आयु होती है। जो अनपढ़ लड़कियाँ होती है, उनकी ाादी में दिक्कत आती है। वैसे मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट में जो कमियाँ थीं वो उन सब को दूर कर चुका है और मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कोई सवाल तो पूछा ही नहीं है। आप बैठ जाइए। आपने मुबारकबाद दी है।

श्री प्रहलाद सिंह साहनी : अध्यक्ष जी, मैंने एस.सी. के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी मुबारकबाद स्वीकार हो गई है। समाज कल्याण मंत्री जी। सुरेन्द्र पाल सिंह जी।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, जिलों में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं। हम उनको जरूर बतलायेंगे क्योंकि उनका सर्टिफिकेट तो उन्हीं पर निर्भर हैं। वे उसको विलम्ब नहीं किया करें। हम नहीं चाहते क्योंकि इस सारी स्कीम को सुधारने की जो कोाि की है। उसकी वजह से विलम्ब हो। जहाँ तक तलाक की बात हैं। अध्यक्ष जी, इन्होंने यह प्रन कई बार पूछा कि उनका तलाक, तलाक, तलाक बोलने से तलाक हो जाता है। हम उसमें किस तरह से एफिडेविड, वो महिला ाायद महिला आयोग में नहीं जाना चाहें या पुलिस में भी ाकायत दर्ज न कराना चाहे। आदरणीय

सदस्य का महिलाओं के प्रति यह बड़ा दर्द है। वो कुछ तो देंगी, कुछ ऐफिडेविड दे देंगी। प्रहलाद सिंह साहनी जी सर्टिफाई कर देंगे कि यह महिला इस हालात में है तो हम उसको भी जरूर मानेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र पाल सिंह।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हम ने विधवाओं की पेंन 1500 रूपए कर दी। जो लेडिज 60 साल से ऊपर वाली पेंन लेती हैं और वो विधवा भी हैं। मगर वो इस केटगरी में नही आ रही है और उनकी पेंन एक हजार रूपए ही दी जा रही है। क्या उनको भी उसी में सम्मिलित किया जायेगा कि यदि वो विधवा है और वो 60 साल से 70 साल के बीच में आ रही है और वो जनरल केटगरी की है तो क्या उसे 1500 रूपए पेंन दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : समाज कल्याण मंत्री जी।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, अगर वो विधवा है तो वो हमारी विधवा पेंन की हकदार हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र पाल सिंह।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हम जो फार्म भरते हैं। यदि उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उस फॉर्म को विधवा कोटे से नहीं लिया जाता। यह कहा जाता है कि उसका सीनियर सिटीजन का ही फॉर्म भरना पड़ेगा तो फिर उनको विधवा कोटे में से पेंन कैसे मिल गई। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : समाज कल्याण मंत्री जी।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, हम उसके ऊपर डिपार्टमेंट में जल्दी ही अपनी राय बनाकर आपको सूचित करे देंगे और यह सच है कि अगर वो विधवा है तो वो विधवा पेंन की हकदार है और उसको लागू किया जाना चाहिए। वो जहाँ भी सर्टिफिकेट्स दे रही है। यदि आपके कोई खास केसिस हैं तो आप जरूर बताइएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेंद्र पाल सिंह।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से केसिस हैं जो विधवा हैं और जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा है जिन्होंने अभी एप्लाई किया है या वो पुरानी पेंन लेती आ रही है। यह उनके लिए कहा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष जी, ये जो कहना चाह रहे हैं कि उनकी आयु 60 साल की थी और अब उनकी आयु 60 से 70 साल की बीच की हो गई है। या तो आपको atumatically करना पड़ेगा कि because she has become as window, we increase her pension from one thousand to fifteen hundred. This you will have to work out and let the Members know about it.

अध्यक्ष महोदय : समाज कल्याण मंत्री जी।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : Process of amending the rules. Because we had to just technically amend the rules because now that यह जब से 1500 रूपये हुआ है, तब से सिर्फ यह प्रोबलम आई है। पहले सब का एक हजार रूपये था। तो इसको जरूर हमारे amendment of rules प्रोसेस में है। हम

एकदम आपको, इसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके और फिलहाल मैडम they are right कि आपके जो हमें आदेा भी दे देंगे कि जहाँ वे विधवा है और बाकी सब अपने प्रूफ ला रही है। तो उसको विधवा की केटगरी में समझा जाए। just give us a week's time. Thank you very much.

अध्यक्ष महोदय : गंगवाल साहब।

श्री माला राम गंगवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिन बहनों को चाहे वो विधवा है चाहे अनुसूचित जाति की है चाहे अनुसूचित जनजाति की हैं या ओ.बी.सी. की हैं। कम से कम जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की बहनों को सर्टिफिकेट बहुत कम मात्रा में बना होता है। आप इसका किस तरह से विलेषण करेंगे कि यह डियूल्ड कास्ट है और यह डियडूल कास्ट नहीं है। यह डियूल्ड ट्राइब भी नहीं है। उनका खुद का सर्टिफिकेट बना नहीं होता है और उनके पति का या उनके ससुर का यह सर्टिफिकेट बना होता है। क्या वह इस स्थिति में मान्य होगा।

अध्यक्ष महोदय : समाज कल्याण मंत्री जी।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, इस सर्टिफिकेट की एस.डी.एम से रिक्वायरमेंट है और आपकों मालुम है कि खाता भी उसके नाम पर होना चाहिए। यदि उनके हजबैन्ड के नाम से डियूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट है तो राजकुमार जी इस समय यहां पर नहीं हैं। वे कुछ बता रहे थे कि कुछ सौधन हुआ है। जह ाँ तक एस.सी, एस. टी. के रूल्स और फेमिली Entitlement की बात है। मैं आपको इसका जो सही उत्तर है, वो आपको दे दूंगी।

अध्यक्ष महोदय : गंगवाल साहब।

श्री माला राम गंगवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि महिलाएँ चाहे जो ओ.बी.सी. की है। चाहे अनुसूचित जाति की है, चाहे जनजाति की हैं या जनरल हैं। जनरल ने क्या बुरा किया है। उनको भी पेंन मिल जाए।

अध्यक्ष महोदय : समाज कल्याण मंत्री जी।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, ये 60 साल की पेंन की बात कर रहे हैं। जहाँ तक विधवा की पेंन का सवाल है। मैं ऑन रिकॉर्ड हमारी मुख्यमंत्री साहिबा का इसमें on record appreciation करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जब ये पहले विधवा का सिर्फ Scheduled Caste और इस तरह की केटगरीज के लिए था, minority communities के लिए था। उनका खुद का यह सुझाव आया था कि हम इसमें विधवा के मामले में भेदभाव नहीं कर सकते और सभी का 1500 रूपये किया गया है। अगर आपको याद हो कि बजट स्पीच में कुछ और था। फिर केबिनेट में ये चेन्ज हुआ। जो इस समय 60 साल की उम्र में हुआ है। उसमें अगर कुछ समय में देख लेते हैं। अब हमारे colleague राजकुमार चौहान जी आ गए हैं। यह ाडियूल्ड कास्ट का जो सर्टिफिकेट है। क्या इसमें कोई सौधन हुआ है कि अगर पति के नाम पर ाडियूल्ड कास्ट का सार्टिफिकेट है तो वो महिला को authomatically लागू हो जायेगा या एस.डी.एम. से अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।

विकास मंत्री : By birth वो ाडियूल्ड कास्ट का कैन्डीडेट होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : समाज कल्याण मंत्री जी।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, मैंने सोचा था कि यदि इसमें कोई सौधन न हुआ हो तो बात वही है। महिला को अलग से ाडियूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट लेना होगा और यह भी अगर महिला ाडियूल्ड कास्ट नहीं है तो वो ाादी से ाडियूल्ड कास्ट नहीं बन जाती।

अध्यक्ष महोदय : धींगान जी।

श्री वीर सिंह धींगान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह सत्य नहीं है कि एससी सर्टिफिकेट दिल्ली में बहुत ही मुकिल से मिलता है। जो लोग यहां पर दस बीस साल से रह रहे हैं उनको ही नहीं मिल पाता और जिनकी बहुत उम्र हो गयी है, साठ साल के हो गये हैं तो वो कैसे अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि महिलाओं का सबका बराबर कर दिया जाये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, फिलहाल यही स्थिति है और इसके ऊपर जो भी निर्णय होगा, कैबिनेट में ही कुछ होगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी सुरेंद्र जी, जब आपका प्रन पूछा गया तब आप थे नहीं अब आप अपना सवाल पूछेंगे लेकिन मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी सवाल पूछा जाये तो समय पर रहा कीजिए, बोलिए आप अपना प्रन।

चौधरी सुरेंद्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी ने समय दिया, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मेरा प्रन नम्बर 66 प्रस्तुत है :

क) समाज कल्याण विभाग द्वारा गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 में कितने विकलांगों एवं वद्धों की पेंन बनाई गई।

ख) कितनों की पेंन दी गई, और

ग) कितने पेंन केस लंबित हैं, सूची उपलब्ध कराने की कपा करें।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, प्रन संख्या 66 का उत्तर प्रस्तुत है :

क) समाज कल्याण विभाग द्वारा गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 में निम्न विकलांगों एवं वद्धों की पेंन बनाई गई -

क्र.सं.	योजना का नाम	आवेदन प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत
1.	वद्धावस्था पेंन	112	1023	89
2.	विकलांग पेंन	198	163	27

ख) उपरोक्त (क) के अनुसार।

ग) कोई केस लंबित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री नसीब सिंह जी।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी मुख्य मंत्री के आर्ाीवाद से जो एससी और माइनोरिटीज को 1500 रूपये किया गया है उसके लिए बधाई दूंगा और उसके साथ साथ यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उस उम्र में अगर सर्टिफिकेट नहीं हो तो परिवार के किसी सदस्य का सर्टिफिकेट मान्य हो सकता है और खासतौर से मुस्लिम अल्पसंख्यक को उसके नाम से पहचान भी मानी जा सकती है। यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी जो मुस्लिमस का सर्टिफिकेट है तो मैं यह बताना चाहती हूं कि कुछ माइनोरिटी कम्यूनिटी ऐसी हैं जिनके पास कोई संस्था सर्टिफिकेट नहीं देती है जैसे जैन कम्यूनिटी। मगर जो हमारी सिख कम्यूनिटी है या मुस्लिम कम्यूनिटी है वहां मस्जिद में और एक मुकर्रम मस्जिद है फतेहपुरी में, दिल्ली में सिर्फ वहीं सर्टिफिकेट देते हैं, मुस्लिमस के लिए और गुरूद्वारों में यह सर्टिफिकेट उपलब्ध हो सकता है चर्च भी देता है मगर इसके अलावा कोई कम्यूनिटी हो तो उसमें बहुत कम सदस्य हैं, पारसी इत्यादि तो जहां कोई धार्मिक संस्था सर्टिफिकेट नहीं दे रही तो सैल्फ एफिडेविट जहां

धार्मिक संस्था के सर्टिफिकेट देने का प्रयोजन है तो वहां पर उनसे सर्टिफिकेट लेकर उसके साथ सैल्फ एफिडेविट लेकर वो कंसर्न केंडिडेड हमारे आदरणीय एमएलएज के पास लेकर के जाएंगे और वा उनकी रिकमंडेान के ऊपर ही केस किया जायेगा।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं क्योंकि ये अल्पसंख्यक के बारे में हो गया पर एससीटी जो लोग हैं अगर उम्र में सर्टिफिकेट न बना पाए तो क्या उसके पति का या उसके बेटे का जिसका राानकार्ड में उसकी फैमिली का नाम है क्या कोई एफिडेविड के साथ उसको माना जा सकता है।

शिक्षा मंत्री : एससी के सर्टिफिकेट में अभी राजकुमार जी ने भी उसको स्पष्ट किया सिर्फ उस व्यक्ति विोष को उसके लाभ लेना चाहता है उसका सर्टिफिकेट ही लागू है, कानून है, ये मैंने नहीं बनाया। एसडीएम का सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा और सभी के लिए बता दें कि महिलाओं का वैसे भी आपको मालूम है कि ाादी के बाद ऑटोमैटिक वो एससी नहीं बना जाता अगर वो एससी नहीं है इसलिए उसको अपना ही चाहिए।

श्री नसीब सिंह : अगर उसको उस उम्र में न मिले तो क्या उसके पति का या उसके बेटे का जिसका राान कार्ड में उसके फैमिली का नाम है, एफिडेविट के साथ उनका मान्य माना जा सकता है।

शिक्षा मंत्री : उसको एसडीएम से लेना ही होगा।

श्री नसीब सिंह : लेना जरूरी है।

शिक्षा मंत्री जी : जी।

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री जी।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत हूं कि अगर पत्नी एससी नहीं है तो उसको नहीं मिल सकता। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो जैन्स को खासतौर पर माइनोरटी के लिए, खासतौर से मुसलमानों के मस्जिद का और गुरूद्वारे में हमारे ग्रंथी को अलाउड है। जैन्स के लिए क्या इस संबंध में हमने जैन्स को माइनोरिटी में ाामिल किया गया है कि उनको माइनोरिटी इन्स्ट्टियून खोलने की इजाजत मिल सके लेकिन जो उनके बच्चे इसका फायदा लेना चाहते हैं, उनके लिए सरकार उनको प्रमाण देने के लिए क्या नीति बना रही है क्या गुरूद्वारा साहब की तरह, मस्जिदों की तरह उनकी भी रिकोगनाइज संस्थाएं हैं, क्या उनके सर्टिफिकेट हैं। क्या वो मान्य होंगे या नहीं या सैल्फ एफिडेविट के बेस पर यदि विधायक उसको सर्टिफाई करता है तो क्या उसको मांग लिया जायेगा कि वो माइनोरिटी है। इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि जैन्स एक ऐसा धर्म है कि अगर मैं भी जैन बनना चाहता हूं कि मुझे भी कोई रोक नहीं है। इसलिए मैं यह जानकारी लेना चाहता हूं कि मुसलमान का सिख का सबका हर चीज का पैरामीटर है तो जैन्स के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि कोई नीति है या नहीं है।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, मैंने यह बात माइनोरिटी कमीान से भी कन्फर्म कर ली हैं क्यों कि माइनोरिटीज के लिए जो स्कालरिाप और अन्य तमाम योजनाएं हैं उसमें भी जैनियों का सैल्फ सर्टिफिकोन माना जायेगा। जहां पर भी संस्था का आयोजना नहीं हैं सर्टिफकेट इयू करेंगे तो सैल्फ सर्टिफिकोन और अन्य तमाम योजनाएं हैं तो उनमें भी जैनियों का सैल्फ सर्टिफिकोन ही माना जा रहा है। और जो एमएलए रिकमंड करेंगे। क्योंकि इस समय व्यवस्था का अभाव हैं और कभी व्यवस्था बनेगी तो और बात है। और यह तो आप सभी एमएलएज को ट्रस्ट करते हैं कि कई केसस रिकमंड करेंगे।

श्री मुकेश शर्मा : मैं मंत्री जी से बात से सहमत हूं। इस संबंध में विभाग से कोई सर्कूलर निकलवा दें कि एमएलए सर्टिफाई करता है कि यह बच्चा जैन है या वो निजी

तौर पर एक ापथ पत्र साइन करके डिक्लेयर कर दे कि मैं जैन हूं वैधानिक तौर पर उनको मान्यता दे दी जाये।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, ऐसे सभी को भेज दिया जायेगा। ऐसी सूचना कि जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। self-certification on the basis of an MLA would recommend, thank you, sir.

अध्यक्ष महोदय : श्री मतीन अहमद साहब।

चौ. मतीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुस्लिमस में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो यह लिख कर के दे कि हम मुसलमान है और इसके इमाम का नाम मुख्ती मुर्करम साहब है। मुसलमान को किसी रिकमंडेान, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है उसका नाम उसको रिकमंड करता है उसका नाम पैदा होते ही रखा जाता है वही उसकी रिकमंडेान है, अली, मोहम्मद, खान लिखा जाता है वो किसी अन्य धर्म के साथ नहीं लिखा जाता। या तो उसे मान लिया जाये या एमएलए की रिकमंडेान मान ली जाये।

शिक्षा मंत्री : सर, ये जो माइनोरिटी कमीान है उसके चैयरमैन से मैंने डिटेल से डिस्कान की वो मुफ्ती मुर्करम मस्जिद जो है उधर से उसको स्वीकार कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए आपके तमाम माइनोरिटी की संस्थाओं में सभी सुविधाएं लेने के लिए जैसे जाकिर हुसैन कॉलेज में अगर स्टूडेंट को बैनीफिट मिलना है तो उसी मस्जिद में उसका मान रहे हैं इसमें सामजस्य लाने के लिए सरकार के दो विभाग अलग अलग नीतियां नहीं अपना सकते। जैसा हमारे आदरणीय सदस्य ने कहा उस बात के ऊपर सोच कर लेंगे मगर ये लोग सर्टिफिकेट इयू कर रहे हैं इसके ऊपर आप भी बहुत जानकारी रखते हैं मगर मैं जो जानकारी दे रही हूं माइनोरिटी कमीान के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दे रही हूं और इस और कोई तथ्य सामने आता है तो देखेंगे।

चौ. मतीन अहमद : अध्यक्ष जी, माइनोरिटी कमीान के साथ हम से भी बात करो जी, और भी संस्थाएं हैं, उनसे कराया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हरिंकर गुप्ता जी।

श्री हरि शंकर गुप्ता : अध्यक्ष जी, जिसमें जैन को माइनोरिटी के रूप में जो अभी मंत्री जी ने बताया है मेरा अपना मानना यह है कि जैन समाज को जो माइनोरिटी माना गया है वो एजूकोन से संबंधी जो तमाम बातें हैं, उसके लिए जैन समाज को माना जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरा जो माइनोरिटी स्टेटस, जो बाकी माइनोरिटी के नाते से जो दूसरे बैनिफिट हैं, क्या जैन समाज में उसको भी दिया जायेगा, क्योंकि जैन समाज में एजूकोन की जहां तक बात है उसमें ही जैन समाज को that is a limited minority status for the minority community.

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, वैसे भी हमारा एक इकॉनोमिक मापदण्ड है, जैन कम्युनिटी हो या कोई कम्युनिटी हो उसमें जो समद्ध है वो तो आते ही नहीं है इस श्रेणी में। अगर आज लीगली जैन कम्युनिटी को जैन हो, जो हमारे माइनोरिटीज की संख्या में सम्मिलित कर लिया गया है और वहीं माइनोरिटी कमीान भी उसको अपहोल्ड कर रही है और जैनीज जो हैं अब दिल्ली में माइनोरिटीज की संख्या में आते हैं, बुद्ध। भी आतें हैं, पारसी भी आते हैं, बाकियों की संख्या बहुत कम हैं तो जैनीज जो भी है वो अगर समद्ध हैं तो इसमें नहीं आएंगे। कोई भी कम्यूनिटी जो समद्ध है वैसे ही नहीं आएगी।

श्री हरिशंकर गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरी सिर्फ एक क्लेरिफिकेान इसमें यह है कि जैसे एजुकेान के जो भी संबंधित सब्जेक्ट्स हैं उसमें जैन कम्युनिटी को आप रिलेक्सेान देते हैं लेकिन जैसे हमने पेंान की बात की है, क्या पेंान के अंदर भी 1500 रूपये जैसे महिलाओं को किया गया है माइनोरिटीज के लिए उसमें जैन कम्युनिटी की महिलाओं को भी 1500 रूपये दिया जायेगा? आप इसको चैक करा लीजिए इसमें कहीं फर्क है इस बात में।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, बताइये।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, चैक करा लेंगे। मगर माइनोरिटी कमीान जिस चीज को ऑनर कर रही है है वही सब डिटेल्स दी है और उसके पास यह लीगली इनफोर्मेान है कि वो जैन्स को माइनोरिटी को रेस्पेक्ट कर रहे हैं तमाम वो फैसिलिटीज देने के लिए। माइनोरिटी कम्युनिटी मान रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री जी हारून जी अपना वक्तव्य देंगे।

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूँगा कि माइनोरिटी कमीान कोई ऐसा इंस्टीटयून नहीं है जो मुसलमानों को एक ही आदमी नियुक्त कर दें, मैं समझता हूं उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो कोई ऐसा तरीका निकाले क्योंकि सारे लोग फतेह पुरी मस्जिद जाएंगे यह पूरी दिल्ली के मुसलमालों के लिए सम्भव नहीं है तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाये कि हर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कोई ऐसा अधिकारी हो जो इस बात को सत्यापित करे या सर्टिफाई करे कि यह माइनोरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है और माइनोरिटी कमीान की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को अपाइंट कर दें।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, क्योंकि ये बहुत ही गम्भीर विषय है इसलिए मैं सदन को और सब लोगों को आपके माध्यम से यह सूचित करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में रेवन्यू डिपार्टमेंट को निर्देा दे दिये हैं और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे है कि एमएलए की रिकमंडेान के ऊपर जैसे एसडीएम अभी इकनॉमिकली बैकवर्ड सैक्शन का, ोडयूल कास्ट का और ओबीसी का सर्टिफिकेट इ्यु करता है इसलिए हम ऐसा प्रपोजल तैयार कर रहे है कि वो माइनोरिटी को भी सर्टिफिकेट इ्यु करेगा क्योंकि बात केवल पेंन की या स्कूलों में एडमिान की नहीं है। बात उन तमाम जगहों पर माइनोरिटीज को फायदा मिलने की है जहाँ पर कोई सर्टिफाईड कॉपी

गवर्नमेंट की चाहिये होगी क्योंकि बैंक से लोन्स है, आगे इंस्टीटयून के लोन्स है तो वहाँ पर केवल यह लिखने भर से कि कोई मुस्लिम है या सिख है बात नहीं बनेगी। मतीन भाई, कोई गवर्नमेंट का डाक्युमेंट उसके पास रहेगा तो वो उन तमाम फैसीलिटीज का भी फायदा लेगा और मैं आपकी उस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि अगर पेंन और स्कूल में जाना है तो उसका नाम ही उसका सर्टिफिकेट है लेकिन अगर बैंकिंग में उसको चाहिये होगा तो उसको कोई न कोई गवर्नमेंट का डॉक्युमेंट चाहिये होगा तो इसलिए हमने ऑलरेडी इस दिाा की ओर काम करना ाुरू कर दिया है कि एसडीएम जो है वो एमएलए की रिकंमडेान पर करेगा। इसके अभी डॉक्युमेंट्स तैयार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी उसके बारे में आदेा दिया हुआ है तो वो कैबिनेट से अप्रूवल होगा तो यह समस्याओं को निचित रूप से हल करेगा और जैन कम्युनिटी जो है उसको हमारी सरकार ने दिल्ली में माइनोरिटी का दर्जा दिया हुआ है तो जैन कम्युनिटी को भी वो सारे हक मिलने का अख्तियार है जो किसी भी और अन्य माइनोरिटी कम्युनिटी को दिल्ली के अंदर है।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

61. डा. जगदीश मुखी : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) वर्ष 2011-12 में वद्धावस्था, विकंलाग तथा विधवा पेंन के लिए कुल कितने-फार्म विभाग में जमा कराये गयें, कितने फार्मों पर पेंन स्वीकत की गई, कितने आवेदकों को पेंन मिल गई है, सारा ब्योरा विधान सभा क्षेत्रानुसार दें; और

ख) क्या यह सत्य है कि अनेक पेंन के स्वीकत मामले में भी पेंन नहीं दी गई, यदि हॉ तो इसके क्या कारण है और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

समाज कल्याण मंत्री :

क) वर्ष 2011-2012 में 31.03.2012 तक कुल प्राप्त एवं स्वीकत वद्धावस्था, विकलांग तथा विधवा पेंन के आवेदनों का विधानसभा क्षेत्रानुसार ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	आवेदन प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत	प्रक्रिया में
1.	वद्धावस्था पेंन	73230	60176	11721	1333
2.	विकलांग पेंन	11205	10065	1205	25
3.	विधवा पेंन	22421	19748	2613	60

जिन आवेदनों को 'प्रक्रिया' के अन्तर्गत दर्शाया गया है, उनका निवारण अप्रैल 2012 में ही कर दिया गया है।

विधानसभा क्षेत्रानुसार ब्यौरा संग्लन है। पुस्तकालय में उपलब्ध है।

ख) जी नहीं।

62. श्री धर्मदेव सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) पालम विधान सभा क्षेत्र के सैक्टर-7 द्वारका स्थित कमाण्ड टैंक में पानी कब तक दिया जाएगा;

ख) क्या इस कमाण्ड टैंक नं. 1 से 5 विधान सभा क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति होगी; और

ग) यदि हॉ, तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री :

क) सैक्टर 7 द्वारका स्थित कमांड टैंक-1 को निर्माणाधीन 50 एम.जी.डी. द्वारका जलसंयंत्र के पूर्णत कमीान होने के पचात् पानी मिल सकेगा।
द्वारका जल संयंत्र चालू करने के लिए सच्चे पानी की सप्लाई मुनक नगर से होनी है, जिसके लिए दिल्ली सरकार व केन्द्रीय सरकार अथक प्रयास कर रहे हैं

ख) जी हॉ, कमांड टैंक नं. 1 से पॉच विधान सभा के विभिन्न क्षेत्रों को जल आपूर्ति का प्रावधान है।

ग) सैक्टर 7 द्वारका स्थित कमांड टैंक को निर्माणाधीन 50 एम.जी.डी. द्वारका जलसंयंत्र के पूर्णत कमीान होने के पचात् पानी मिल सकेगा।
द्वारका जल संयंत्र चालू करने के लिए कच्चे पानी की सप्लाई मुनक नहर से होनी है जिसके लिए दिल्ली सरकार व केन्द्रीय सरकार अथक प्रयास कर रहे हैं।

63. श्री अनिल झा : क्या ाक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) सरकारी स्कूलों में 11 वीं और 12वी कक्षा में कॉमर्स और साईंस विषय पर दाखिले के क्या मापदण्ड है;

ख) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों की 11 वीं तथा 12वीं कक्षा के कॉमर्स एवं साईंस संकायों में कितने विद्यार्थियों को प्रवेा दिया गया;

ग) उक्त विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में प्राचार्य तथा विषयानुसार कितने अध्यापक हैं, विभिन्न विद्यालयों के दूरभाष: नंबर आदि क्या हैं। क्या अध्यापकों की मही है, यदि हॉ, तो कब तक इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा; और

घ) किराड़ी के स्कूलों में पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक स्कूल में कितना खर्चा किस मद में किया गया, उसका विवरण क्या है?

शिक्षा मंत्री :-

क) ाक्षा निर्देालय, दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालय में कक्षा 11वी में प्रवेा से संबंधित सर्कुलर दिनांक 28.05.2012 की प्रतिलिपि संलग्न है। सर्कुलर दिनांक 24.09.2012 के अनुसार कॉमर्स विषय में प्रवेा/रिक्त स्थानों को भरने के लिए सीजीपीए (CGPA) 6.6 से 6 तथा सर्कुलर दिनांक 28.08.2012 के अनुसार साईंस विषय में प्रवेा/रिक्त स्थानों को भरने हेतु सीजीपीए (CGPA) 7 से 6.5 की छूट दी गई है। कक्षा 12वीं में प्रवेा से संबंधित सर्कुलर जो 05.04.2010 को जारी हुए थे, उनकी प्रतिलिपि पुस्तकालय में उपलब्ध है।

ख) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी विद्यालयें में कॉमर्स विषय में कक्षा 11वी में 238 ने प्रवेा लिया है तथा कक्षा 12वीं में 202 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

किराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 08 सरकारी विद्यालय हैं जिनमें से दो विद्यालय इसी सत्र से प्रारंभ किए गए हैं।

उक्त 08 विद्यालयों में 03 सीनियर सैकेंडरी विद्यालय हैं। इन तीनों विद्यालयों में साईंस विषय नहीं है। अत: साईंस विषय में विद्यार्थियों को सर्वोदय बाल विद्यालय के-1, मंगोलपुरी, सर्वोदय बाल विद्यालय, आर ब्लॉक मंगोल पुरी में प्रवेा दे दिया गया है। सत्र 2013-14 में राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, मुबारक पुर नं. 1 को उच्चीकत कर साईंस विषय प्रारंभ करने की योजना है।

ग) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में प्राचार्य, विषयानुसार अध्यापकों तथा दूरभाष: का ब्यौरा संलग्न है।

राजकीय कन्या सैकेंडरी स्कूल न.1 मुबारकपुर डबास व राजकीय बाल सैकेंडरी स्कूल नं. , मुबारकपुर डबास जोकि वर्ष 2012-13 में खोले गऐ है, को छोड़कर बाकि सभी विद्यालयों में प्राचार्य/उप-प्राचार्य, कार्यरत है। विषयानुसार कुछ अध्यापकों की कमी पूरा करने के लिए गैस्ट टीचर्स तथा कांटेक्ट टीचर्स को नियुक्त किया गया है जिससे काफी हद तक रिक्त पद भर लिए गए है।

घ) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत स्कूलों में पिछलें वित्तीय वर्ष में विभिन्न मदों पर किए गए खर्चे का विवरण संलग्न है। पुस्तकालय में उपलब्ध है।

64. श्री सुषाष सचदेवा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि मोती नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कीर्ति नगर में स्थिति एम.डी. पब्लिक स्कूल को अब तक सीनियर सैकेंडरी स्कूल घोषित नहीं किया गया है;

ख) इस प्रक्रिया को अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया है;

ग) इसमें देरी के लिए कौन उत्तरदायी है; और

घ) इसे कब तक सीनियर सैकेण्डरी घोषित कर दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री :-

क, ख, ग व घ) जी हॉ। विभाग द्वारा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को भूमि संबंधी कुछ ार्तों को पूरा करने के लिए कहा गया था जिसे वह पूरा करने में असमर्थ रहे व जिसके लिए उत्तरदायी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ही है, और उन्होंने स्वयं पत्र दिनांक कि recognition/upgradation के विषय को अभी लंबित रखा जाए।

65. श्री मनोज कुमार : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि मुण्डका विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मुण्डका व कराला गॉव में यू.जी.आर. के निर्माण की योजना काफी समय से लम्बित है;

ख) यदि हॉ, तो इसमें विलबं के क्या कारण है; और

ग) उक्त यू.जी.आर. का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ।

ख) निविदाएँ आमंत्रित करने वाले e-procurement system में बदलाव तथा लागत से सौधन के कारण, करावला भूमिगत जलााय एवं बूस्टर पम्पिंग स्टेान के निर्माण में देरी हो गयी है। अब इस कार्य के लिए निविदाएॅ आमंत्रित कर ली गई हैं और 07.09.2012 को खोली जायेगी।

मुंडका भूमिगत जलााय एवं बूस्टर पम्पिंग स्टेान के निर्माण की योजना एक कोर्ट केस के कारण बाधित हो गयी है। इस केस की अगली सुनवाई 05.10.2012 को होनी है।

ग) उक्त यू.जी.आर. का निर्माण वर्ष 2015 तक पूरा होने की सम्भावना है।

67. श्री प्रद्युम्न राजपूत : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि द्वारका विधानसभा की इन्द्रा पार्क, गीताजंली पार्क, ाविपुरी, जगदम्बका विहार मस्जिद एरिया, महावीर एन्कलेव, कैलाापुरी एक्सटेंन, नसीरपुर गॉव एवं नसीरपुर हरिजन बस्ती इत्यादि कालोनियों में वर्षों से पीने के पानी की गम्भीर समस्या से लोग ग्रस्त हैं;

ख) क्या यह भी सत्य है कि इन कालोनियों में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सागरपुर एवं मंगोलपुरी में दो भूमिगत जलााय/यू.जी.आर. बनाने की योजना बनवाई गई;

ग) इन दोनों यू.जी.आर./भूमिगत जलााियों के निर्माण में इतना अधिक विलम्ब क्यों हो रहा है; और

घ) इन यू.जी.आर. का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा?

मुख्यमंत्री :-

क) जी नहीं। वर्णित क्षेत्रों में जल बोर्ड द्वारा पीने का पानी पाइप लाइन एवं टैंकरों द्वारा सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है।

ख) जी नहीं।

ग व घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

68. श्री जय भगवान अग्रवाल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरों में स्थापना से अब तक कुछ अधिकारी तथा स्टाफ मेम्बरों को सस्पेंड किया गया है, यदि हॉ तो उनके नाम व पद तथा सस्पेंड करने की तिथि की जानकारी दें।

ख) उन सभी को वापस बहाल करने की तिथि क्या है;

ग) उन सभी को सस्पेड करने के क्या कारण थे;

घ) उन सभी की जॉच रिपोर्ट के विवरण क्या हैं, और

ड) उन सभी के खिलाफ क्या-क्या आरोप लगाए गए थे?

शिक्षा मंत्री :-

क से ड) जी हॉ, दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरों में स्थापना से अब तक 5 अधिकारी/स्टाफ मैम्बरों को विभिन्न मामलो/चार्जों के अंतर्गत सस्पैंड किया गया था। जिसका ब्यौरा संलग्न है।

70. श्री जयकिशन : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने दिलली में देी राब की बिक्री बंद कर सस्ती अंग्रेजी राब बेचने की घोषणा की थी;

ख) यदि हॉ, तो इसे अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया है, और

ग) इसे कब तक बंद कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री :-

क) दिल्ली सरकार धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से देी राब के स्थान पर मध्यम राब (सस्ती अंग्रेजी राब) लाना चाहती है।

देी राब की बिक्री बंद नहीं की गयी है लेकिन राब के आबंटन आने की वजह से देी राब के आबंटन की वार्षिक मात्रा में 50 प्रतिात की कटौती की गयी है।

पहले चरण में, दिल्ली आबकारी विभाग ने 550 लाख लीटर थोक राब 50 डिग्री (अंडर प्रूफ) की जगह 300 लाख लीटर थोक राब (निविदा के माध्यम से) आबंटित किया है। वर्ष 2012-13 के दौरान बाकी की आपूर्ति दिल्ली मध्यम राब (60 डिग्री प्रूफ) से होने की उम्मीद है।

ख) देी राब समाज के कमजोर वर्ग की जरूरत पूरी करती है। अब समाज के इस वर्ग के लोगों को विकल्प के तौर पर दिल्ली मध्यम राब (सस्ती अंग्रेजी राब) दिया जाएगा जो गुणवत्ता में देी राब से अच्छी है।

देी ाराब बंद करने का फैसला पहले चरण में दिल्ली मध्यम ाराब के प्रति उपभोक्ताओं के प्रतिक्रिया पर निर्भर करेंगा।

ग) आने वाले सालों में पूर्ण रूप से देी ाराब का बंद होना पहले चरण की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

71. श्री एस.पी. रातावाल : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड में कच्चे पानी की डक्ट्स जो वजीराबाद इन्टेक से चन्द्रावल वाटर वर्क्स पर आती है, को एम.एस. की वाटर लाईन में बदलने का कार्य हो चुका है।

ख) क्या यह भी सत्य है कि कुल 8 पम्पों में से 4 पम्पों की डिलिवरी 2011 तक हो जाने के बाद फरवरी, 2012 तक संस्थापित कर चालू कर दिया गया है;

ग) क्या यह भी सत्य है कि इस कार्य के समापन के बाद ोधित पानी उत्पादन की क्षमता 22 जुलाई, 2009 से पहले की तरह कर दी गइ है, और

घ) क्या यह भी सत्य है कि पत्र संख्या CMO/OSPZ/2011/954 दिनांक 21.10.2011 के अनुसार उपरोक्त कार्य होने के पचात् करोल बाग क्षेत्र में दिन में दो बार पानी की सप्लाई हो गई है?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ।

ख) जी हॉ। इस पाईप लाइन को अप्रैल 2012 में चालू कर दिया गया।

ग) जी हॉ।

घ) करोल बाग विधान सभा क्षेत्र में पानी की उपलब्धता व बढ़ती हुई मांग को देखते हुए दिन में दो बार पानी देना तकनीकी रूप से संभव नहीं हो पाया है। परन्तु सुबह के समय की पानी की आपूर्ति में सुधार कर दिया गया है।

72. श्री नरेश गौड़ : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र की कर्दमपुरी और कर्दमपुरी विस्तार में दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की लाइन डाली थी;

ख) कर्दमपुरी और कर्दमपुरी विस्तार में कितने पानी के वैध और कितने अवैा कनेक्शन हैं; और

ग) कर्दमपुरी और कर्दमपुरी विस्तार में अवैध कनैक्शनों को हटाने की दिल्ली सरकार की क्या योजना है?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ।

ख) इन क्षेत्रों में रिकार्ड के अनुसार कुल 400 वैध और 263 अवैध कनैक्शन हैं। अवैध कनैक्शनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

ग) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अवैध कनैक्शनों को वैध करवाने के लिये समय-समय पर योजनायें प्रसारित की जाती है, जिसमें जनता की सुविधा

के लिए नियमों में ढील दी जाती है। किन्तु यदि उपभोक्ता फिर भी इन कनैक्नों को वैध करवाने में असफल रहता है तो कनैक्नों को बन्द करने के अतिरिक्त इन पर दिल्ली जल बोर्ड एक्ट 1998 के तहत चालान किया जाता है एवं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान पेा कर जुर्माना लगाया जाता है।

74. श्री कुलवन्त राणा : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में समाज, कल्याण विभाग द्वारा लाइब्रेरी ओल्ड एज होम, रिक्रिएसन सेन्टर आदि चलाये जा रहे है।

ख) यदि हां तो क्या यह भी सत्य है कि रोहिणी सेक्टर 4 में समाज कल्याण विभाग वर्ष 1997-98 में डी.डी.ए. से ओल्ड एज होम के लिए भूमि प्राप्त हुई थी।

ग) यदि हां तो इस भूखण्ड पर भवन निर्माण न होने के क्या कारण है और

घ) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधान सभा में क्षेत्र के रोहिणी 1, 5, 6, 11, 16 व 17 में एक भी ओल्ड एज होम रिक्रिएसन सेन्टर व लाइब्रेरी नहीं है?

समाज कल्याण मंत्री :-

क) समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में दिल्ली में कोई लाइब्रेरी नहीं चलायी जा रही है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा 2 ओल्ड एज होम चलाये जा रहे है;

1. वद्धा आश्रम बिन्दापुर, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार

2. वद्धा आश्रम लामपुर, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार

समाज कल्याण विभाग द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं को मनोरंजन केन्द्र चलाने हेतु अनुदान राि प्रदान की जाती है।

ख) जी हां।

ग) तकनीकी कारणों के रहते अभी तक इस भूखण्ड पर भवन निर्माण नहीं पाया था, परन्तु वर्तमान में भवन निर्माण की दिा में वद्धाश्रम का conceptual plan स्वीकत किया जा चुका है।

घ) जी हां यह सत्य है।

75. **श्री श्रीकृष्ण त्यागी** : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में प्राक्षिण एवं तकनीकी िक्षा द्वारा कोई आई.टी.आई. खोलने की कोई योजना बनाई गई है;

ख) क्या बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में सरकार कोई तकनीकी संस्थान खोलने पर विचार कर रही है;

ग) क्या सरकार बुराड़ी क्षेत्र में हरित विहार के पास की खाली जमीन पर प्राक्षिण एवं तकनीकी िक्षा द्वारा कोई स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की योजना बना रही है;

घ) यदि हॉ, तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

ड) क्या बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में कोई प्राक्षिण एवं तकनीकी केन्द्र खोलने की योजना है?

मुख्यमंत्री :-

क) जी, नहीं।

ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग) इस विभाग से संबंधित नहीं है।

घ) उपरोक्त 'ग' के संदर्भ में लागू नहीं होता।

ड) जी, नहीं। बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के समीप धीरपुर, जहॉगीरपुरी एवं नरेला प्राक्षिण एवं तकनीकी क्षिण संस्थान (आई.टी.आई.) चल रहे हैं जो बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र के विद्यार्थियों की आवयकताओं को भी पूरा कर रहे हैं।

76. श्री सत्य प्रकाश राणा : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली में वर्तमान में वद्धा अवस्था, विकलांग, विधवा व अन्य मदों में कुल कितने कितने लोगों को पेंन दी जा रही है, विधान सभा अनुसार पूरा ब्यौरा क्या है, और

ख) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने पेंन लेने वाले व्यक्ति हैं, नाम व पता सहित पूरी जानकारी उपलब्ध करायें?

समाज कल्याण मंत्री :-

क) दिल्ली में वर्तमान में वद्धा अवस्था, विकलांग, विधवा पेंन पाने वाले कुल लाभार्थियों की सूचना निम्नानुसार है -

क्र.स.	योजना का नाम	कुल पेंन लाभार्थियों की संख्या
1.	वद्धावस्थापेंन	291470*
2.	विकंलाग पेंन	28249
3.	विधवा पेंन	95208

*वद्धावस्था पेंन के अंतर्गत 362922 वद्धजनों की पेंन उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है तथा बाकी लाभर्थियों के पोस्ट ऑफिस खाने होने के कारण पेंन अस्थाई रूप से रूकी हुई है। जैसे ही बैंक खातों की सूचना विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी, विभाग सम्पूर्ण राि (पिछले भुगतान सहित) उनके बैंक खातों में जमा करवा देगा।

विधानसभा क्षेत्रानुसार ब्यौरा सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

ख) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में पेंन लाभार्थी निम्नानुसार है :-

क्र.स.	योजना का नाम	कुल पेंन लाभार्थियों की संख्या
1.	वद्धावस्थापेंन	4650
2.	विकंलाग पेंन	469
3.	विधवा पेंन	1351

सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

77. श्री ओ.पी. बब्बर : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि हरियाणा सरकार ने पानी की सप्लाई में 20-30 प्रतात कटौती की थी, जिससे तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र के उन इलाकों में पानी की भारी कमी हो गई थी जिनकी आपूर्ति हैदरपुर डब्लयू.टी.पी. और नांगलोई डब्ल्यू.टी.पी. द्वारा की जाती है।

ख) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इसकी पुनरावति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

ग) क्या यह भी सत्य है कि जनता द्वारा भूजल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है; और

घ) भूजल का स्तर बढ़ाने और वर्षा जल संरक्षण हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

मुख्यमंत्री :-

क एवं ख) हरियाणा सरकार ने मई माह के अन्तिम सप्ताह में हैदरपुर डब्ल्यू.टी.पी. में कच्चे पानी की 10 प्रतात कटौती की थी और इस कटौती का प्रभाव उत्तरी दिल्ली, पचिमी दिल्ली व दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्रों में पड़ा जिनको हैदरपुर ड्ब्ल्यू.टी.पी. से पानी की आपूर्ति होती है। इस कटौती का कोई प्रभाव नांगलोई डब्ल्यू.टी.पी. की पानी की आपूर्ति पर नहीं पड़ा।

दिल्ली जल बोर्ड ने इस कटौती के विरोध में हरियाणा सरकार व केन्द्रीय जल आयोग से सम्पर्क साधा व जल की पैमाई करवाई एवम् आपूर्ति हेतु अन्य आवयक कदम उठाए जिनके कारण वर्तमान में हैदरपुर ड्ब्ल्यू.टी.पी. से पानी की आपूर्ति सामन्य हो गई है।

ग) जी हाँ।

घ) वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड आवासीय कल्याण समितियों एवं सामूहिक आवासीय समितियों आदि को वर्षा जल संचयन स्थापित करने के लिए उस कार्य के लागत व्यय का 50 प्रतिात अथवा रूपये 1,00,000 जो भी कम है, वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करता है।

78. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रा.उ.मा. बाल/बालिका विद्यालय सोनिया विहार में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

ख) क्या यह सत्य है कि विद्यालय में बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यहां अतिरिक्त विद्यालय खोले जाने की आवयकता है;

ग) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल खोलने के लिए कई स्थानों पर खाली सरकारी भूमि चिन्हित कराई गई थी; और

घ) यदि हॉ, तो आज तक यहॉ स्कूल खोलने संबंधित कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं तथा यहॉ स्कूल कब तक खोल दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री :-

क) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, सोनिया विहार में विद्यार्थियों की संख्या 3268 और राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 3862 हैं।

ख) जी हॉ, इस संबंध में दिनांक 10.07.2012 को एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें करावल नगर क्षेत्र में कुछ जमीन जोकि ग्राम सभा की है, चिन्हि्त की गई थी।

ग) विभिन्न खसरों में कुछ जमीन चिन्हि्त कराई गई थी जिसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न है।

घ) इस संबंध में शिक्षा विभाग ने निदेोक (पंचायत) दिल्ली सरकार को दिनांक 13.08.2012 को मंडोली एवं करावल नगर क्षेत्र में भूमि आबंटन के लिए पत्र लिखा था, परन्तु अभी तक चिन्हि्त भूमि का आबंटन शिक्षा निदेालय को नहीं हुआ है। प्रतिलिपि संलग्न है।

80. डॉ एस.सी.एल. गुप्ता : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि संगम विहार तथा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा तुगलकाबाद एक्सटेंान में पानी की पाइप लाईन डाली गई है, उस पर कितना खर्च हुआ था;

ख) क्या सरकार उपरोक्त एरिया में पानी की उपलब्धता करवा पाई, उपरोक्त क्षेत्र में कितने पानी की आवयकता है; और

ग) उपरोक्त कालोनी को सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कब तक जोड़ने की समय सीमा तय की गई है?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ तुगलकाबाद एक्सटेंान अनधिकत/नियमित कालोनी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पुरानी एवं क्षतिग्रस्त हुई पाइप लाइनों को रू. 58 लाख

की लागत से बदला गया है।

ख) जी हॉ, इस कालोनी में पानी की सप्लाई टयूवबैलो व टैकरों के द्वारा की जा रही है। इस कालोनी की जल आवयकता लगभग 1.5 एम जी डी है।

ग) तुगलकाबाद एक्सटेंन कालोनी, कालकाजी जलााय के कमाण्ड में आती है जिसमें पानी सोनिया विहार जल ाोधन संयत्र से आता है। चूॅकि यह कालोनी कालकाजी जलााय की जल वितरण प्रणाली के अंतिम छोर पर स्थित है, अत: यहॉ पानी नहीं पहुॅच पाता है और पानी की समस्या बनी रहती है।

इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पास के अन्य जलााायों से पानी देने हेतु विभिन्न तकनीकी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु समय सीमा का निर्धारण 20 एम जी डी ओखला जल संयंत्र के चालू होने के उपरान्त संभव हो सकेगा। इस जल ाोधन संयंत्र को कच्चे जल की आपूर्ति हरियाणा से मुनक नगर द्वारा होनी है जिसके लिए भारत सरकार व दिल्ली सरकार द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

217. श्री करण सिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा "पानी की क्षतिपूर्ति और इफेक्टिव वाटर मीटरिंग

अरेंजमेंट'' के अन्तग्रत मै0 एल.एंड टी. को वाटर मीटर बदलने को जो काम सौपा गया है, उसमें

ख) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मै0 एल. एंड टी. को इस सेवा के लिए कितना पैसा/मीटर दिया जा रहा है;

ग) दिल्ली जल बोर्ड एवं मै0 एल. एन्ड टी. के बीच एम. ओ. यू./एग्रीमेंट की कापी सदन के पटल पर रखी जाये;

घ) मै. एल. एंड टी को यह काम सौपने से सरकार की या दिल्ली जल बोर्ड की मां है;

ड) मै. एल. एंड टी. के द्वारा लगाये गए मीटर किसी सरकारी संस्था द्वारा सत्यापित किए गए है, यदि हां, तो सत्यापन प्रमाण पत्र की कापी सदन के पटल पर रखी जाये, यदि नहीं, तो इसके कारण बताएं जाएं और

च) इस कार्य की सम्मति देने के पीछे किन-किन अधिकारियों की रिकमेंडेान हैं। उनके द्वारा की गई रिकमेंडेान, अधिकारियों के नाम सहित सदन में प्रस्तुत करें?

मुख्यमंत्री :-

क एवं ख) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मैसर्स एल. एण्ड टी. को प्रति मीटर रू. 1918 का भुगतान किया जा रहा हैं, जिसमें मीटर लगाना तथा 5 साल के रखरखाव की लागत ाामिल हैं।

ग) दिल्ली जल बोर्ड एवं मैं एल. एण्ड टी. के बीच 2.5 लाख नये मीटर लगाने के एम.ओ.यू/एग्रीमेंट की कापी सलंग्नक 'अ' पर है।

घ) दिल्ली जल बोर्ड की मां है कि प्रत्येक जल कनैक्शन पर अच्छी

क्वालिटी का मीटर लगा हो ताकि उपभोक्ता यथार्थ खपत के अनुसार बिल अदा कर सके।

ड) जी हॉ, मीटरों को भारत सरकार की लैब फ्लूड कन्ट्रोल रिसर्च इन्स्ट्रीटीयूट, पलकड, केरला द्वारा जांच कराने के बाद लगाया गया हैं। रिपोर्ट की प्रति संलग्नक 'ब' पर है।

च) इस कार्य का आबंटन दिल्ली जल बोर्ड द्वारा, प्रस्ताव संख्या 2037 दिनांक 13.01.2011 द्वारा किया गया। जल बोर्ड प्रस्ताव की प्रति संग्लनक 'स' पर है।

218. श्री करण सिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली में प्रति व्यक्ति पानी की कितनी आपूर्ति होनी चाहिए तथा दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति कितना पानी मुहैया कराया जा रहहा है, जनसंख्या के नये आंकडो के अनुसार पानी की मात्रा का विवरण दें,

ख) क्या यह सत्य है दिल्ली में बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां लोग यमुना के मीठे पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं,

ग) यदि हां, तो वे कौन-कौन से क्षेत्र है तथा उनका ब्यौरा क्या है। यदि नहीं, तो दिल्ली छावनी क्षेत्र का गैर सैनिक आबादी के लगभग तीन लाख लोगों को बार-बार सरकार से अनुरोध करने पर भी पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है,

घ) क्या सरकार अब इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाकर इसका समाधान

करेगी,

ड) सरकार पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए अपने वर्तमान संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करती है कि पानी की बर्बादी न हो सके और

च) सरकार के अनुमान के अनुसार पानी की कितनी बर्बादी प्रति वर्ष होती है तथा पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार कितना धन पिछले दस वर्षों के दौरान व्यय कर चुकी है?

मुख्यमंत्री :-

क) दिल्ली में प्रति व्यक्ति जलापूर्ति 150 लीटर अनुमानित है। दिल्ली छावनी की जनसंख्या 1,16,325 है जिसके लिए 22 मि.गै.दै. पानी दिया जा रहा है।

ख,ग,घ) जी नहीं।

ड) विभिन्न स्थानों पर भूमिगत जलाायों का निर्माण करके दिल्ली जल बोर्ड जल वितरण व्यवस्था को सुदढ कर रहा है ताकि योजनाबद्ध तरीके से सबको पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

च) सरकारी अनुमान के अनुसार गैर राजस्व जल तकरीबन 40 प्रतिात है, जिसमें अधिकाां हिस्सा वह पानी है जो नागरिकों द्वारा उपयोग किया जाता है, किन्तु उससे सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होता।

219. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनाधिकत कॉलोनियों में पानी की लाइने बिछाने के लिए ऐसी कोई ार्त है जो वाटर जैस सोफ्टवेयर द्वारा स्वीक्त हो;

ख) क्या वाटर जैम सोफ्टवेयर के बिना भी पाइप लाइन अनाधिकत कॉलोनियों में बिछाई जाने की स्वीकति मिल सकती है;

ग) क्या दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अगस्त 2012 में कोई ऐसा सोफ्टवेयर वाटर जैम बनाया गया है जो कि कॉलोनियों में पानी की पाइप लाइन को बिछाने की कार्यप्रणाली हेतु उपयोगी है;

घ) क्या दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किसी सलाहकार व एजेंसी की नियुक्ति वाटर जैम सोफ्टवेयर की योजना के लिए की है; और

ड) वाटर जैम सोफ्टवेयर अगर दिल्ली जल बोर्ड के पास नहीं है और न ही किसी सलाहकार की नियुक्ति इसके लिए की है तो क्यो इस सोफ्टवेयर की ार्त लगाई गई है?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी किये गए कार्यालय स्मारक पत्र संख्या DJB/DIR/(F/A) 2012/53743 दिनांक 23/04/12 के अनुसार विभाग द्वारा अनाधिकत कॉलोनियों में पानी की पाइप लाइन बिछाने की योजना बनाने के लिए वाटर जैम सोफ्टवेयर की स्वीकति की ार्त है।

ख) जी नहीं।

ग) वाटर जैम सोफ्टवेयर कॉलोनियों में पानी की पाइप लाइन की योजना बनाने हेतु उपयोगी है।

घ एवं ड) वाटर जैम सोफ्टवेयर एवं सलाहकार दिल्ली जल बोर्ड में उपलब्ध है।

220. श्री करण सिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनाधिकत कालोनियों में पानी की पाईप लाईन बिछाने की योजना हैं जिन अनाधिकत कालोनियों में अभी तक पानी की पाईप लाईने नहीं बिछी हैं;

ख) बुराडी विधान सभा क्षेत्र में कौन से प्लांट से पानी की आपूर्ति की जाती है;

ग) बुराड़ी यू.जी.आर. के लिए इन प्लांटो की प्रतिदिन की प्रतिातता क्या निचित की गई है;

घ) वर्ष 2012-2013 में प्रतिदिन जुलाई माह तक इन प्लाटों की औसत उत्पादन क्षमता क्या है;

ड) क्या बुराडी विधान सभा क्षेत्र को प्रतिदिन जल उत्पादन क्षमता का हिस्सा कम दिया गया है; और

च) क्या कारण है कि बुराडी यू जी आर को उसकी निर्धारित मात्रा से कम पानी इन प्लांटो से दिया जा रहा हैं?

मुख्यमंत्री :-

क) जिन अनाधिकत कालोनियों मेंहरी विकास विभाग ने स्वीकति प्रदान कर दी है, उन कालोनियों में तकनीकी साध्यता तथा पानी की उपलब्धता के अनुसार पानी की पाईप लाईनें बिछाने की योजना हैं।

ख) बुराडी विधान सभा क्षेत्र में बजीराबाद प्लांट से पानी की आपूर्ति की जाती है।

ग) बुराडी के दोनों जलायों से प्रतिदिन पानी की उपलब्धता के अनुसार लगभग 6 एस जी डी पानी की मात्रा का विवरण किया जाता है।

घ) जुलाई माह में प्रति दिन वजीराबाद प्लांट की उत्पादन क्षमता 123 एम जी डी है।

ड एवं च) जी नहीं।

221. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिखित रूप में दिए गए आवासन के बावजूद भी कौाकि एन्कलेव रजि. न. 725, कौाकि एन्कलेव रजि. नं. 287, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी रजि. नं. 122 एवं नत्थू कॉलोनी रजि. नं. 688 में पाईप नहीं बिछाई है;?

ख) उपरोक्त कॉलोनियों में कब तक दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पाईप लाईन बिछा दी जाएगी; और

ग) उपरोक्त कॉलोनियों में पाईप बिछाने में हो रही देरी के क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ। किन्तु इन कॉलोनियों में पानी की लाईने बिछाने के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता के आधार पर एक संगंठित/एकीकत योजना बनाई जा रही है।

ख एवं ग) तकनीकी उपयुक्तता तथा पानी की पूर्ण उपलब्धता नहीं होने के कारणों से समय सीमा तय नहीं की जा सकती।

222. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या सरकार द्वारा कोई ऐसी सतर्कता कमेटी का गठन किया हुआ है जोकि विधान सभा क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई हेतु बनाई गई हो;

ख) सतर्कता कमेटी में अध्यक्ष कौन है तथा इस कमेटी के अध्यक्ष को क्या-क्या प्राधिकार दिए गए है;

ग) क्या अध्यक्ष, सतर्कता कमेटी को दिल्ली जल बोर्ड के किसी कर्मचारी जो कि अनाचार से लिप्त हो, का निलंबन करने की सिफारि करने का अधिकार है, और

घ) क्या अध्यक्ष, सतर्कता कमेटी दिल्ली जल बोर्ड के किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच की सिफारि करने व उस पर रिपोर्ट लेने का अधिकार है?

मुख्यमंत्री :-

क) ऐसी किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

ख, ग, घ एवं ड) :- उपरोक्त (क) के संदर्भ में लागू नहीं है।

223. श्री करण सिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) मार्च 2012 महीने में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अपने व किराये पर लिये गये कितने टैंकर पानी की आपूर्ति कर रहे थे, विधान सभा अनुसार ब्यौरा दें;

ख) मई-जून महीनें में विधान सभा अनुसार कितने टैंकर बढ़ाये गये, इसका पूरा ब्यौरा क्या है;

ग) बिजवासन विधानसभा में कुल कितने टैंकर बढ़ाये गये है, यदि नहीं तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में टैंकर न बढ़ाये जाने का क्या जाने का क्या कारण है, जबकि मैं पिछले अनेक महीनों में इस विषय में अनेको बार पत्र लिख चुका हूँ और मेरे क्षेत्र में पानी की गंभीर स्थिति बनी हुई है;

घ) महिपालपुर यू.जी.आर. का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा;

ड) कमांड टैंक-6 द्वारका के निर्माण के लिए क्या जल बोर्ड द्वारा अनुमति दे दी गई है और इस पर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा; और

च) बिजवासन व रजोकरी यू.जी.आर. का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री :-

क एवं ख) दक्षिण-पचिम व दक्षिण सर्किल के अर्न्तगत लगाये तथा बढ़ाए गये टैंकरों को विधानसभा अनुसार ब्यौरा संग्लन तालिका-ए में दिया गया है।

ग) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में मार्च 2012 माह में ही 6 टैंकर बढ़ा दिये गये थे और पुन: एक टैंकर मई व एक टैंकर जुलाई 2012 माह में बढ़ाया गया।

घ) महिपालपुर गॉव व इनके आस-पास के क्षेत्रों को पानी आपूर्ति करने के लिए महिपालपुर में भूमिगत जलााय, पम्पिंग स्टेन व पेरिफेरिल लाईनें डालने की योजना बनाने के लिए कन्सलटेन्ट नियुक्त किया गया हैं तथा योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसकके उपरान्त योजना प्रासनिक मंजूरी प्राप्त करके जलााय निर्माण कार्य की निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया की जायेगी। अत: योजना के निर्माण कार्य की सीमा अभी तय कर पाना संभव नहीं है।

ड) कमाण्ड टैंक-6 द्वारका को बनाने की डी.डी.ए. द्वारा प्रस्तावित योजना को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अभी स्वीकति नहीं दी गई है।

च) बिजवासन व रजोकरी यू.जी.आर. के बनाने की योजना अभी प्रक्रिया में है।

224. श्री सतप्रकाश राणा : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली जल बोर्ड के नये ट्यूबवैल लगाने के लिए डी.सी. आफिस की कमेटी के संबंध में पिछले दो वर्षों में प्रति डी.सी. आफिस में कितनी-कितनी मीटिंग हुई और कितने-कितने टयूबवैल पास हुए इसका पूरा ब्यौरा क्या है;

ख) इन मीटिंगों में पिछले दो वर्षों में विधानसभा अनुसार कितने ट्यूबवैल पास हुए और कितने लगा दिये गये, इसका पूरा ब्यौरा क्या है;

ग) क्या हैंडपम्प लगाये जाने के लिए भी डी.सी. आफिस की अनुमति की आवयकता है, और

घ) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में कुल कितने हैंडपम्प लगाये गये है, प्रति विधानसभा इसका ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री :-

क) दिल्ली जल बोर्ड की नये ट्यूबवैल लगाने के संबंध में डी.सी. आफिस के साथ पिछले दो वर्षों में 74 मीटिंग हुई। इनमें कुल 446 ट्यूबवेल पास किए गये जिनमें दिल्ली जल बोर्ड के प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड के 119 ट्यूबवेल पास किये गये हैं, सूची 'अ' में संलग्न हैं

ख) विवरण संलग्नक 'अ' में दिया गया है।

ग) जी नहीं।

घ) विवरण संलग्नक 'ब' में दिया गया है।

225. श्री सतप्रकाश राणा : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) महिपालपुर यू.जी.आर का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा,

ख) कमाण्ड टैंक-6 द्वारका के निर्माण के लिए क्या जल बोर्ड द्वारा अनुमति दे दी गई है और इसका निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा;

ग) बिजवासन व रजोकरी यू.जी.आर का निर्माण कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री :-

क) महिपालपुर गांव व इनके आस-पास के क्षेत्रों को पानी आपूर्ति करने के

लिए, महिपालपुर में भूमिगत जलााय, पम्पिंग स्टेान व पेरिफेरिल लाईनें डालने की योजना बनाने के लिए कन्सलटेन्ट नियुक्त किया गया है तथा योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है। साइट सर्वे व डाटा एकत्रित करने का कार्य पूरा कर लिया है तथा विस्तार कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके उपरान्त बोर्ड से योजना की प्राासनिक मंजूरी प्राप्त करके, जलााय निर्माण कार्य की निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया की जायेगी। योजना के निर्माण कार्य की समय सीमा मिलिटरी आथोरिटी द्वारा दिल्ली कैन्ट क्षेत्र से फीडर लाइन डालने की अनुमति मिलने के बाद तय की जा सकेगी।

ख) कमाण्ड टैंक-6 द्वारको को बनाने की डी.डी.ए द्वारा प्रस्तावित योजना को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अभी स्वीकति नहीं दी गई है।

ग) बिजवासन व रजोकरी यू.जी.आर के बनाने की योजना अभी प्रक्रिया में है।

226. श्री सतप्रकाश राणा : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के राज नगर पार्ट-2 को जल बोर्ड के द्वारा कब तक पानी दे दिया जाएगा।

ख) इस क्षेत्र में कुल कितनी जनसंख्या है और जल बोर्ड के द्वारा जो पानी की आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है क्या वह पर्याप्त है, और

ग) यदि नहीं तो इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जल बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री :-

क) स्वीकत योजना के तहत राज नगर पार्ट-2 की कॉलोनियों को 50 मि. गै. क्षमता वाले द्वारका जल ाोधन संयंत्र द्वारा पानी की आपूर्ति का प्रावधान है। इस जल ाोधन संयंत्र को चलाने व हरियाणा सरकार द्वारा मुनक नहर से अतिाीघ्र अतिरिक्त कच्चे पानी की व्यवस्था हेतु भारत सरकार व दिल्ली सरकार प्रयासरत हैं।

वर्तमान में आन्तिरक रूप से इस क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा राज नगर पार्ट-2 में पानी की सप्लाई ट्यूब वैलों तथा टैंकरों द्वारा की जा रही है।

ख एवं ग) राजनगर पार्ट-2 की कुल जनसंख्या 1,362,769 है तथा पानी की आपूर्ति का ब्यौरा उपरोक्त (क) के अनुसार है।

227. श्री अनिल झा : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधान सभा में यूजीआर कब तक चालू कर दिया जायेगा और कब तक किराड़ी विधान सभा की कालोनियों को पानी की सप्लाई की जायेगी।

ख) किराड़ी विधान सभा को कुल कितना पानी एलाट किया है, क्या यूजीआर के सभी भागों का कार्य पूरा हो चुका है, जैस इ एण्ड एम, सिविल, इलैक्ट्रिकल आदि, आदि नहीं, तो यह कब तक पूरा कर लिया जायेगा और कितने हिस्से में पेरीफेरियल लाईन डाली जा चुकी है;

ग) किराड़ी यूजीआर बनाने में कुल कितनी लागत आई है व कितनी आबादी को ध्यान में रखते हुए इस यूजीआर का निर्माण किया गया है; और

घ) किराड़ी विधानसभा में सीवर लाईन कब से डालनी प्रारम्भ की जायेगी?

मुख्यमंत्री :-

क) किराड़ी विधान सभा में यू.जी.आर. के मार्च 2013 तक चालू होने की संभावना है और इसके साथ ही किराड़ी विधानसभा की कालोनियों को पानी की सप्लाई की जायेगी।

ख) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में निर्मित जलााय की क्षमता 15.90 मिलियन लीटर है तथा उपलब्धता के अनुसार पानी की आपूर्ति की जायेगी। यू. जी.आर. के सभी भागो का काम लगभग पूरा हो चुका है और पेरिफेरल लाइन का कार्य भी पूरा हो चुका है।

किराडी यू.जी.आर. में पानी की सप्लाई के लिए हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पम्प तथा मोटर्स लगाने के लिए कार्य को आंबटित कर दिया गया है जिसके मार्च 2013 तक पूरा होने की संभावना है।

ग) किराड़ी यू.जी.आर. बनाने की कुल लागत रू. 2204 लाख है और लगभग 3.46 लाख आबादी को ध्यान में रखते हुए इस यू.जी.आर. का निर्माण किया गया है।

घ) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिल्ली के सीवर रहित क्षेत्र के लिए सलाहकार के माध्यम से सीवर मास्टर प्लान 2031 बनाया जा रहा है। किराडी विधानसभा क्षेत्र की योजना स्वीकति के बाद तकनीकी/व्यवहारिक सम्भावनानुसार कार्य ुरू किया जाएगा। अभी समय अवधि देना संभव नहीं है।

228. श्री सतप्रकाश राणा : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी

कि :-

क) क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधान सभा में जिन कालोनियों में पाईप लाईन नहीं डाली गई है उनमें कब तक पाईप लाईन डाली जायेगी;

ख) किराड़ी विधान सभा में कुल कितने प्वाईट लगे हुए हैं; जिन्हें टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जाता है;

ग) कितने सरकारी टैंकर किराड़ी विधान सभा में लगे हुए हैं तथा एक दिन में कितने चक्कर काटते हैं; उनका विवरण क्या है; और

घ) कितने प्राईवेट टैंकर लगे हुए हैं, उनके मालिकों के नाम, फोन नं. व रजिस्ट्रेन नम्बर क्या-क्या हैं?

मुख्यमंत्री :-

क) किराड़ी विधान सभा की जिन कालोनियों में अभी पानी की लाईन नहीं डाली गई है उनमें से, जो कालोनियॉ ाहरी विकास विभाग द्वारा पास कर दी गई हैं, मैं अगले दो वर्षों में पानी की लाईने चरणबद्ध तरीके से डाल देने की योजना है।

ख) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टैंकरों द्वारा पानी के वितरण हेतु लगभग 1400 फिक्सड प्वाईंट बनाये गये हैं।

ग) किराडी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पानी के वितरण हेतु 08 सरकारी टैंकर लगे हुए हैं जो कि प्रतिदिन 30 से 35 चक्कर लगाते हैं। टैंकरों का विवरण संलग्नक 'क' के अनुसार है। जो पुस्तकालय में उपलब्ध है।

घ) किराडी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पानी के वितरण हेतु 43 प्राईवेट टैंकर लगे हुए है उनके मालिकों के नाम, फोन. न. का विवरण संलग्नक 'ख' के अनुसार है। जो पुस्तकालय में उपलब्ध है।

229. श्री अनिल झा : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में पानी का टैंकर किस-किस यूजीआर से भरा जाता है, किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में टैंकरों के माध्यम से पानी भरने हेतु कितना पानी आबंटित किया गया;

ख) क्या यह सत्य है कि कराला टंकी पर लगे पाईपों पर अनाधिकत टैंपिंग की गई है, यदि हाँ, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

ग) क्या यह सत्य है कि कराला टंकी से मंगोल पुरी, सुल्तान पुरी को फीडर लाईनों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की गई है, जब वहां पहले से ही पानी की आपूर्ति थी तो मंगोल पुरी विधान सभा को कराला के फीडर लाईन से पानी क्यों दिया गया;

घ) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में मुबारक पुर यूजीआर और निठारी यूजीआर को पानी किस फीडर लाईन से दिया जाएगा; और

ड) क्या यह सत्य है कि यह यूजीआर अभी बंद पडे हैं, यदि हॉ, तो मुबारक पुर यूजीआर में पहले पानी किस फीडर लाईन से आता था तथा किराडी विधान सभा क्षेत्र को वर्तमान समय में कितना पानी दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री :-

क) किराडी विधानसभा क्षेत्र के लिए पानी के टैंकर कराला यूजीआर से भरे जाते है। जरूरत एवं पानी की उपलब्धता के अनुसार टैंकरों को

मुबारकपुर एवं सैक्टर-7 रोहिणी से भी पानी मुहैया कराया जाता है। टैंकरों के लिए कोई आबंटन अलग से नहीं किया जाता है।

ख एवं ग) जी नहीं।

घ) मुबारकपुर यू.जी.आर. को पानी कराला ओवर हैड टैंक से निकलने वाली 600 मि.मी. व्यास की लाईन से तथा निठारी यू.जी.आर. को पानी की आपूर्ति 900 मि.मी. व्यास की पानी की लाईन जोकि 1500 मि.मी. की राइजिंग मेन से निकली है से, की जाती है।

ड) यह सत्य है कि गत तीन महीनों में पानी की कमी के कारण मुबारकपुर व निठारी यू.जी.आर. को पानी उपलब्धता में कमी आ रही थी परन्तु पिछले एक माह से आपूर्ति लगभग सामान्य है तथा मुबारकपुर व निठारी यू.जी.आर. को दिये जाने वाले पानी के स्रोत का विवरण प्रन घ के उत्तर में दिया जा चुका है। किराडी विधानसभा क्षेत्र को दिये जाने वाले पानी की मात्रा हैदरपुर जल संयंत्र में जल की कुल उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

230. डॉ. जगदीश मुखी : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पौसंगीपुर में निर्माणाधीन एस. पी.एस. पर कितना खर्च आयेगा,

ख) इसके निर्माण कार्य में अत्याधिक देरी के क्या कारण हैं,

ग) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा,

घ) संयंत्र लगाने के पचात कब तक क्षेत्रवासियों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?

मुख्यमंत्री :-

क) दस वर्ष तक रख रखाव की लागत सहित पौसंगीपुर में बन रहे एस.पी. एस की कुल लागत रूपये 16,10,99,287 है।

ख) कार्य समय में प्रारम्भ कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली मेट्रो द्वारा कालिन्दीकुंज-जनकपुरी मेट्रो आरेखण को अन्तिम रूप देने में देरी के कारण कार्य प्रगति में अड़चन आई। सीमित कार्य स्थल, गहरी खुदाई और लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क काटने की अनुमति न प्राप्त हो पाने के कारण भी विलम्ब हुआ अत: कुल मिलाकर कार्य की प्रगति धीमी है।

ग) कार्य के मार्च 2013 में पूरा होने की संभावना है, यदि राइजिंग मेन बिछाने के लिए सड़क काटने की अनुमति लोक निर्माण विभाग द्वारा जल्द दे दी जाये।

घ) क्षेत्र के निवासी सीवेज पाम्पिंग स्टेान के कमीान होने के बाद लाभान्वित होगे, जो कि (सीवेज पम्पिंग स्टेान के निर्माण, राइजिंग मेन बिछाने और 1400 एम.एस. व्यास की ट्रंक सीवर को जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेन्टर से कोोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक बिछाने के पचात) मई 2013 तक पूर्ण होगा।

231. डॉ. जगदीश मुखी : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) चाणक्य पैलेस पार्ट-2 जो कि जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक अनाधिकत कालोनी है, में सीवर डालने का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री :-

क) चाणक्य पॉलेस पार्ट-2 में सीवर डालने का विस्तत अनुमान कंसलटेंट मैसर्स ए.ई.कोम द्वारा तैयार कर दिया गया है। तकनीकी और प्रासनिक स्वीकति की प्रक्रिया चल रही है। प्रासनिक और वित्तीय स्वीकति के पचात अगले वित्तीय वर्ष में निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।

कार्य प्रारंभ होने की समय सीमा निर्धारित करना अभी संभव नहीं है।

232. डॉ. जगदीश मुखी : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) जनकपुरी में निर्माणाधीन यूजीआर का कार्य किस दिन प्रारम्भ हुआ था;

ख) गत 6 वर्षों में इस कार्य को पूरा न करने के क्या कारण हैं,

ग) यह कार्य अब कब तक पूरा कर दिया जायेगा,

घ) इस यू.जी.आर. के निर्माण पर कुल कितनी लागत आयेगी, और

ड) इस यू.जी.आर को पानी की आपूर्ति कहां से और कितनी की जाएगी?

मुख्यमंत्री :-

क) जनकपुरी में निर्माणाधीन यू.जी.आर का कार्य 7.10.2007 को प्रारम्भ हुआ था तथा लगभग 96.0 प्रतिात कार्य पूरा हो चुका है।

ख) जनकपुरी यू.जी.आर. से संबंधित पेरिफेरल पानी की लाइन डालने के कार्य को एम.सी.डी. से अनुमति न मिलने के कारण इस योजना में देरी हुई है। अब यह सड़क पी.डब्लू.डी. को स्थानान्तरित हो गयी है। पी.

डब्लू.डी. से अनुमति लेने के लिए रूपये 4.74 करोड़ जमा करा दिए गये है। इस कार्य को बरसात के बाद अनुमति मिलने पर प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

ग) निर्माणाधीन यू.जी.आर व पेरिफेरल लाइन का कार्य 2013 के अंत तक पूरा कर दिया जायेगा।

घ) यू.जी.आर - रू. 1090 / लाख

पेरिफेरल लाइन - रू. 850 / लाख

आर.आर. चार्ज - रू. 541 / लाख

कुल लागत - रू . 2481 / लाख

ड) इस यू.जी.आर. को पानी कि आपूर्ति, बवाना WTP चालू होने के पचात् हैदरपुर WTP-II से निकलने वाली 1500 mm dia वेस्ट दिल्ली लाइन से की जायेगी। यू.जी.आर में सप्लाई किये जाने वाले पानी कि मात्रा उस समयज उपलब्धता अनुसार सुनिचित की जायेगी।

233. श्री साहब सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार दिल्ली जल बोर्ड के विभिन्न निकायों व कार्यों को निजी हाथों में सौपने की योजना बना रही हैं,

ख) यदि हॉ, तो उसका विस्तत ब्यौरा क्या है,

ग) क्या यह सत्य नहीं है, कि जल बोर्ड के पानी के बिल अनापानाप आ रहे हैं। इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है,

घ) क्या यह भी सत्य है कि जल बोर्ड के द्वारा पहले से लगे हुए मीटरों को बदला जा रहा है;

ड) यदि हॉ, तो उसकी नीति ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री :-

क) जी नहीं।

ख) उपरोक्तानुसार प्रन नहीं उठता।

ग) जी नहीं। पानी के बिल मासिक आधार पर पानी की खपत एव दरों के अनुसार ही भेजे जा रहे है। कुछ बिल गलत गणना के कारण या पूर्व भुगतान के नहीं र्दान के कारण अधिक राशि दाति हैं किन्तु उपभोक्ताओं द्वारा संज्ञान में लाने पर बोर्ड उन्हें ठीक कर रहा है। साथ ही बोर्ड अपने बिल सिस्टम को बदला रहा है ताकि त्रुटिरहित बिल जारी किये जा सकें।

घ) जी हॉ।

ड) दिल्ली जल बोर्ड समस्त कनैक्शनों को मीटर के अनुसार बिल बनाने के लिये प्रयासरत है। बोर्ड की नीति इस प्रकार है :-

1. जहाँ मीटर नहीं लगे हैं वहॉ प्रतिभूमि प्रभार लेकर मीटर बदला जायेगा।

2. जहाँ बोर्ड का मीटर खराब है, वहॉ उसे बिना किसी शुल्क के लगाया जायेगा।

3. जहाँ प्राईवेट मीटर खराब है, वहॉ प्रतिभूमि राशि लेकर बोर्ड का मीटर लगाया जायेगा।

4. जहॉ निजी मीटर काम कर रहा है, वहॉ नि:शुल्क मीटर लगाया जायेगा तथा निजी मीटर बोर्ड ले लेगा।

234. श्री साहब सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि यमुना में प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने कुछ योजनाएं बनायी थी जिससे गंदे नाले व सीवर का गन्दा पानी सीधे यमुना में न जाए;

ख) यदि हॉ, तो इस योजना का विस्तत ब्यौरा क्या है तथा पिछले 10 वर्षों में सीवरेज को इन्टरसेप्ट करके सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाने संबंधी योजनाओं पर क्या खर्चा हुआ है तथा उसका विस्तत ब्यौरा क्या है, और

ग) यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले 10 साल में और क्या-क्या कार्य किया है तथा उन पर क्या-क्या खर्चा हुआ है और उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ।

ख) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए बनाई गई योजनाओं पर पिछले दस वर्षों के किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित है।

क्र.सं.	खर्चों का मद	अनुमानित लागत
1.	मल सोधन संयन्त्र	873.52 करोड
2.	इन्टरसेप्टर सीवन	56.86 करोड
3.	ट्रंस सीवरों का पुर्न-उत्थान	256.81 करोड
4.	YAP-I के अन्तर्गत योजनाएं	11.20 करोड
5.	YAP-II के अन्तर्गत योजनाएं	471.48 करोड

ग) पिछले दस वर्षों में अवजल ोधन संयन्त्रों, ट्रंक सीवर पुर्नोद्धार एवं इंटरसैप्टर सीवर योजनाओं पर वर्षानुसार खर्चे का ब्यौरा निम्नलिखित है। (लाख रू. में)

वर्ष	अवजल शोध संयन्त्रों	ट्रंक सीवर पुर्नोद्धार	इंटरसैप्टर सीवर
2002-03	3313.61		
2003-04	3656.01		
2004-05	5678.85		
2005-06	6126.48		
2006-07	12702.65		
2007-08	12511.65		
2008-09	4854.70		
2009-10	14629.02	6866.16	
2010-11	10910.92	13157.92	1351.90
2011-12	12,967.94	5657.21	4334.54
कुल	87351.83	25681.29	5686.44

235. श्री मालाराम गंगवाल : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या पचिम पुरी पॉकेट 2 और 3 में पानी की सप्लाई के लिए यूजीआर बने हैं,

ख) क्या इन यूजीआर ने काम करना बंद कर दिया है,

ग) इन्हें पुन: कब तक चालू कर दिया जाएगा, और

घ) क्या यूजीआर में कोई गंभीर समस्या है, जल बोर्ड में इसे कब तक सुलझा लेगा?

मुख्यमंत्री : -

क, ख एवं ग) जी नहीं। इन पॉकेटों के लिए अलग से किसी जलााय की आवयकता नहीं हैं पचिम पुरी की पाकेट 2 और 3 के लिए पानी का वितरण पीरागढी जलााय से दिन में दो बार किया जाता है।

घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

236. श्री मालाराम गंगवाल : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भारी कमी है,

ख) मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में (स्वीपर, बेलदार, पीऑन आदि) की काफी कमी है, इससे सीवर की ाकायतें दूर नहीं हो पा रही है,

ग) यदि हॉ, तो जल बोर्ड द्वारा कब तक सीवर-लेबर उपलब्ध करा देगा,

घ) मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में इस समय कितने सीवर-लेबर कार्यरत हैं और कितनों की आवयकता है; और

ड) बोर्ड द्वारा काफी समय से लेवरो की भर्ती क्यों नही करा है, जबकि जनता द्वारा पानी के बिलों से सीवर चार्ज भी देती है?

मुख्यमंत्री :-

क) जी नहीं।

ख) जी नहीं।

ग) उपरोक्त 'ख' के संदर्भ में लागू नहीं है।

घ) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस समय 86 सीवर लेबर कार्यरत है, जो कि आवयकता अनुसार काफी है। इसे अतिरिक्त सीवर लाईनों की सफाई व मरम्मत का कार्य ठेकेदारों द्वारा भी कराया जाता है।

ड) भर्ती की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। वर्ष 2011 व 2012 में करूणामूलक आधार पर 814 व्यक्तियों की 'डी' श्रेणी में विभिन्न पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में भर्ती की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010 से 2011 तक 325 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ग्रुप 'डी' के विभिन्न पदों पर नियमित भर्ती किया गया है।

237. श्री प्रहलाद सिंह : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) रिसेटमेंट इलाके में जहां पर मात्र 33 मीटर या 25 मीटर के प्लाटों के पानी के बिल के साथ 60 प्रतिात सीवर का तथा सर्विस चार्ज भी

लगेगा, इस तरह से एक 25 या 30 मीटर के मकान का बिल तकरीबन 1500 रूपये से उपर हो जाता है;

ख) क्या सरकार या दिल्ली जल बोर्ड सीवर चार्ज तथा सर्विस चार्ज एक प्लाट पर चार बार लेगी और

ग) क्या यह उचित नहीं होगा कि सरकार एक प्लाट पर एक ही से सीवर चार्ज तथा सर्विस चार्ज ले या इन पर केवल पानी का ही पैसा ले ले, ताकि वहां पर रहने वाले गरीब लोगों को राहत मिल सके?

मुख्यमंत्री :-

क) जी नहीं। पानी का बिल कनैक्शन के द्वारा की गई खपत के अनुसार बनाया जाता है तथा इसका प्लाट के आकार से कोई संबंध नहीं है।

ख) जैसा कि उपर कहा गया है सीवर चार्ज व सर्विस चार्ज कनैक्शन अनुसार लिये जाते है न कि प्लाट के अनुसार।

ग) प्रत्येक कनैक्शन पर पानी की खपत व सीवर के निकास की मात्रा विभिन्न हो सकती है। अत: सीवर प्रभार व सेवा प्रभार प्रत्येक कनैक्शन पर हुए प्रतिमाह पानी की खपत के अनुसार ही लिया जाता है।

238. श्री प्रहलाद सिंह साहनी : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि रिसेटलमेंट कालोनी या अन-अथोराइज कालोनी के अन्तर्गत 25-25 या 30-30 गज के प्लाट हैं और एक ही प्लाट पर चार जल कनैक्शन हों तो एक ही प्लाट पर चार जगह सीवर चार्ज व सर्विस चार्ज लिया जाता है; और

ख) क्या उनसे फ्लेट रेट पर कोई पैसा फिक्स कर दिया जाये, जिस तरह पहले रिसेटलमेंट कालोनियों पर केवल 300 रूपये मात्र लिया जाता था, क्या ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है?

मुख्यमंत्री :-

क) सीवर परिरक्षण ुल्क व सेवा प्रभार प्रत्येक कनैक्शन के साथ लिया जाता है, उसका प्लॉट के आकार से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्लॉट पर एक कनैक्शन है तो उपरोक्त प्रभार एक बार ही लिये जायेगें।

ख) जी नहीं।

239. श्री कुलवंत राणा : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की अनाधिकत कालोनियों में दिल्ली सरकार द्वारा सीवर लाईन डालने की योजना बनाई गई है;

ख) क्या यह भी सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र की सभी अनाधिकत कालोनियों का सर्वे हो चुका है;

ग) यदि हॉ, तो इन कालोनियों में सीवर लाईन डालने का कार्य की सभी औपचारिक्ताएं पूरी कर ली गई है?

घ) यदि हॉ, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा? पूर्ण विवरण दिया जाए?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर रहित क्षेत्र के लिए सीवर मास्टर

प्लान 2031 बनाया जा रहा है।

ख) जी हॉ, रिठाला विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाईन्स डालने के लिए सर्वे का कार्य अन्तिम चरण में है।

ग) जी नहीं।

घ) विभिनन औपचारिक्ताओं के पचात् कार्य 2013 में ुरू होने की सम्भावना है।

240. चौधरी सुरेन्द्र कुमार : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली जल बोर्ड गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी कालोनियों में सीवर लाईन बिछाने की योजना है; और

ख) उन कालोनियों की सूची तथा एस्टीमेट की कापी देने की कपा करें?

मुख्यमंत्री :-

क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा गोकुल पुर विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली निम्न कालोनियों सीवर लाईन बिछाने की योजना है:- हर्ष विहार, बैंक कालोनी, मिलन गार्डन, सवोली, मंडोली, मीत नगर, अमर कालोनी, गोकुलपरु, गंगा विहार, जौहरी पुरी, जोहरीपुर एन्कलेव, टुड्रा नगर और भागीरथी विहार।

ख) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाने के निम्नलिखित कार्यों की योजना है :-

1. यमुना विहार मल ोधन संयंत्र के कैचमेंन्ट क्षेत्र (जोन-3) के अंतर्गत

मंडोली/सवोली एवं इसके आसपास के क्षेत्र में 280 मि.मी. से 800 मि. मी. व्यास की आंतरिक/परिधीय सीवर लाईन प्रदान करना एवं बिछाना।

2. यमुना विहार मल ोधन संयंत्र के कैचमैन्ट क्षेत्र (जोन-2 का सब जोन-3) के अंतर्गत गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के पार्ट में 280 मि.मी. से 500 मि.ली. व्यास की आंतरिक सीवर लाईन प्रदान करना व बिछाना।

3. यमुना विहार मल ोध संयंत्र के कैचमैन्ट क्षेत्र (जोन-2 का सब जोन-1) के अंतर्गत गोकुलपुर विधानसभा, करावल नगर विधान सभा एवं मुस्तफाबाद विधानसभा के पार्ट में 280 मि.मी. से 1450 मि.मी. व्यास की आंतरिक सीवर लाइन प्रदान करना व बिछाना।

सम्बन्धित एस्टीमेट की कापी संलग्न है।

241. श्री सुभाष सचदेवा : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली सरकार की water harvesting की क्या योजना है;

ख) किन-किन स्थानों पर यह योजना लागू की गई है? व इसको लागू करने की सरकार की क्या नीति है;

ग) क्या सरकारी या गैर सरकारी बिल्डिगों में इसको अनिवार्य करने की कोई योजना सरकार की है;

घ) कौन सी एजेन्सी के अन्तर्गत इस कार्य को लागू किया जायेगा और

ड) यदि RWA या अन्य कोई संस्था इसको लागू करना चाहे तो सरकार

किस प्रकार की कितनी राशि की वितीय सहायता इनको देने की योजना है, इसके लिये किस विभाग को सम्पर्क करना होगा?

मुख्यमंत्री :-

क) वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बनायी गई है। इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्य की लागत व्यय का 50 प्रतिशत अथवा एक लाख रूपये की राशि, इसमें जो भी कम हो, सहायता राशि के रूप में दी जाती है एवं पानी के बिल में छूट देने का प्रावधान भी है।

ख) पूरी दिल्ली में यह योजना लागू की गई है।

ग) जी हॉ, भवन निर्माण के 1983 के उप-नियमों के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन को उन सभी नये भवनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जोकि 100 वर्ग मी. या उससे ऊपर के भूखण्डों पर बने हैं।

घ) इस कार्य को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लागू किया जा रहा है।

ड) आवासीय कल्याण समिति/सामूहिक आवास समितियों, निजी/मान्यता प्राप्त/सरकारी स्कूलों, औद्योगिक भवनों, अस्पताल, धर्मार्थ संस्थाओं व गैर सरकारी संगठन के भवनों को वर्षा जल संचयन संरचना स्थापित करने के कार्य के लागत व्यय का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 1,00,000/- की राशि इसमें जो भी कम हो सहायता राशि के रूप में दी जाती है। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के अन्तर्गत ब.ज.स. सेल को सम्पर्क करना होगा।

242. श्री प्रद्युम्न राजपूत : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत महावीर एन्कलेव एफ एंड डी ब्लाक पार्ट-1 कैलाा पुरी एक्सटेंन, एवं वेस्ट सागरपुर तथा अन्य विभिन्न कॉलोनियों में दिल्ली जल बोर्ड की सीवर लाईने नहीं हैं,

ख) क्या यह सत्य है कि इन कॉलोनियों के पास दिल्ली जल बोर्ड का ट्रंक सीवर है तथा यहां केवल इन्टरनल सीवर लाईन एवं पेरिफिरियल सीवर लाईनें डालने की स्कीम बनाई गई है;

ग) क्या यह भी सत्य है कि इन कॉलोनियों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नियुक्त कन्सल्टेंसी द्वारा सर्वे कर लिया गया है तथा जल बोर्ड द्वारा भी सभी औपचारिकताएं पूरी करके फाईल उक्त कन्सल्टेंसी को भेज दी गई है;

घ) जल बोर्ड द्वारा नियुक्त कन्सल्टेंसी द्वारा द्वारका विधानसभा की सीवर लाईनों से संबंधित फाईलें क्यों नहीं क्लीयर की जा रही है, और

ड) इन कॉलोनियों में कब तक इन्टरनल एवं पेरिफिरियल सीवर लाईनें डालने का कार्य आरम्भ किया जाएगा?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ।

ख) वर्तमान में डाबड़ी, सागरपुर तथा नसीरपुर तीन ट्रंक सीवर द्वारका विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध है। M/S AECOM इस तकनीकी संभावना की

जॉच कर रहा है कि इन ट्रंक सीवरों में इन कालोनियों का सीवर मिलाया जा सकता है या नहीं।

ग) कुछ कालोनियों में सर्वे का कार्य पूरा हो गया है तथा अन्य में कार्य जारी है। कुछ कालोनियों की फाइले वापिस कन्सल्टेंट को भेजी गई है।

घ) दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ब्लाक एस्टीमेट को स्वीकति प्रदान करने के बाद महावीर इन्कलेव एफ एन्ड डी ब्लॉक, कैलाा पुरी तथा सागरपुर क्षेत्र के विस्तत एस्टीमेट को तैयार किया जा रहा है।

ड) इन कालोनियों में लगभग आठ महीनों बाद चरणबद्व तरीके से कार्य प्रारम्भ होने का अनुमान है।

243. श्री ओ.पी. बब्बर : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि जी.जी.-2, जी.जी.एच., जे.जी.-1-1, के.जी.-2 ब्लाक, विकासपुरी, ओक नगर, डबल स्टोरी, तिलक नगर, पथ्वी पार्क, कष्णा नगर, महावीर नगर और आसपास के इलाकों में इन गर्मियों में पानी की भारी किल्लत हो गई थी,

ख) यदि हॉ, तो इसे सुधारने के लिए क्या उपाय सुझाए गए,

ग) क्या ख्याला जे.जे. कालोनी की मेन सीवर लाईन के स्थानांतरण एवं ओक नगर, पुराना महावीर नगर, न्यू महावीर नगर, कष्णा पुरी और कष्णा पुरी और कष्णा पार्क इलाकों की बची हुई सीवर लाइन ााखाओं के प्रतिस्थापन का कोई प्रस्ताव है,

घ) डी-ब्लाक ख्याला जे.जे कालोनी से और जैड सी. ब्लाक की मेन लाईन तक सीवर लाईन पहुचाने एवं तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में मेन होल्स की मरम्मत और पुनर्निमाण में कितना समय लगेगा, और

ड) आर.जैड.सी. ब्लाक, रवि नगर एक्सटेंन, 5-डी विष्णु गार्डन और धर्मपुरी में सीवर लाईन के प्रावधान की क्या स्थिति है?

मुख्यमंत्री :-

क एवं ख) जी नहीं।

ग) जी हॉ। जे.जे. कॉलोनी ख्याला की पुरानी 600 एम.एम. व्यास की सीवर लाईन को बदलने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है। प्रन में वर्णित कॉलोनियों में सीवर लाइने फिलहाल सुचारू रूप से कार्य कर रही है, इसलिए इन्हें बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

घ) डी-ब्लाक ख्याला जे.जे. कालोनी से आर.जेड.सी ब्लाक की मेन लाइन तक नई सीवर लाइन डालने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सीवर मेनहोल की मरम्मत व रखरखाव नियमित प्रक्रिया है जो समय-समय पर की जाती है।

ड) दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली में उन सभी क्षेत्रों में जहॉ सीवर नहीं है, सीवर लाईन डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार M/S AECOM की नियुक्ति की है। सलाहकार को दिए गए कार्य के अनुसार इन वर्णित कालोनियों में भी सीवर लाइन डालने के लिए विस्तत सर्वे कर तकनीकी अनुमान बनाए जायेगें।

244. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि हरी विकास विभाग द्वारा दिल्ली की अनाधिकत कालोनियों को वर्ष 1998 में 1071 तथा वर्ष 2006-07 में 1639 को सूची में सम्मिलित किया गया था,

ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 1639,933 तथा 285 की सूचिबद्ध कालोनियों में पानी के पाइप लाइन डालने में मना किये जाने के क्या कारण है,

ग) यदि नहीं, तो चन्द्रपुरी/चांद बाग, सोनिया विहार, मिलन गार्डन व कमल विकार में पानी की पाइप लाइन न डाले जाने के क्या कारण हैं, और

घ) इन कालोनियों में पानी की पाइप लाइन कब तक डाल दी जाएगी?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ, यह सत्य है।

ख) जी नहीं। उन सभी अनाधिकत सूचिबद्व कालोनियों में जिनको हरी विकास विकास द्वारा स्वीकति मिल रही है, पानी की लाइनें चरणबद्व रूप से डाली जा रही है।

ग एवं घ) चन्द्रपुरी/चांद बाग, सोनिया विहार व मिलन गार्डन में हरी विकास विभाग की स्वीकति अपेक्षित है। कमल विहार (एक्स.) में सर्वे व प्राकलन का कार्य किया जा रहा है। पानी की उपलब्धतानुसार इसमें पानी की लाइने डालने का कार्य ुरू किया जाएगा।

245. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि सीमापुरी विधानसभा की पुनर्वास कॉलोनी नई सीमापुरी, नंदनगरी व सुंदर नगरी, सोनिया विहार यू.जी.आर से आखिरी छोर पर है,

ख) क्या यह भी सत्य कि सीमापुरी क्षेत्र की पुनर्वास कॉलोनियाँ, सोनिया विहार से आखिरी छोर पर होने के कारण इन कॉलोनियों सहित कई क्षेत्रों में पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता?

ग) यदि हॉ, तो क्या सरकार सीमापुरी क्षेत्र की पुनर्वास कॉलोनियों के नागरिकों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए सोनिया विहार से सीमापुरी तक एक अगल लाईन डलवाएगी?

घ) यदि हॉ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री :-

क) जी नहीं। यह क्षेत्र सोनिया विहार यू.जी.आर की कमाण्ड पर नहीं है। (यह कॉलोनिया ताहिरपुर यू.जी.आर. की कमांड में है।)

ख) जी नहीं। इन पुनर्वास कॉलोनियों में पेयजल की उपलब्धता सामान्य है।

ग एवं घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

246. श्री विपिन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि विधानसभा क्षेत्र सं. 64, रोहतास नगर की अनेकों कालोनियों, क्षेत्रो, ओक नगर, हरदेव पुरी, नत्थू कालोनी, दुर्गापुरी विस्तार, जगजीवन नगर आदि में पिछले समय में जनहित में जनसुविधा हेतु सीवर की लाइनें करोडो का धन खर्च करके डाली गई थी,

ख) क्या यह भी सत्य है कि इन कालोनियों/क्षेत्रों में डाली गई सीवर की लाइनों को अभी तक चालू नहीं किया गया,

ग) यदि हॉ, तो इन सीवर लाइनों को चालू न करने का मुख्य कारण क्या है और कितने समय तक इन्हें चालू किया जाएगा,

घ) जिन कालोनियों में सीवर की लाइनें चालू हैं, उन्हें समय पर साफ करने का दायित्व किसका है, और

ड) यदि दिल्ली जल बोर्ड इन सीवर लाइनों की सफाई करता है तो अब तक ये समस्त सीवर की लाइनें साफ क्यों नहीं की गई?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ। जल बोर्ड द्वारा ओक नगर, हरदेव पुरी, नत्थू कालोनी, दुर्गा पुरी विस्तार एवं जगजीवन नगर कालोनियों में सीवर लाइन डाली गई थी।

ख) जी हॉ, इन कॉलोनियों में सीवर लाइन अभी तक चालू नहीं की गई है।

ग) चूँकि 50 एम.जी.डी. सीवेज पम्पिंग स्टेान 09.08.12 को चालू हुआ है इसलिए यह सीवर लाईन चालू नहीं की गई थी। इन सीवर लाइनों का निरीक्षण/सफाई करके इनको 3-4 माह में चालू कर दिया जायेगा।

घ) रोहतास नगर विधान सभा क्षेत्र सं. 64 के अन्तर्गत चालू हो चुकी सीवर लाईनों की सफाई का दायित्व दिल्ली जल बोर्ड का है।

ड) रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पहले से चालू हो चुकीं सीवर लाइनों की सफाई का कार्य आवयकतानुसार किया जाता है। इस समय सभी सीवर लाईन सूचारू रूप से कार्य कर रही है।

247. श्री एस.पी. रातावाल : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर लाईन आर.सी.सी. की जगह एच.डी.पी.ई. पाइप लाइन में बदल दी हैं,

ख) क्या यह भी सत्य है कि 450 एम.एम. ब्यास वाले आर.सी.सी. पाइप की कीमत 533 रूपये प्रति मीटर है और 450 एम.एम. वाले एच.डी. पी.ई. की कीमत 4394 रूपये प्रति मीटर है,

ग) एच.डी.पी.ई.पाइप की भारत में कितनी कम्पनियों है जो यह पाइप बनाती है, उनका पूरा विवरण दे,

घ) यह एच.डी.पी.ई. पाइप भारत में कौन-कौन से मैट्रोपालियन ाहरों में डले है या डल रहे है, कपया विवरण दे;

ड) क्या यह सत्य है कि पाइप की लम्बाई 20 फीट है, और

च) क्या मेन रोड के अलावा इंटरनल रोउ में 20 मीटर की पाइप को काटकर डालना लाभकारी हो सकता है?

मुख्यमंत्री :-

क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाइन के लिए 280 मि.मि. से 710 मि. मि. व्यास एच डी.पी.ई पाइप और इस व्यास से ऊपर आर.सी.सी. पाइप पी ई परत के साथ बिछाने का फैसला किया गया है।

ख) 450 मि.मि. व्यास आर.सी.सी. पाइप एन.पी.-3 (सन् 2008 में अनुमोदित मूल्य पर) की लागत 950 रूपये प्रति मीटर है। 450 मि.मि. व्यास एच. डी.पी.ई (आन्तरिक डायॉ) पाइप की लागत 4394 रूपये प्रति मीटर है।

ग) एच.डी.पी.ई. पाईप बनाने वाली कम्पनियों का विवरण निम्नलिखित है:-

क. डूरालाइन इंडिया प्रा.लि., नई दिल्ली

ख. परिक्षित इंडस्टीज लिं., अहमदाबाद

ग. जैन इरीगेान सिस्टम्स लि., जतगांव

घ. संगीर प्लास्टिक प्रा. लि., मुम्बई

ड. टैक्समो पाइप्स और उत्पाद लि., मुम्बई

च. हिन्दुस्तान निर्माण कंपनी, कोलकाता

छ. श्री रानीसती सिंचाई प्रा. लि., जयपुर

घ) एच.डी.पी.ई. पाइप निम्नलिखित ाहरों में उपयोग की जा रही है :-

क. गुजरात के विभिन्न ाहरों में

ख. कोलकाता

ड) पाइप आमतौर पर 6 मीटर लंबाई में निर्मित की जाती है। हालांकि, यह आवयकता के अनुसार किसी भी वांछित लम्बाई में निर्मित की जा सकती है।

च) आंतरिक सडकों पर एच.डी.पी.ई. पाइप बिछाने के लिए आवयक लंबाई का पाइप कार्य स्थल पर काटा जा सकता है।

248. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड पीने योग्य पानी की लाइन डालने की कोई योजना बना रहा है,

ख) यदि हां, तो ये योजना कितने समय में पूरी होगी और किन-किन क्षेत्रों में इनका लाभ मिलेगा और इसके लिए कितना बजट प्रोविजन किया गया है।

ग) क्या यह सत्य है कि संगम विहार में आज बोरवेल पर अंकुा लगाया गया है,

घ) क्या यह भी सत्य है कि नये बोरवेल के लिए 300 मीटर का प्रावधान रखा गया है और

ड) क्या दिल्ली जल बोर्ड पीने योग्य पानी मुहैया कराने हेतु इसमें कुछ छूट देने की योजना बना रहा है?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा संगमविहार क्षेत्र की 38 अनाधिकत कालोनियों में पानी की आन्तरिक प्रणाली डालने की योजना को प्राासनिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस योजना को कार्यन्वित करने के लिए हरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार से अनुमति पत्र मिलना अपेक्षित है।

ख) संगमविहार क्षेत्र में पानी की आन्तरिक प्रणाली डालना एक मुख्य योजना है, जिसको हरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार से अनुमति पत्र मिलने के उपरान्त कार्यान्वित करने में 2 से 3 वर्ष का समय लग सकता है।

ग) जी नहीं, दिल्ली जल बोर्ड ने संगमविहार क्षेत्र के निवासियों की पानी की आपूर्ति के लिए लगभग 150 टयूबैल लगाये हुए हैं।

घ) जी हॉ, भू-जल के गिरते स्तर को देखते हुए भू-जल निकालने वाले प्रतिद्वंदी नलकूपों के बीच लगभग 300 मीटर दूरी रखना तकनीकी रूप से आक्यक है।

ड) लगातार भू-तल के गिरते स्तर को ध्यान में रखते हुए तकनीकी आवयकताओं में कोई छूट देना उचित नहीं है।

249. श्री कुलवन्त राणा : क्या िक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली कके अधिकतर विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य के विषय नहीं है,

ख) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधान सभा क्षेत्र के प्रतिभा विद्यालय को छोड़कर किसी भी विद्यालय में यह विषय नहीं है,

ग) यदि हॉ तो इसके क्या कारण हैं,

घ) रिठाला विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में विज्ञान विषय एवं वाणिज्य विषय कब तक प्रारम्भ करने की योजना है,

ड) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधान सभा क्षेत्र के सभी विद्यालय टीन-शैड व एसपीएस में चलाए जा रहे हैं, यदि हॉ तो इसके क्या कारण है,

च) क्या यह सत्य है कि इन विद्यालयों में बैंचों का अभाव है और पीने के पानी एवं शौचालयों की हालत बहुत खस्ता है,

छ) यदि हॉ, तो इस कमी को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री :-

क) आवयकतानुसार पर्याप्त संख्या में सरकारी स्कूलों में विज्ञान व कॉमर्स विषय हैं। दिल्ली की 233 सरकारी स्कूलों में विज्ञान विषय तथा 510 स्कूलों में कॉमर्स विषय है।

ख) जी नहीं। रिठाला विधान सभा क्षेत्र के 11 स्कूलों में केवल राजकीय सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर-11, रोहिणी में कॉमर्स विषय नहीं है, लेकिन विज्ञान विषय केवल राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में है। इस विधानसभा क्षेत्र के विज्ञान विषय लेने वाले विद्यार्थियों को निम्नलिखित विद्यालयों में दाखिला दिया गया है जोकि दो किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं :-

1. सर्वोदय विद्यालय, सैक्टर-9, रोहिणी।

2. राजकीय सह-ाक्षा उच्चतर विद्यालय, सैक्टर-15, रोहिणी।

3. सर्वोदय कन्या विद्यालय, प्रांत विहार।

ग) इनफ्रास्ट्रचर (Infrastructue) की कमी के कारण विज्ञान विषय ारू नहीं किया गया।

घ) आगामी ौक्षणिक सत्र से (2013-14) सर्वोदय विद्यालय सैक्टर-6, रोहिणी में इन्फ्रास्ट्रक्चर अप-ग्रड करके विज्ञान विषय प्रारंभ करने की योजना है।

ड) जी नहीं, कुछ विद्यालय एसपीएस में चल रहे हैं। पक्का भवन निर्माण की प्रक्रिया लंबी होने के कारण आवयकतानुसार विद्यालय एसपीएस भवन में ारू किए जाते हैं।

च) जी नहीं। कुछ विद्यालयों में कुछ बैंचों की कमी है। पीने के पानी व ौचालयों की हालत संतोषजनक है। इनके उच्चीकरण करने के प्रयास लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जारी है।

छ) बैंचों की कमी को निकट भविष्य में पूरा करने हेतु विभागीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

250. श्री कुलवंत राणा: क्या ाक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में आबादी के अनुपात में सरकारी स्कूलों की कमी है,

ख) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि पिछले 5 वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा डीडीए से विद्यालय बनाने के लिए रोहिणी 4 विस्तार 16, 17, 21, 22, 23, 24 व 25 में भूमि प्राप्त की हुई है?

ग) यदि हॉ तो इन भूमियों पर विद्यालय के लिए भवन निर्माण न करने के लिये क्या कारण है?

घ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण से संबंधित विभागों को बार-बार बदला जा रहा है? जिसके कारण इनके भवनों के निर्माण में देरी हो रही है,

ड) दिल्ली सरकार द्वारा इन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए किस विभाग को जिम्मेदारी दी है,

च) इन स्थानों पर विद्यालय के भवन का निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

शिक्षा मंत्री :-

क एवं ख) सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत नए विद्यालय निर्मित करने की आवयकता है। रोहिणी-4 विस्तार 15, 17, 21, 22, 23, 24 व 25 सैक्टर में नए विद्यालयों में निर्माण हेतु भूमि प्राप्त की गई है।

ग, घ, ड व च)

साईट का नाम	**कार्य करने वाली एजेंसी का नाम**	**विवरण**
रोहिणी-4 विस्तार	लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग द्वारा भवनों के नक्शे दिल्ली नगर निगम में

		स्वीकति हेतु जमा करा दिये हैं। नक्शे पास होने पर वित्त विभाग से मंजूरी होने पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
रोहिणी-16	लोक निर्माण विभाग	सैक्टर-16 का निर्माण कार्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दिया गया है। भवनों के नक्शे प्राप्त होने हैं।
रोहिणी-17	सिंचाई एवं बाढ़ निंयत्रण विभाग	सैक्टर-16 का निर्माण कार्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दिया गया है। भवनों के नक्शें प्राप्त होने हैं।
रोहिणी-17	लोक निर्माण विभाग	सैक्टर-17 रोहिणी के नक्शे लोक निर्माण विभाग से प्राप्त होने हैं।
रोहिणी-सैक्टर 21 फेज-1, 2, सैक्टर -22 तथा 23	लोक निर्माण विभाग	रोहिणी सैक्टर 21, फेज-1, 2, सैक्टर-22 तथा सैक्टर-23 में प्राप्त भूखंडों पर वित्त विभाग द्वारा भवन निर्माण की स्वीकति दी जा चुकी है। दिल्ली नगर निगम द्वारा भवनों के नक्शे पास न करने के कारण निर्माण कार्य शुरू होने में विलंब हो रहा है।

रोहिणी-सैक्टर-24	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	24 का निर्माण कार्य सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दिया गया है। भवनों के नक्शे दिल्ली नगर निगम में स्वीकृति हेतु जमा करा दिये हैं। नक्शे पास होने पर वित्त विभाग से मंजूरी होने पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

डी एस आई आई डी सी (DSIIDC) द्वारा निर्माण कार्य के बाद भवनों का रख-रखाव मना करने के कारण केवल सेक्टर 21, 22, 23 तथा 25 का कार्य डी एस आई आई डी सी (DSIIDC) के लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है जो डी एस आई आई डी सी (DSIIDC) द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर आगे का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा जिससे भवन निर्माण कार्य में कोई देरी नहीं होगी।

251. श्री मालाराम गंगवाल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि अध्यापकों की नियुक्ति से पहले Entrance Test C.T.T.E. अनिवार्य कर दिया है;

ख) क्या सरकार को बीएड या जेबीटी करने वाले योग्य छात्रों की योग्यता पर संदेह है;

ग) यदि सरकार को Entrance Test C.T.T.E. पास करने पर ही छात्रों की योग्यता का पता चलता है तो सरकार सभी जगह से बीएड, जेबीटी,

एनटीटी कराने वाले संस्थानों को बंद क्यों नहीं कर देती; और

घ) अध्यापक बनने हेतु सरकार उम्मीदवारों से इतनी परीक्षा क्यों लेना चाहती है क्या बीएड एवं जेबीटी की पर्याप्त नहीं है?

शिक्षा मंत्री :-

क) जी हॉ। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रावधान के अनुसार 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्' ने अधिसूचना संख्या 215 फाइल संख्या 61-03/20/22010/एनसीटीई (एन एंड एस) के द्वारा कक्षा एक से आठ तक के किसी अध्यापक की नियुक्ति के पात्र बनने के लिए C.T.E.TY. (Central Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण करना एक न्यूनतम आवयक योग्यता निर्धारित कर दी है।

ख,ग,घ) उपरोक्त के अनुसार प्रन नहीं उठता है।

252. श्री मालाराम गंगवाल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली के विद्यालयों को 10वीं का परीक्षा कितने प्रतिात रहा।

ख) क्या 10वीं पास प्रत्येक छात्र को 11वीं कक्षा में प्रवेा मिल चुका है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है।

ग) क्या विद्यालयों के पास 11वीं के छात्रों को बैठाने के लिये पर्याप्त संख्या में कमरें हैं, और बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पीजीटी अध्यापक मौजूद है; और

घ) दिल्ली के विद्यालयों में कितनी संख्या में पीजीटी की आवयकता है इस समय कितने पीजीटी नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं?

शिक्षा मंत्री :-

क) सत्र 2011-12 में दिल्ली के विद्यालयों का 10वीं का परीक्षा परिणाम निम्न प्रकार है :-

सरकारी विद्यालयों का परिणाम : 99.23 प्रतित

सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालययों का परिणाम : 97.02 प्रतित

ख) सभी जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर लगभग सभी इच्छुक छात्रों को प्रवो दिया जा चुका है।

ग व घ) प्रत्येक ौक्षणिक सत्र में छात्रों की संख्या बढ़ जाने के कारण प्रत्येक वर्ष कमरों व पीजीटी अध्यापकों की आंािक रूप से कमी हो जाती है।

वर्तमान में 10855 स्वीकत पदों में से 6201 पदों पर नियमित पीजीटी अध्यापक पढ़ा रहें हैं। रिक्त पदों पर अंतरिम व्यवस्था के रूप में 2935 अतिथि अध्यापकों की व्यवस्था की गई है। बाकी खाली पदों पर अतिरिक्त अतिथि अध्यापकों को लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

253. श्री मालाराम गंगवाल : क्या िक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) रघुवीर नगर एन ब्लाक में एक सीनियर सैंकेण्डरी स्कूल बनाने का प्रस्ताव है उसकी चार दीवारी भी कर दी गई है, परन्तु क्या कारण है कि इमारत का कार्य काफी समय से रूका हुआ है;

ख) विद्यालय की इमारत बनाने में विलम्ब के क्या कारण है, क्या विभाग इस इमारत को बनवाने के लिए टैंडर जारी कर चुका है;

ग) इस इमारत को बनाने का काम कब तक ुरू किया जाएगा; और

घ) क्या विभाग विधान सभा चुनाव से पहल इस कार्य को पूरा करा देगा?

शिक्षा मंत्री :-

क) रघुवीर नगर एन ब्लाक में एक स्कूल बनाने हेतु कार्य 'दिल्ल अर्बन ैल्टर इम्परूवमैंट बोर्ड' (D.U.S.I.B) को दिया गया है। जिसे पक्का भवन निर्माण हेतु नक्ा बनाकर दिल्ली नगर निगम में जमा कराने आदि हेतु निर्माण लागत की 1 प्रतिात राि रूपये 1144608/- (ग्यारह लाख चवालिस हजार छः सौ आठ रूपये) की राि 12.07.2012 को स्वीकत की गई। निर्माण का कार्य नक्ा बनाने एवं दिल्ली नगर निगम से नक्ा पास कराने के कार्य में लंबित पड़ा है।

ख व ग) भवन योजना का प्लान स्थानीय निकास से स्वीकत होने के बाद स्वीकर्ति हेतु प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्त विभाग से प्रस्ताव स्वीकत होने के बाद निर्माण कार्य संबंधी टेंडर की प्रक्रिया D.U.S.I.B. द्वारा ुरू की जाएगी।

घ) उपरोक्त

254. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (बिट्टू) : क्या िक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) यह सत्य है कि विधायक तिमारपुर विधानसभा के द्वारा माननीय निदेोक िक्षा के पत्रों दिनांक 29/08/2011, 12/11/2011 एवं

30/7/2012 के द्वारा गली संख्या 03 संगम विहार नजदीक वजीराबाद में दिल्ली विका प्राधिकरण से प्राप्त भू-खंड पर विद्यालय बनाऐ जाने संबंधी योजना की जानकारी मांगी गई थी, जो कि आज तक प्राप्त नहीं हुई इसका क्या कारण है दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक हो जाएगी एवं विद्यालय बनाए जाने के संबंध में विस्तत रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।

ख) क्या यह सत्य है कि उक्त जाानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है,

ग) यदि हॉ, तो इसके क्या कारण हैं,

घ) दोषी अधिकारियों पर कब तक और क्या कार्यवाही होगी, तथा

ड) विद्यालय बनाए जाने के संबंध में विस्तत रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

शिक्षा मंत्री :-

क) संगम विहार वजीराबाद में सरकारी स्कूल खोलने के लिए भूमि के लिए आवेदन संगम विहार (वजीराबाद) रेजिडेंट्स वैलफेयर एसोसिएन व माननीय अतिरिक्त सचिव, उपराज्यपाल से प्राप्त हुए थे। इस विषय में Commissioner Land दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस विभाग के पत्र सं. F.16/Land/Wazirabad/2011/5601-5602 दिनांक 25.07.2012 के द्वारा भूमि आबंटन के लिए लिखा गया था, जिसकी सूचना क्षेत्रीय विधायक को भेजी गई थी। माननीय विधायक महोदय के पत्र दिनांक 30.07.2012 का उत्तर द्वारा दिया जा चुका है। जिसके संबंध में विस्तत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। पत्र के प्रति संलग्न है।

ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस संबंध में अभी तक कोई उत्तर या भूमि आबंटन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

ग) उपरोक्त 'क' 'ख; अनुसार लागू नहीं हैं

घ) लागू नहीं होता है।

ड) दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि आबंटन के उपरान्त ही विद्यालय निर्माण ाुरू हो सकता है।

255. श्री चौधरी सुरेन्द्र कुमार : क्या ाक्षिा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) गोकुलपुर विधानसभा में 12वीं कक्षा में अंग्रेजी, साईंस, कॉमर्स, अंग्रेजी में कितने बच्चों को दखिला दिया गया;

ख) इस संदर्भ में क्या सरकार द्वारा कोई स्लेब निर्धारित है, जिसके आधार पर दाखिला दिया जाता है, बताने की कपा करें; और

ग) मेरे विधानसभा क्षेत्र में 12वीं कक्षा में अंग्रेजी साईंस, कॉमर्स, अंग्रेजी में दाखिला दिए गए बच्चों की सूची देने की कपा करें?

शिक्षा मंत्री :-

क) गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में कक्षा 12वी में अंग्रेजी, साईंस, कॉमर्स में पढ़ने वाले छात्रों का विवरण निम्न प्रकार है :-

अंग्रेजी : 1807, साईंस : 217, कॉमर्स : 285

ख) कक्षा 12वीं के लिए इस तरह का कोई स्लैब निर्धारित नहीं किया गया है। कक्षा 11वीं पास करने वाले छात्र कक्षा 12वीं में प्रवेा पाते हैं।

ग) गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 12वीं कक्षा में अंग्रेजी, साईंस व कॉमर्स में वर्तमान वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों का विवरण :-

12वीं कक्षा (अंग्रेजी में पढ़ने वाले छात्र) : 1807

12वीं कक्षा (साईंस में पढ़ने वाले छात्र) : 217

12वीं कक्षा (कॉमर्स में पढ़ने वाले छात्र) : 285

बच्चों की सूची उपरोक्तानुसार संलग्न है।

256. श्री मनोज कुमार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली सरकार के कितने विद्यालयों में कब से प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं,

ख) इसके क्या कारण है, और

ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा?

शिक्षा मंत्री :-

क) दिल्ली सरकार के स्कूलों में दिनॉक 31.08.2012 तक प्रधानाचार्यों के कुल 420 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

सीधी भर्ती के कुल 266 पद रिक्त हैं।

1. 58 पद (वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक)
2. 62 पद (वर्ष 2010-11)
3. 08 (दिनांक 01.04.2012 से 31.08.12 तक)

विभागीय पदोन्नति के कुल 154 पद रिक्त है :-

1. 144 पद (वर्ष 2011-12)

2. 10 पद (दिनांक 01.04.2012 से 31.08.12 तक)

ख) उपरोक्त 420 पद सेवानिवत्ति और नये सजित पदों के आधार पर रिक्त है जिनको भरने की प्रक्रिया जारी है जोकि निम्न प्रकार से है :-

सीधी भर्ती

1. उपरोक्त 266 सीधी भर्ती के रिक्त पदों में से 58 पदों (वर्ष 2007-08 से 2009-2010) को भरने की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 29.04.2012 हो चुकी है।

2. इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 118 पदों (62 पद वर्ष 2010-11, 42 पद वर्ष 2011-12 एवं 14 पद वर्ष 2012-13) की सीधी भर्ती के लिए एक मसौदा संघ लोक सेवा आयोग को विज्ञापन हेतु भेजा गया था जोकि 01.02.2012 को वापस आ गया है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति में आरक्षण के संदर्भ में स्पष्टीकरण मॉगा गया है। (वर्ष 2012-13 के 14 पदों में 01.09.2012 से 31.03.2013 तक रिक्त होने वाले 06 पद ाामिल हैं)

इस संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा दिल्ली सरकार के सेवा विभाग को स्पष्टीकरण हेतु पत्र भेजा गया था। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा एम.एच.ए. भारत सरकार से स्पष्टीकरण मॉगा गया है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही दिल्ली सरकार के सेवा विभाग

द्वारा कोई स्पष्टीकरण आता है, 214 (118 + 96 नए सजत पद) पदों की सीधी भर्ती के लिए विभाग द्वारा एक मसौदा संघ लोक सेवा आयोग को विज्ञापन हेतु भेज दिया जाएगा।

विभागीय पदोन्नति

1. उपरोक्त 144 (वर्ष 2011-12) पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा प्रक्रिया जारी है।

2. तथा अन्य 10 रिक्त पद वर्ष 2012-13 से संबंधित है जिस पर कार्यवाही वर्ष 2011-12 के पदोन्नति आदेा के उपरांत की जाएगी।

ग) प्रधानाचार्यों के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। यह एक सतत् प्रक्रिया है इसलिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

257. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा एक आदेा जारी किया गया था जिसके तहत दिल्ली में हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार मिले,

ख) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार के आदेा तथा शिक्षा विभाग को उच्च आधिकारियों द्वारा संस्तुति दिये जाने के बावजूद करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कई प्रधानाचार्यों द्वारा बच्चों को अपने विद्यालय में दाखिला नहीं दिया गया,

ग) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि विभाग द्वारा ऐसे प्रधानाचार्यों के खिलाफ आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, और

घ) यदि हॉ, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इन प्रधानाचार्यों के खिलाफ कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी?

शिक्षा मंत्री :-

क) जी हॉ।

ख) इस तरह की कोई घटना जानकारी में नहीं आई है।

ग व घ) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं होता।

258. श्री साहब सिंह चौहान : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली में कुल कितने जेल हैं और कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं,

ख) प्रत्येक जेल में कितने कैदी किस किस श्रेणी के पिछले एक वर्ष से बंद हैं। उनका विस्तत ब्यौरा क्या है।

ग) कैदियों को जेल में किस किस प्रकार की क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, उनका विस्तत ब्यौरा क्या है,

घ) पिछले तीन सालों में विभिन्न जेलों से फरार हुए कैदियों का ब्यौरा क्या है।

ड) क्या दिल्ली में नई जेलें बनाने के लिए सरकार की कोई योजना है।

ण) यदि हॉ, तो उसका विस्तत ब्यौरा क्या है?

क) दिल्ली में के कुल दस कारागार हैं जिसमें से नौ केन्द्रीय कारागार तिहाड़ परिसार में स्थित हैं एवं एक जिला कारागार, रोहिणी में हैं।

ख) दिल्ली की जेलों में दिनांक 4.09.2012 को12255 बंदी थे जिसमें

3256 कैदी, 8990 हवालाती एवं 7 नजरबंद थे। जेलवार इनका ब्यौरा संलग्न है।

ग) 1. जेल में सजा काट रहे कैदियों को जेल प्राासन द्वारा साबुन, टुथब्रा, टुथ पाउडर, तेल, चप्पल एवं कपड़े मुफ्त मुहैया करवाये जाते हैं।

2. गर्म खाना रखने हेतु वार्डों में गर्म खाने की ट्रॉली' उपलब्ध करवाई गई हैं।

3. पीने के पानी हेतु आर.ओ. सिस्टम लगवाया गया है। इसके अलावा वाटर टैंकर द्वारा एवं अलग पाईप लाईन द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है।

4. जेलों में बंदियों के लिए 'बंदी कल्याण कोष' की व्यवस्था की गई है जिसमें वे अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं, साथ ही गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेान लिमिटेड के सहयोग से अमूल पार्लर खोला गया है जिसमें विभिन्न फ्लेवरस की आईसक्रीम, दूध से बने अन्य सामान एवं दूध उपलब्ध कराया गया है।

5. सभी बंदियों हेतु मनोरंजन के लिए टीवी सेट्स एवं केबल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

6. समय-समय पर खेल कूद की प्रतियोगिताओं तथा सांस्कतिक व दे भक्ति के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। खेल-कूद की प्रतियोगिताओं में टेबल-टेनिस, फुटबाल, क्रिकेट, बास्केट बाल, बॉलीवाल, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन आदि

को ाामिल किया जाता है।

7. सप्ताह में दो बार परिवार व परिजनों से मुलाकत की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हाल ही में बंदियों को अपने परिजनों से वार्ता हेतु जेल में टेलिफोन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

8. कैदियों को हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।

9. जैलों में गरीब एवं जरूरतमंद बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं।

10. अाक्षित बंदियों को ाक्षित करने हेतु सभी वार्डों में कक्षाएँ लगाई जाती है जिसमें पढ़े लिखे कैदियों की सहायता ली जाती है।

11. बंदियों को उच्च ाक्षा दिलवाने के लिए राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मुक्त विवविद्यालय एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के केन्द्र भी खोले गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के कोर्स चलाए जा रहे हैं।

12. इसके अलावा अन्य ौक्षिणिक व व्यावसायिक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है एवं विभिन्न प्रकार की स्वयं सेवी संस्थाओं का भी योगदान लिया जाता है जो कि समय समय पर धार्मिक व आध्यत्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती हैं। बदियों को विभिन्न प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

13. नामुक्ति केन्द्र में नो के रोगियों का उपचार किया जाता हैं।

14. कम्प्यूटर प्राक्षिण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

15. फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों जैसे कि लकड़ी का काम, वैल्ड़िग करना, बेकरी यूनिट में ब्रैड़ व बिस्कुट इत्यादि बनाना, खेस व दरी बनाना सिखाना, मिट्टी के बर्तन व अन्य वस्तुएँ बनाना, सिलाई इत्यादि का प्राक्षिण दिया जाता है।

16. बंदियों के लिए मानसिक तनाव को दूर करने एवं उनके मनोरंजन हेतु दिल्ली जेलों में 'म्यूजिक थेरेपी' प्रारम्भ की गई है जिसके तहत सभी जेलों में 'म्यूजिक रूम' तैयार किये गये हैं एवं वाद्य यंत्र जैसे हारमोनियम, तबला, गिटार, बोंगो इत्यादि उपलब्ध कराये गये हैं।

17. कारागार प्राासन ने जेल में आने वाले बंदियों के पुर्नवास हेतु तकनीकी क्षिा देने के अलावा जेल से छूटने के बाद उनको नौकरी दिलवाने के लिए कुछ बड़ी कम्पनियों को आमंत्रित किया है जो अपने संस्थानों में इन बंदियों को नौकरी देने को तैयार है। इस योजना के तहत अभी तक 338 बंदियों की इन कम्पनियों द्वारा नौकरी के लिए चयन किया गया है।

घ) गत तीन वर्षों में दिल्ली की जेलों से कोई कैदी फरार नहीं हुआ।

ड एवं ण) जी हां। क्षमता से अधिक बंदियों की समस्या से निपटने के लिए मंडोली क्षेत्र में छः जेलों का परिसर बनाया जा रहा है जिसक हेतु 68. 6 एकड़ भूमि नियत है तथा इन छः जेलों में लगभग 3776 बंदियों को रखने का प्रावधान है। इसके अलावा नरेला में भी

जेल बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जा रहा है।

259. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या िक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि पंजाब, हिमाचल एवं उत्तर प्रदे में सहायक अधीयक्ष, जेल/डिप्टी जेल का ग्रेड पे 4600 है और दिल्ली में 2800 है।

ख) यदि हां, तो उक्त के दिल्ली में कम ग्रड पे होने के क्या कारण हैं, और

ग) क्या इसे बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

क) जेल विभाग, दिल्ली सरकार में सहायक अधीयक का ग्रेड पे 2800 है जबकि पंजाब हिमाचल एवं उत्तर प्रदे इत्यादि में सहायक अधीयक का ग्रेड पे 4600 है।

ख) जेल प्राासन ने दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें सरकार कमियों का वेतनमान पड़ोसी राज्यों के वेतनमान के अधिक नहीं तो कम से कब बराबर होना चाहिए।

ग) प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

260. श्री करण सिंह तंवर : क्या िक्षा मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली की जेलों में कैदियों को पैरोल देने के क्या मापदंड हैं,

ख) क्या यह सत्य है कि पैरोल भी मंत्रियों की सिफारिों पर जल्दी जल्दी और कई बार दी जाती है,

ग) यदि हॉ, तो क्यों और क्या इस परिपाटी को पारदर्ी पर बनाने की सरकार की कोई योजना है,

घ) क्या कैदियों के अनुपात में दिल्ली में जेलों की पर्याप्त संख्या है,

ड) यदि नहीं तो भविष्य में दिल्ली सरकार कहां-कहां पर जेल बनाने के लिए विचार कर रही है, और

च) जेल में कैदियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है तथा क्या जेलों में प्राक्षिण प्राप्त कैदियों को जेल से रिहा होने के पचात सरकार उन्हें रोजगार के साधन मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है?

मुख्यमंत्री :-

क) दिल्ली की जेलों में कैदियों को पैरोल, पैरोल-फरलो गाईड लाइन्स 2010 के मापदंड में आने वाले योग्य कैदियों को ही दी जाती है। पुस्तकालय में उपलब्ध है।

ख) जी नहीं।

ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

घ) जी नहीं।

ड) दिल्ली सरकार मंडोली क्षेत्र में छः जेलों का परिसर बना रही है जिसके हेतु 68.6 एकड़ भूमि नियत है तथा इन छः जेलों में लगभग 3776

बंदियों को रखने का प्रावधान है। इसके अलावा नरेला में भी जेल बनाने का प्रस्ताव है।

च) जेल में कैदियों को प्राक्षिण के लिए एक जेल फैक्टरी है जिसमें निम्न व्यवसायों में प्राक्षिण दिया जाता है :-

1. कारपेन्टरी, 2. बुनाई, 3. टेलरिंग, 4. केमिकल विभाग,

5. पेपर विभाग, 6. ऑयल विभाग, 7. तिहाड़ बेकरी, 8. मसाला यूनिट

उपरोक्त विभागों में जैसे कारपेन्टरी सेक्नन में फर्नीचर आईटम, मेज, कुर्सी, स्टूल, सोफा सेट, डबल बेड, दीवान, डेस्क इत्यादि बनाये जाते हैं। टेलरिंग विभाग में कपड़ा बुना जाता है। टेलरिंग विभाग में कपड़ा सिला जाता है। केमिकल विभाग में साबुन व फिनाइल बनाई जाती है। पेपर विभाग में फाइल कवर इत्यादि बनाये जाते हैं। मसाला यूनिट में तरह तरह के ुद्ध मसाले बनाये जो है। पेठा यूनिट में पेठे की मिठाई बनाई जाती है। जेल नं. 8 में कंबल विभाग में कम्बल बनाये जाता हैं।

जेलों में 'कैम्पस प्लेसमेंट' चलाये जा रही हैं जिसमें अब तक 338 कैदियों को विभिनन कारपोरेट हाउसिंग द्वारा जॉब ऑफर दिए गए हैं। कैम्पस प्लेसमेंट में केवल उन्हीं कैदियों को चुना जाता है। जिनके अगले छः महीने में छूट जाने की संभावना है।

261. श्री ओ.पी. बब्बर : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) क्या पेंान राखि को 1000/- प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500/- प्रतिमाह करने का कोई प्रस्ताव है,

ख) रा.रा.क्षेत्र दिल्ली में (विधानसभा क्षेत्रानुसार) अभी तक कुल कितनी अर्जियां लम्बित है, और

ग) 31 अगस्त 2012 तक की अर्जियों को कब तक मंजूरी मिल जाएगीव किस माह तक का भुगतान पेंनर्स को कर दिया गया है?

समाज कल्याण मंत्री :-

क) जी हॉ। पेंन योजना के अन्तर्गत सहायता राि पहले ही बढ़ा दी गयी है जिसका ब्यौरा योजनानुसार निम्न प्रकार है :-

वृद्धावस्था पेंशन योजना :- 1000/- रूपये (60-69 आयु वर्ग) एवं 1500/- रूपये (70 और उससे अधिक आयु वर्ग) प्रतिमाह। (1 अक्टूबर 2011 से लागू)

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को इसके अतिरिक्त 500/- रूपये प्रतिमाह।

विकलांग पेंशन योजना :- 1 अप्रैल 2012 से लागू। रूपये 1000 से 1500/- प्रतिमाह

ख व ग) सभी अर्जियों का निपटारा 45 दिन के अन्दर किया जा चुका है।

262. श्री ओ.पी. बब्बर : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि प्राक्षिण एवं उत्पादन केन्द्र संतपुरा, ओक नगर, नई दिल्ली-18 की हालत काम करने योग्य न होने के कारण वहां के विद्यार्थियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,

ख) क्या इस इमारत की मरम्मत/रखरखाव पर होने वाले कुल खर्च का अनुमान लगाया गया है,

ग) यदि हां, तो क्या इसे कार्यकारी अभियंता (लोक निर्माण विभाग) से प्राप्त कर लिया गया है, और

घ) इस इमारत की मरम्मत/रखरखाव का कार्य प्रारम्भ करने में कितना समय लगेगा?

समाज कल्याण मंत्री :-

क) वर्तमान में प्राक्षिण एवं उत्पादन केन्द्र सतपुरा, ओाक नगर की मरम्मत की आवयकता है। यहां पर छत टूटी होने के कारण 13 विद्यार्थी हॉल के दूसरी हिस्से में बैठकर प्राक्षिण पाते हैं। विद्यार्थियों को प्राक्षिण में किसी प्रकार की रूकावट नहीं है।

ख) इस सम्बन्ध में कार्यकारी अभियंता (लोक निर्माण विभाग) से मरम्मत की अनुमानित लागत का ब्यौरा मांग लिया गया है।

ग व घ) उपरोक्तानुसार

263. श्री वीर सिंह धिगान : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने दिल्ली में कुछ वद्ध आश्रम बनवाए है,

ख) यदि हां, तो दिल्ली की किस किस विधान सभा क्षेत्रमें कुल कितने वद्ध आश्रम बनवाए गए हैं?

ग) क्या यह भी सत्य है कि सीमापुरी में वद्ध पेंनधारियों की संख्या अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में काफी ज्यादा है,

घ) क्या यह भी सत्य है कि उक्त क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास कालोनियों में गरीब लोग निवास करते हैं जिन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ की ज्यादा आवयकता रहती है,

ड) यदि हां, तो क्या सरकार सीमापुरी विधान सभा क्षेत्र की पुनर्वास कालोनियों में कोई वद्धाश्रम बनवायेगी?

च) यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं।

समाज कल्याण मंत्री :-

क) जी हां।

ख) समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में नरेला विधान सभा क्षेत्र में वद्धाश्रम लामपुर तथा हस्तसाल विधान सभा क्षेत्र में बिंदापुर वद्धाश्रम बनाया गया है।

ग) वर्ष 2012-13 में सीमापुरी क्षेत्र में अब तक कुल 1419 आवेदन प्राप्त हुए है जो कि सर्वाधिक है।

घ) यह स्वभाविक है।

ड व च) Inspection एक बार हो गयी है। उचित स्थान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है।

264. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) करावलनगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से अब तक कुल कितने वद्धों विकलांगों एवं विधवाओं को पेंन स्वीकत की गई है,

ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा गरीब विधवा महिलाओं की पुत्री की ाादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है,

ग) यदि हाँ, तो वर्ष 2008 से आज तक प्रति वर्ष कुल कितनी महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई हैं, विधानसभानुसार विवरण दें, और

घ) वर्ष 2011-12 में करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितनी विधवा महिलाओं द्वारा आवेदन किया गया तथा कितनी महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई, पूरा विवरण दें?

समाज कल्याण मंत्री :-

क) करावलनगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से 30.06.2012 तक कुल 4886 वद्धजनों एवं कुल 478 विकलांगों को पेंन स्वीकत की गई है।

ख) जी हॉ।

ग) सूची संलग्न है,

घ) वर्ष 2011-12 में करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विधवा महिलाओं द्वारा आवेदनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है -

क्र.स.	योजना का नाम	आवेदन प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत
1.	विधवा पेंन	360	306	54
2.	विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता	32	23	09

265. श्री जयभगवान अग्रवाल : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली में कुल कितने पंजीकत नामुक्ति केन्द्र हैं और कहां कहां पर स्थित हैं, उनकी सूची देने की कपा करें :

ख) इन नामुक्ति केन्द्रों में किसी का ना छुडवाने हेतू प्रवो पर क्या क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, और

ग) क्या यहां पर जो मरीज भती होते हैं उनके खान पान की जिम्मेदारी संबंधित केन्द्र की होती है या मरीज के परिवार को वहन करना पड़ता है?

समाज कल्याण मंत्री :-

क) इस विभाग द्वारा दिल्ली के नामुक्ति केन्दों के पंजीकरण की फिलहाल कोई प्रक्रिया लागू नहीं है। नामुक्ति केन्द्र जो सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाते हैं कि सूची संलग्न है।

ख) इस संबंध में प्रत्येक केन्द्र की अपनी अपनी अलग अलग औपचारिकताएं हैं।

ग) उपरोक्त ख के अनुसार।

266. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली अनीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अथवा अनय संस्थानों द्वारा विकलांग उम्मीदवारों को फार्म भरते समय एक अलग से

फार्म भरवाना पड़ता है जिसे कि अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक आदि से सत्यापित करवाना पड़ता है;

ख) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि संबंधित डॉक्टर इस फार्म को भरने में आनाकानी करते हैं व संबंधित विकलांगों से दुव्यवहार करते हैं;

ग) यदि हॉ, तो क्या सरकार इस फार्म की अनिवार्यता को समाप्त करने की योजना बना रही है;

घ) यदि हॉ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री :-

क) यह सत्य नहीं है क्योंकि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली सरकार द्वारा विक्लांग उम्मीदवारों से फार्म भरते समय अलग से कोई फार्म नहीं भरवाया जाता है।

ख, ग व घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

267. श्री करण सिंह तंवर : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली सरकार ने दास एवं स्टेनों केडर के कर्मचारियों के वेतन में त्रुटियों को दूर करने तथा केन्द्र सरकार के समकक्ष कर्मचारियों के वेतनमान देने के संदर्भ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है,

ख) कमेटी का कार्यकाल कमेटी के गठन के प्रारम्भ में कितने दिन का रखा गया था तथा किन कारणों से कमेटी ने आज तक एक भी निर्णय नहीं लिया है,

ग) क्या यह सत्य है कि स्टेनोग्राफर केडर का गठन केन्द्रीय सचिवालयिक सेवा के स्टेनोग्राफर काडर की तर्ज पर किया गया है,

घ) यदि हॉ, तो इस केडर के समकक्ष वेतनमान देने में सरकार के सामने क्या अडचन आ रही है तथा इस संदर्भ में अभी तक सरकार ने वास्तव में क्या प्रयास किया है,

ड) दास ग्रेड-1 एवं सीनियर पी.ए. के छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कितना ग्रेड वेतन निर्धारित किया गया है, कपया पूर्व सोधित वेतनमान के तहत भी बतायें,

च) क्या यह सत्य है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड-11 का ग्रेड वेतन रूपये 4800/- करने के लिए दिल्ली सरकार कटिबद्ध है इस संदर्भ में मात्र अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को पत्र भी भेजा गया है,

छ) यदि हॉ, तो अब तक की प्रगति रिपोर्ट क्या है तथा इस संदर्भ में सरकार आगे क्या प्रयास कर रही है। माननीय गह मंत्रालय ने इस संदर्भ में क्या आब्जेक्न लगाये हुए हैं तथा सरकार से उस संदर्भ में क्या जवाब दिया है,

ज) क्या यह सत्य नहीं है कि पी.पी.एस. का ग्रेड पे रूपये 6600/- निर्धारित किया गया है, यदि हॉ, तो क्या वर्तमान परिस्थितियों में रूपये 4600/- ग्रेड पे आहरित करने वाले व्यक्ति को स्टेनोग्राफर सेवा नियम के तहत रूपये 6600/- में पदोन्नत किया जा सकता है, और

झ) यदि नहीं, तो इसमें सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी?

मुख्यमंत्री :-

क) उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सहमति से आदेा दिनांक 01.02.2007 व 19.10.2007 के द्वारा ग्रेड-1 दास/वरिष्ठ निजी सहायक जोकि दानिक्स के संवर्ग बाह्य पद पर कार्यरत है को भी उनके ग्रेड-1 दास/वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर चार वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने पर रू. 8000-275-13500 (पूर्व सौाधित) अकार्यात्मक वेतनमान दिया जा रहा है। गह मंत्रालय के पत्र दिनांक 09.04.2010 द्वारा ग्रेड-1 दास के वेतनमान को रू. 5000-8000 से रू. 5500-9000 (पूर्व सौाधित) से उच्चक्रम में लाने तथा ग्रेड-1 दास को रू. 8000-13500 (पूर्व सौाधित) का अकार्यात्मक वेतनमान देने के दो आदेाों को तत्काल वापस करने तथा वसूली करने (यदि कोई है) हेतु, इस सरकार को परार्मा दिया गया है।

इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आदेा संख्या 161 दिनांक 12.05.2010 द्वारा एक समिमि का गठन किया है। समिति इस सरकार के ग्रेड-11 दास/आुलिपिक ग्रेड-11 तथा ग्रेड-1 दास/वरिष्ठ निजी सहायक अधिकारियों को रू. 5500-9000 (पूर्व सौाधित) तथा रू. 8000-13500 (पूर्व सौाधित) अकार्यात्मक वेतनमान देने के सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

ख) कर्मचारी संघों को व्यक्तिगत रूप से सुनने और इस विषय से संबंधित अन्य सभी कारकों पर विचार करने के पचात् दिनांक 12.05.2010 के आदेा संख्या 161 द्वारा गठित समिति को अपनी संस्तुति तीन महीने के अंदर प्रस्तुत करनी थी।

ग) दिल्ली सरकार में आुलिपिक काडर का गठन आंत: केन्द्रीय सचिवालयी आुलिपिक काडर के अनुरूप किया गया है।

घ) इस मामले में गह-मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार चल रहा है।

ड) यह मामला उपरोक्त उत्तर (क) के अनुसार समिति के अंतर्गत विचाराधीन है।

च) इस संबंध में गह मंत्रालय, भारत सरकार को एक पत्र भेजा गया है।

छ) गह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 09.04.2010 के पत्र को कार्यान्वित करने के लिए कहा है। आगे यह मामला उपरोक्त उत्तर (क) के अनुसार विचाराधीन है।

ज) दिल्ली आुलिपिक सेवा नियम, 2008 तथा 2011 में हुए सौधन के अनुसार प्रधान निजी सचिव का ग्रेड वेतन रू. 6600 निर्धारित किया गया है तथा नियमित रूप से नियुक्त वरिष्ठ निजी सहायक अधिकारी जिनकी न्यूनतम नियमित सेवा 8 वर्ष की होगी, प्रधान निजी सचिव के पद पर पदोननति के लिए विचार हेतु योग्य हैं।

झ) उपरोक्तानुसार प्रन नहीं उठता।

268. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने नन्द नगरी तकनीकी ाक्षिण संस्थान के परिसर में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए अलग से तकनीकी ाक्षिण संस्थान खोलने का निर्णय लिया था;

ख) क्या यह भी सत्य है कि उक्त तकनीकी िक्षण संस्थान के निर्माण कार्य का ुभरम्भ कर दिया गया है;

ग) यदि हॉ, तो क्या कारण हैं कि उक्त संस्थान के िलान्यास के लगभग एक वर्ष बीतने के बाद अभी तक अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए विोष तौर पर बनने वाले इस तकनीकी िक्षण संस्थान का निर्माण कार्य ुरू नहीं किया गया है;?

घ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने उक्त संस्थान के निर्माण संबंधी सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं;

ड) यदि हां तो कब तक उक्त तकनीकी िक्षण संस्थान का निर्माण कार्य ुरू कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ।

ख) जी, नहीं। केवल इस परियोजना का िलान्यास (फॉउन्डेान स्टोन) किया गया है।

ग) दो मंजिला अर्द्व पक्के संरचना (एस.पी.एस.) प्रकार के निर्माण के लिए एक सोधित प्रस्ताव अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के विचाराधीन है। अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

घ) सोधित प्रस्ताव अर्द्व पक्के संरचना (एस.पी.एस.) प्रकार इमारत के निर्माण से संबंधित है, नगरीय अभिकरणों (सिविक एजेंसियों) के अनुमोदन की आवयकता नहीं हैं। हालांकि, एस.पी.एस. प्रकार इमारत के निर्माण के लिए विस्तत अनुमान लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है।

ड) सोधित योजना के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के पचात् निर्माण कार्य ुरू कर दिया जाएगा।

269. श्री ओ.पी. बब्बर : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि आई.टी.आई बिल्डिंग, तिलक नगर, नई दिल्ली-18 की हालत जर्जर है;

ख) क्या यह भी सत्य है कि वहां की कक्षाओं, प्रासनिक ब्लाक और प्रयोगाालाओं की छतों से बरसात में पानी टपकता है;

ग) क्या यह भी सत्य है कि कम्प्यूटर टैक्सटाइल डिजाइनिंग कक्ष के फर्ा और इमारत की मरम्मत/रख रखाव की ओर विभाग का तुरंत ध्यान देना अत्यंत आवयक है; और

घ) क्या कक्षाओं और प्रयोगाालाओं के ब्लाक में फालस सीलिंग की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव हैं?

मुख्यमंत्री :-

क) जी नहीं। यह पुरानी बिल्डिंग है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 24,10,500/- रू. की अनुमति इस संबंध में विभाग ने दिनॉक 22/03/2010 को लोक निर्माण विभाग (सिविल) डिवि. एम.332 को प्रासनिक स्वीकति एवं व्यय की अनुमति दी थी, जिसमें से 16,22,200/- का कार्य पूण हो चुका है परंतु 7,88,300/- रू. का कार्य अभी अधूरा है।

ख) जी नहीं। अतयाधिक बारिा में कभी-कभी पानी छतों से टपकता है। क्योंकि यह पक्का ढांचा (स्ट्रक्चर) नहीं है। अत: विभाग द्वारा दो मंजिला अर्द्व पक्के संरचना (एस.पी.एस.) बनाने का प्रस्ताव चल रहा है।

ग) जी हॉ। इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग से विस्तत अनुमान (एस्टीमेट) अपेक्षित है।

घ) जी, हॉ। लोक निर्माण विभाग द्वारा 24,10,500/- रू. की अनुमति इस संबंध में विभाग ने दिनॉक 22/03/2010 को लोक निर्माण विभाग (सिविल) डिवि. एम.332 को प्रासनिक स्वीकति एवं व्यय की अनुमति दी थी, जिसमें से 16,22,000/- रू. का कार्य पूर्ण हो चुका है परंतु 7,88,300/- रू. का कार्य अभी अधूरा है। जो कि फालस सीलिंग के लिए है।

270. श्री वीर सिंह धींगान : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि जिला उत्तर पूर्व के तीन थाने सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं,

ख) यदि हॉ, तो सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से पुलिस थाने आते हैं,

ग) क्या यह भी सत्य है कि सीमापुरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो पुलिस थाने, जीटीबी एन्कलेव व सीमापुरी थाना, सीमापुरी विधानसभा के एरिया में नहीं है,

घ) क्या यह भी सत्य नहीं है कि जिन क्षेत्रों में यह थाने बनाए गए हैं उन क्षेत्रों के मुकाबले सीमापुरी पुनर्वास कॉलोनी में यूपी बॉर्डर पर होने क नाते ज्यादा अपराध होते हैं,

ड) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य नहीं है कि सीमापुरी से ज्यादा दूरी पर थाने होने के कारण बहुत से लोग अपनी रिपोर्ट नहीं लिखवा पाते या अपराधा होने पर पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है,

च) यदि हॉ, तो सरकार दूसरे एरियों में चल रहे पुलिस थानों को सीमापुरी क्षेत्र में स्थानांतरण कराएगी, और

छ) यदि हॉ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री :-

क व ख) जी हॉ, यह सत्य है कि दिल्ली पुलिस के उत्तर-पूर्वी जिला के अन्तर्गत सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में 3 थाने आते है, जिनके नाम नन्दनगरी, जी. टी.बी. एन्कलेव और सीमापुरी हैं।

ग) थाना जी.टी.बी. एन्कलेव एवं थाना सीमापुरी के क्षेत्र, सीमापुरी विधानसभा के एरिया में आते हैं। यद्यपि इन थानो की इमारतें सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में न होकर ाहदरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। परन्तु इन थानों की इमारत इन थानों के क्षेत्र में ही है, मानचित्र परिाष्टि 'क' पर संलग्न है।

घ) पुलिस थाना सीमापुरी के अन्तर्गत पुनर्वास कॉलोनी सीमापुरी और थाना सीमापुरी की इमारत क्षेत्र में दर्ज हुए अपराधों का ब्यौरा वर्ष 2011 व 2012 (दिनॉक 15/08/2012 तक) परिाष्टि 'ख' पर संलग्न है।

ड) जब भी कोई िकायत पुलिस थाने में प्राप्त होती है तो पुलिस अविलम्ब मौके पर पहुॅचती है। अपराधों की रोकथाम व लोगों की सुरक्षा के लिए सीमापुरी पुनर्वास कॉलोनी क्षेत्र में 'जे' ब्लॉक पुरानी सीमापुरी में पुलिस चौकी भी बनाई गई है।

च व छ) दिल्ली पुलिस की इस संबंध में अभी कोई नीति नहीं है, क्योंकि इन तीनों थानों की इमारत इन थानों के अपने-अपने सीमा क्षेत्र में ही है।

271. **श्री सुभाष सचदेवा :** क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली में 2011-12 व 2012-13 में विभिन्न अपराध जैसे चोरी डकैती, चैन स्नैचिंग, बलात्कार, धोखा-धड़ी, कार चोरी इत्यादि हुए, ये क्षेत्रानुसार तुलनात्मक तालिका विवरण उपलब्ध करायें,

ख) 100 नम्बर पर कितनी िकायते दर्ज की गई व कितने केस दर्ज किये गये,

ग) इनमें कितने पकड़े गये व कितनों को सजा हुई तथा कितने अनसुलझे हैं,

घ) सड़क दुर्घटनाओं में कितनों की मत्यु हुई और

ड) दिल्ली में जुर्म को रोकने के कितने कितने मार्किटों चौराहों व मेन सड़कों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए है क्या विभाग ने उस क्षेत्रों की पहचान की है जिससे ज्ञात हो कि किन किन स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगने हैं?

मुख्यमंत्री :-

क) दिल्ली में वर्ष 2011 में घटित विभिन्न अपराधों का क्षेत्रानुसार ब्यौरा परिशिष्ट : पुस्तकालय में उपलब्ध है। क व वर्ष 2011 व वर्ष 2012 (15.08.2012 तक) क्षेत्रानुसार तुलनात्मक ब्यौरा परिशिष्ट - ख पर उपलब्ध है।

ख व ग) 100 नम्बर पर वर्ष 2011 में 2060985 तथा वर्ष 2012 (15.08.2012 तक) 1250164 शिकायते दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गयी। इन शिकायतों के आधार पर दर्ज मुकदमों तथा उनमें पकड़े गये व सजा हुए अभियुक्तों और अनसुलझे मुकदमों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

वर्ष	मुकदमें		व्यक्ति		
	दर्ज	सुलझे	अनसुलझे	गिरफ्तार	सजा
2011	35831	19148	16683	27979	699
2012	22324	10758	11510	15409	254

घ) दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2011 में 2066 व वर्ष 2012 (15.09.2012 तक) 1166 व्यक्तियों की मत्यु हुई है।

ड) दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर लगवाये गये व लगवाये जाने वाले सी.सी.टी.वी. कैमरों का ब्यौरा क्रमा: परिशिष्ट ग और घ पर उपलब्ध है।

272. श्री साहब सिंह चौहान : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि घोण्डा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी मार्जिनल बांध की सर्विस रोड के साथ उस्मानपुर व गाँवड़ी में काफी नजदीक ाराब की तीन दुकानों के लाइसेंस दिये हुए हैं,

ख) क्या यह भी सत्य है कि इन दुकानों में से एक दुकान के लाइसेंस के साथ ही दूसरा लाइसेंस भी उसी स्थल पर दिया गया है,

ग) क्या यह सत्य नहीं हैं कि साढ़े चार पुता, सोम बाजार, गाँवड़ी की ाराब की दुकान के नजदीक मान्यता प्राप्त सैकेण्डरी कन्या विद्यालय है,

घ) यदि हॉ, तो यहाँ से उस दुकान को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है,

ड) उस्मानपुर, गाँवड़ी और भजनपुरा की ाराब की दुकानों के आसपास हो रही गुण्डागर्दी, महिलाओं की छेड़छाड़ व अवैध रूप से ाराब पिलाने की व्यवस्था आदि को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ।

ख) जी नहीं।

ग) दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 तथा दिल्ली आबकारी नियमों के अनुसार सभी स्कूल एवं अस्पताल दुकान की उचित दूरी पर हैं।

घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

ड) सभी ाराब की दुकानों के आसपास कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस उत्तरदायी है, तथापि इस सम्बंध में समय-समय पर पुलिस को अवगत कराया जाता है। अवैध रूप से ाराब पिलाने की सभी ाकायतों पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है तथा किसी भी ऐसी घटना को रोकने के लिए आबकारी इन्टैलिजेन्स ब्यूरों के अधिकारी/कर्मचारी तैनात रहते है।

273. श्री साहब सिंह चौहान : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली में आबकारी विभाग द्वारा ाराब की बिक्री के लिए किस-किस प्रकार से लाइसेंस जारी किए जाते हैं;

ख) पिछले दस वर्ष में कितनी ाराब की नई दुकानें व लाइसेंस दिए गए हैं, उनका विस्तत ब्यौरा क्या है;

ग) पिछले दस वर्षों में प्रत्येक वर्ा के अनुसार ाराब की बिक्री से राजस्व प्राप्ति का कितना-कितना लक्ष्य रखा गया है और उन वर्षों में कितनी-कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई है। पूरा विवरण वर्षवार दें;

घ) क्या यह भी सत्य है कि एक ही परमाईसेज में दो ाराब की दुकानों के लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं, ऐसा क्यों;

ड) मास्टर प्लॉन 2021 के अनुसार ाराब की बिक्री के नए लाइसेंस कहॉ-कहॉ दिए जा सकते हैं और उनकी औपचारिकताएं क्या है;

च) सरकार की ाराब की क्या नीति है और उदार ाराब नीति का क्या अर्थ

है, भविष्य में आगे आने वाले वर्ष में ाराब के लिए कितने-कितने लोगों/एजेंसियों ने कहाँ-कहाँ ाराब की दुकान प्राप्त करने के लिए आवेदन किए हैं तथा उनका विस्तत ब्यौरा क्या है; और

छ) प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अनुसार ाराब की दुकानों का पूरा ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री :-

क) दिल्ली में आबकारी विभाग द्वारा ाराब की बिक्री के लिए दिये जाने वाले लाइसेंस का विवरण अनुलग्नक 'क' पर है।

ख) अनुलग्नक 'ख' पर सूची संलग्न है। पिछले दस वर्षों में 178 सरकारी दुकानें खुली हैं।

90 एल-7 प्राइवेट दुकानें खुली है।

52 एल-10 प्राइवेट दुकानें खुली है।

ग) अनुलग्नक 'ग' पर सूची सलंग्न है, जो पुस्तकालय में उपलब्ध है।

घ) जी हॉ, कुछ अलग-अलग प्रकार के लाइसेंस एक ही परमाइसेज में दिये जा सकते हैं, दिल्ली आबकारी नियम 2010 के अन्तर्गत ऐसा प्रावधान है।

ड) ाराब की बिक्री के लिए नये लाइसेंस दिल्ली आबकारी नियम-2010 के नियम 51(9) के अनुसार ही दिये जाते हैं। नियम की प्रतिलिपि अनलग्नक 'घ' पर संलग्न है।

च) दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है :-

1. राब और अन्य मादक द्रव्यों का कब्जा, आयात, निर्यात, परिवहन बिक्री एवं खपत के ऊपर नियंत्रण एवं निगरानी रखना।

2. अवैध राब की तस्करी एवं डिस्टीलेान को रेाकना।

3. आबकारी राजस्व की रक्षा करना।

4. आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु राब के सेवन को बढ़ावा न देना।

छ) सूची अनुलग्नक 'ड' पर संलग्न है।

274. श्री करण सिंह तवर : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली में आबकारी विभाग द्वारा राब की बिक्री के लिए किस-किस प्रकार से लाइसेंस जारी किए जाते हैं;

ख) पिछले दस सालों में कितनी राब की नई दुकानें व लाइसेंस दिए गए हैं और कहाँ-कहाँ दिए गए हैं, उनका विस्तत ब्यौरा क्या है;

ग) पिछले दस सालों में प्रत्येक वर्ष के अनुसार राब की बिक्री से राजस्व प्राप्ति का कितना-कितना लक्ष्य रखा गया है और उन वर्षों में कितनी-कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई है, पूरा विवरण वर्ष वार दें;

घ) पिछले बीस वर्षों के दौरान दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र में कितनी राब की दुकानों खोली गई हैं, क्या यह सत्य नहीं है कि पिछले वर्षों के दौरान कच्ची राब के पीने से कई लोग मारे जा चुके हैं जिसके कारण उनका परिवार उजड़ गया है,

ड) मास्टर प्लॉन 2021 के अनुसार राब की बिक्री के नए लाइसेंस कहाँ-कहाँ दिए जा सकते हैं और उनकी औपचारिकताएं क्या है;

च) सरकार की राब की क्या नीति है और उदार राब नीति का क्या अर्थ है। भविष्य में आगे आने वाले वर्ष में राब के लिए कितने-कितने लोगों/एजेंसियों ने कहाँ-कहाँ राब की दुकान प्राप्त करने के लिए आवेदन किए हैं तथा उनका विस्तत ब्यौरा क्या है; और

छ) प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अनुसार राब की दुकानों का पूरा ब्यौरा क्या है, और

ज) क्या बापू के दे में राब की बिक्री के लाइसेंस देने में दिल्ली सरकार इतनी उदार क्यों है। राब की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार भविष्य में क्या कदम उठायेगी?

मुख्यमंत्री :-

क) दिल्ली में आबकारी विभाग द्वारा राब की बिक्री के लिए दिये जाने वाले लाइसेंस का विवरण अनुलग्नक 'क' पर है।

ख) अनुलग्नक 'ख' पर सूची संलग्न है। पिछले दस वर्षों में 178 सरकारी दुकानें खुली हैं।

90 एल-7 प्राइवेट दुकानें खुली है।

52 एल-10 प्राइवेट दुकानें खुली है।

ग) अनुलग्नक 'ग' पर सूची सलंग्न है, जो पुस्तकालय में उपलब्ध है।

घ) पिछले बीस वर्षों में दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र में 03 सरकारी दुकानें खोली गई हैं। यह सत्य है कि मार्च, 2009 में मंगोलपुरी में एक ऐसी ही घटना से कई लोगों की मौत हो चुकी है।

ड) नए लाइसेंस दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम-51 (9) के अनुसार ही दिये जाते हैं। नियम की प्रति अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न है। ाराब की बिक्री के लिए नये लाइसेंस (एल-6, एल-7, एल-8, एल-10, एल-12) से संबंधित औपचारिकताएं उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित ार्तों एवं नियमों के अनुसार पूरी की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए अनुमोदित ार्तों एवं नियमों की प्रतियाँ संलग्न है।

च) दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं -

1. ाराब और अन्य मादक द्रव्यों का कब्जा, आयात, निर्यात, परिवहन बिक्री एवं खपत के ऊपर नियंत्रण एवं निगरानी रखना।

2. अवैध ाराब की तस्करी एवं डिस्टीलेान को रेाकना।

3. आबकारी राजस्व की रक्षा करना।

4. आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु ाराब के सेवन को बढ़ावा न देना।

छ) सूची अनुलग्नक 'ड' पर संलग्न है।

ज) यह सरकार का नीतिगत फैसला है। दिल्ली में ाराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने हेतु अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

275. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मेन रोड पर अधिकतर ाराब के ठेले खुले हुए हैं,

ख) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि इन ाराब के ठेकों के आस-पास कई अनाधिकत कालोनी/हरिजन बस्ती/गॉव बसे हुए हैं,

ग) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि इन ाराब के ठेकों की वजह से आए दिन रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है तथा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की ाकायतें मिलती हैं, और

घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन ाराब के ठेकों को यहाँ से कब तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ, मेन रोड पर ाराब के ठेके स्थित है।

ख) आबकारी विभाग के पास कथित अनाधिकत कालोनी/हरिजन बस्ती/गाँव की सूची उपलब्ध नहीं है, तथापि सभी लाइसेंस दिल्ली आबकारी अधिनियम एवं नियम के अनुसार दिये जाते हैं।

ग) सड़कों पर जाम को खुलवाने हेतु एवं महिलाओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार की ाकायतों पर यथोचित कार्यवाही हेतु दिल्ली पुलिस उत्तरदायी है, तथापि विोष रूप से आबकारी विभाग को सूचित किये गये मामले संबंधित पुलिस अधिकारी को आवयक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किये जाते हैं।

घ) ऐसा कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

276. श्री कुलवंत राणा : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा डीडीए से रोहिणी सेक्टर-16 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से महाविद्यालयों के निर्माण के लिए 3 भूखंड प्राप्त किये हुए है। जिसमें एक भूखंड पर ाहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडिज एवं दूसरें भूखंड पर महर्षि बाल्मिकी कॉलेज बनाने की योजना है।

ख) यदि हां, तो बचे हुए एक भूखंड पर सरकार की क्या बनाने की योजना है।

ग) क्या यह भी सत्य है कि महाविद्यालय का भवन 5 वर्ष पूर्व बनकर तैयार होना था,

घ) यदि हां तो इनके भवन क्यों नहीं बन सकें इसके क्या कारण हैं, पूरा विवरण दें।

ड) इन भूमियों पर महाविद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ होगा तथा महाविद्यालयों का पहला ाक्षा सत्र कब से प्रारंभ होगा।

च) इस महाविद्यालय के निर्माण कार्य में हो रही देरी के लिए कौन जिम्मेदार हैं?

मुख्यमंत्री :-

क) डीडीए द्वारा रोहिणी सेक्टर-16 में 36804 वर्ग मीटर का केवल एक भूखंड दिल्ली सरकार को आवंटित हुआ हैं, जिसमें से 5 एकड़ भूमि

दिल्ली सरकार द्वारा ाहीन सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडिज को आवंटित की गई है।

महर्षि बाल्मिकी कॉलेज बनाने की योजना सेक्टर-17 में हैं।

ख) बचे हुए भू-खंड का समुचित उपयोग करने के लिए योजना बनाई जाएगी।

ग) जी नहीं।

घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

ड) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

277. चौधरी सुरेन्द्र कुमार : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) केन्द्रीय सर्तकता आयोग को मेरे द्वारा कितनी ाकायतें की गई।

ख) कितनी ाकायतों पर कार्यवाही की गई; और

ग) कितनी लंबित है, सूची उपलब्ध कराई जाये।

मुख्यमंत्री :-

क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा वर्ष 2011 एवं 2012 में कुल 03 ाकायतें इस निदेालय में प्राप्त हुई हैं।

ख व ग) इन सभी ाकायतों पर आवयक कार्यवाही की गई है जिसका विवरण संलग्न है।

278. चौधरी सुरेन्द्र कुमार : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) दिल्ली सरकार के विभागों के संदर्भ में मेरे द्वरा कितनी ाकायतें दी गई;

ख) कितनी ाकायतों पर कार्यवाही की गई; और

ग) कितनी लंबित हैं, सूची उपलब्ध कराई जाये।

मुख्यमंत्री :-

क) इस निदेालय एवं भ्रष्टाचार निरोधक ााखा में वर्ष 2011 एवं 2012 में कुल 21 ाकायतें प्राप्त हुई हैं।

ख व ग) इन सभी ाकायतों पर आवयक कार्यवाही की गई है जिसका विवरण संलग्न है। पुस्तकालय में उपलब्ध है।

279. श्री वीर सिंह धिंगान : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने कपा करेंगी कि :-

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में पर्यावरण में व्यापक सुधार के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं,

ख) यदि हॉ, तो सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, विवरण दिया जाए,

ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने पर्यावरण में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर दिल्ली में पेड़, पौधे लगाए हैं,

घ) यदि हाँ, तो सरकार ने किस किस विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने कितने वक्ष लगवाएं है

ड) क्या यह सत्य नहीं है कि सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में वर्षों पूर्व वक्षारोपण का अनुरोध करने के पचात अभी तक संबंधित विभाग द्वारा एक भी जगह वक्षारोपण नहीं किया,

च) क्या सरकार सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में वक्षारोपण कर क्षेत्र में हरियाली व पर्यावरण के सुधार हेतु ाघ्र कदम उठाएगी, यदि हाँ, तो कब तक, और

छ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री :-

क) जी हॉ, दिल्ली पर्यावरण में व्यापक सुधार के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं।

ख) वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए प्रयास इस प्रकार हैं :-

वाहनों से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार है :-

- सख्त उत्सर्जन मापदंडों, भारत स्टेज-4 को लागू करना।
- सार्वजनिक वाहनों (बस, टैक्सी एवं ऑटो रिक्षा) को स्वच्छ इंधन (जैसे सी.एन.जी.) पर चलाना।
- 15 साल से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों को क्रमबद्ध रूप से हटाना।
- दिल्ली में 50 पी.पी.एम. सल्फर वाला डीजल उपलब्ध कराना।

- वाहन प्रदूषण मापन-केन्द्र को सुचारू रूप से चलाना एव उन पर नजर रखना। PUC Centre का कम्प्यूटीकरण करना एवं उनको 4 गैसों को मापनें के लिए एवं ऑन लाईन करने के लिए जरूरी उपकरण लगवाना। इसके साथ दिल्ली की सीमाओं पर जरूरी संख्या में पी.यू. सी. केन्द्र खोलना।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत :

- राष्ट्रीय अनुमति के अलावा Goods Carriage Permit पर केवल स्वच्छ ईंधन से चलने वाले 3000 किलो तक के सकल भार वाले हल्के माल वाहन तथा 3000 से 7500 किलों तक के सकल भार वाले सभी हल्के माल वाहन दिल्ली के रा.रा. क्षेत्र में पंजीकरण के लिए योग्य होंगे।

- किसी भी 3000 से 7500 किलो तक के सकल भार वाले हल्के माल वाहन, जो दिल्ली से बाहर पंजीकत हैं तथा अस्वच्छ ईंधन पर चल रहे हैं, को वैध राष्ट्रीय अनुमति के अलावा दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होती तथा किसी भी मामले में दिल्ली में माल को एक जगह से दूसरे जगह में उठाने या उतारने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु Air Ambience fund एकत्रित करने के लिए रा.रा.क्षेत्र दिल्ली में, डीजल की बिक्री पर रूपये 0.25/- प्रति लीटर की दर से लेवी लगाने के निर्दे दिए गए है। इस fund को बैट्री चालित कारों एवं दोपहिया वाहनों के प्रोत्साहन के लिए वाहन की कुल लागत का 29.5 प्रतिात आर्थिक सहायता राि के रूप में दिया जा रहा है।

- पुरानी व्यवसायिक गाड़ी का स्वच्छ ईंधन में बदलने के लिए प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता देना।

- स्वच्छ ईंधन से चलने वाली नई व्यवसायिक गाड़ी खरीदने के लिए प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता देना।

- बहु तीव्र-गामी परिवहन व्यवस्था (मेट्रो रेल) को चलाना एवं उसका विस्तार करना।

- राष्ट्रीय परमिट पर चलने वाली व्यवसायिक गाड़ियों का दिन के समय दिल्ली में आने के लिए प्रतिबंधित करना।

- भीड़-भाड़ वाले चौराहों पर फ्लाई-ओवर का निर्माण करना।

औद्योगिक इकाइयों से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए की जा रही कार्यवाही इस प्रकार हैं :

- वायु प्रदषित कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण संयत्र लगवाना। अब तक 600 से अधिक औद्योगिक इकाईयों ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संयंत्र लगा दिए हैं।

- थर्मल पावर प्लांट के लिए सख्यत उत्सर्जन मापदंडो को लागू करना।

5000 सेल फोन टावर एवं 600 नर्सिग होम्स को डीजल जनरेटर सैट में चिमनी की ऊंचाई बढ़ाने के आदेा दिए गए हैं।

कोयले से चलने वाले बॉएलरों को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इस हेतु आवयक कार्यवाही की जाती है।

पत्तियों एवं कूड़े को जलाने पर रोक लगाना।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना बनाई जा रही है जिसका उद्देय परिवेी वायु गुणवत्ता मानको तक पहुंचना है।

जल प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयास इस प्रकार है:-

नालों, यमुना नदी, मल ोधक-संयंत्रों, एवं संयुक्त अवजल ोधक संयंत्र के जल की गुणवत्ता की सतत् जॉच डी.पी.सी.सी. द्वारा की जाती है।

मल ोधक संयंत्रो (एस.टी.पी.) की क्षमता का विकास किया गया है। वर्तमान में मल ोधक संयंत्रों की क्षमता 512.4 एम.जी.डी. है।

भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से यमुना कार्य-योजना के दूसरे चरण के क्रियान्वयन हेतु रू. 387.17 करोड़ की मंजूरी दी गई थी और इसक अंतर्गत प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। यमुना कार्य योजना के तीसरे चरण की विस्तत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है।

मल ोकध संयंत्रों को चलाने की कनसेन्ट ोधित अवजल की गुणवत्ता के आधार पर डी.पी.सी.सी. द्वारा दी जाती है।

औद्योगिक क्षेत्रों में 13 संयुक्त अवजल ोधक संयंत्र (सी.ई.टी.पी) स्थापित किये गए हैं।

1300 से अधिक जल-प्रदूषित औद्योगिक इकाइयों के द्वारा अवजल ोधक संयंत्र (ई.टी.पी)/मल ोधक संयंत्र (एस.टी.पी.) लगवाए गए हैं।

सभी बड़े होटलों, अस्पतालों एवं निर्माण कार्यो को अवजल ोधक संयंत्र/मल ोधक संयंत्र लगाने एवं ोधित जल का उपयोग करने का निर्दे दिया गया है। निर्माण परियोजनाओं, जिन्हे पर्यावरणीय मंजूरी की आवयकता हैं, उनमें ून्य निर्वहन तथा ोधित अवजल की 100 प्रतित पुनरावत्ति तथा पुन:उपयोग की अनिवार्य ार्त लागू की गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेानुसार आवासीय एवं गैर-स्वीकत क्षेत्र में चलने वाले प्रदूषित औद्योगिक इकाइयों को बंद कराया गया है।

जल-स्त्रोतों को बचाने के लिए अभियान चलाया जाता है।

पूरी दिल्ली को भू-जल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके तहत दिल्ली जल बोर्ड/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को अपने अपने आधिकारित क्षेत्रों में बोरवेल/टयूबवेल द्वारा भू-जल दोहन की अनुमति देने के लिए सक्षम अधिकारी निर्दिष्ट किए गए है। इसके उल्लंघन की जांच के लिए दिल्ली के हर जिले के उपयुक्त (राजस्व) को प्राधिकत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

दिल्ली सरकार, विद्यालयों एवं कॉलेजों में गठित पर्यावरण क्लबों द्वारा वर्षा जल संचयन संरचना की स्थापना को बढ़वा दे रही है।

ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयास इस प्रकार है :-

सभी सरकारी कार्यालयों, सभी कचहरी, 100 से अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों एवं 1000 से अधिक विद्यार्थियों वाले िक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरें को ांत क्षेत्र (साइलैंस जोन) अधिसूचना किया गया है।

5 के.वी.एस. से अधिक क्षमता वाले डीजल जनरेटर सेट को (ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों को छोडकर) रात में 10 बजें से सुबह 6 बजे तक चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया तथा डीजल जनरेटर सैट में ध्वनि प्रतिरोधक संयंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है।

5000 सेल फोन टावर एवं 600 नर्सिंग होम्स को डीजल जनरेटर सैट में ध्वनि प्रतिरोधक संयंत्र लगाने के आदेा दिए गए हैं।

दीपावली उत्सव के दौरान रेडियो, नुक्कड़ नाटकों, अखबारों इत्यादि द्वारा 'पटाखे ना फोड़ें' पर विोष अभियान चलाया जाता है।

कचरा प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयास इस प्रकार है :-

7.1.2009 की अधिसूचना के अनुसार होटलों, अस्पताालों, मॉल, मुख्य बाजार, लोकल ाॉपिंग सैन्टर में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

डी.पी.सी.सी. एवं अन्य विभागों द्वारा 302 पॉलीथीन बैग के नमूने उठाए गए हैं जिनमें से 248 मामलों में ाकायत दर्ज कराई जा चुकी है जिनमें से 81 मामलों में न्यायालय द्वारा अर्थदंड लगाया गया है।

कपड़े, कागज और जूट सेबने थैलियों का प्रोत्साहन व नाुल्क वितरण किया जाता है।

सरकार द्वारा टी.एस.डी.एफ को विकास हेतु कदम उठाएं जा रहे हैं।

जैव-चिकित्सिकीय अवाष्टि ोधक सुविधा संयंत्र लगाए गए हैं।

50 बिस्तर या अधिक वाले हस्पतालों को डी.पी.सी.सी. द्वारा पास आधारित उपकरणों (थर्मामीटर तथा बी.पी उपकरण) को phase out करने के लिए कहा गया है।

इमारत बनाने वाले विभाग को फ्लाई ऐ एवं इससे बनी ईटों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है।

रसोईघर से निकलने वाले जैव अवक्रमित कचरे जैसे-खाद बनाने के लिए आरगेनिक वेस्ट कनवर्टर लगाना।

निर्माण परियोजनाओं को दी जाने वाली पर्यावरणीय मंजूरी में जैव-सड़नील कचरे के उपयोग द्वारा कम्पोस्ट/बायेगैस उत्पादन के दिानिर्दे दिए जाते हैं।

विकेन्द्रीकत कचरा प्रबंधन संयंत्र की स्थापना के प्रोत्साहन के लिए गैर-लाभ संस्था एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को जैव-सड़नील कचरे से बायोगैस/बायोफ्यूल के उत्पादन के लिए 33 प्रतित अनुवत्ति दी जाती है।

दिल्ली की हरियाली के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयास इस प्रकार है :-

विगत वर्ष में वर्षा ऋतु के दौरान चलाए गए 'सिटी प्लान्ट मिलियन ट्री' अभियान के तहत विभिन्न विभाग/एजेंसी/संस्था द्वारा 14.5 लाख पौधे लगाए गए हैं इस वर्ष भी वर्षा ऋतु के दौरान 'प्लान्ट एण्ड प्रेसर्व ट्री' अभियान चलाया जा रहा है।

दिल्ली पार्क एण्ड गार्डन सोसाईटी दिल्ली के पार्क एवं गार्डन के

अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिए स्थापित की गयी है जो कि आर. डब्लू.ए./एन.जी.ओ. को पार्क एवं गार्डन के रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता देती है। अभी तक कुल 311 आर.डब्लू.ए. में 1401 पार्कों में पौधे लगावा कर रख-रखाव किया जा रहा है।

वन विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा पर्यावरण के सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :-

- वक्षारोपण

- सद्यन वनों का विकास

- डीग्रेडेड वन भूमि का घनीकरण

- नदी, नालों एवं सड़कों के किनारे वक्षारोपण

- अधिसूचित वन क्षेत्रों का संरक्षण एवं संवर्धन

- पौधों का नि:शुल्क वितरण

- वनों के अधिनियमों का अनुपालन

ऊर्जा संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन पर दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयास इस प्रकार है :-

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के आधार पर दिल्ली राज्य कार्य योजना बनाई गई है।

सभी नवनिर्मित सरकारी इमारतों में ऊर्जा संरक्षण इमारत कोड का कार्यान्वयन अनिवार्य किया गया है।

दिल्ली सरकार नए इमारतों में 3 तारा GRIHA रेटिंग अपना रही है।

ऊर्जा संरक्षण की दिा में अन्य प्रयासों में छत पर सौर बिजली उत्पादन, सी.एफ.एल व एल.ई.डी. का प्रयोग, ग्रीन बिल्डिंग प्रौद्योगिकी आदि ाामिल है।

50 बिस्तर या अधिक वाले हस्पतालों को डी.पी.सी.सी द्वारा सौर जल तापन प्रणाली, वर्षा जल संचयन तथा सामान्य बल्ब का सी.एफ.एल./ऊर्जा कुाल लाईट्स द्वारा प्रतिस्थापन के लिए कहा गया है।

जन-जागरण अभियान :

प्रदूषण के दुष्प्रभावों एवं पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर जनजागरण हेतु दिल्ली के करीब 2000 से अधिक स्कूलों एवं कॉलेजों में पर्यावरण क्लब स्थापित करवाए गए हैं।

पर्यावरण क्लब द्वारा स्कलों एवं कॉलेजों में वर्मी-खाद्य, मारूम की खेती, वर्षा जल संरक्षण संरचना, सार जल तापन प्रणाली व कागज़ पुर्नचक्रण संयंत्र स्थापित कराए गए हैं।

पर्यावरणीय अनुकूल थैलों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता हैं।

जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न जन जागरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि

- हरित दिल्ली अभियान, पटाखों को ना कहें, खेलों होली नेचुरली, प्लास्टिक बैग को ना कहें आदि।
- हर वर्ष विव पर्यावरण दिवस, वन्यजीव सप्ताह, विव वानिकीय दिवस इत्यादि मनाये जाते हैं।

– पर्यावरण के विभिन्न विषयों पर सेमिनार आयोजित किये जाते हैं, जिसमें इको क्लब स्कूलों एवं आवासीय कल्याण संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं की भागीदारी होती है।

ग) जी हॉ, सरकार ने पर्यावरण में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर दिल्ली में पेड़, पौधे लगाए हैं।

घ) वन विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा पौधा रोपण का विधानसभा क्षेत्रवार ब्यौरे का संकलन नहीं किया जाता है। वन विभाग एवम् अन्य हरित निकाईयों द्वारा विगत् वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख पौधों का रोपण किया जाता रहा है एवम् वर्ष 2011–12 में कुल 17.34 लाख पौधों का रोपण किया है, जिसमें 7.77 लाख पौधों का नि:ुल्क वितरण सम्मिलित है।

विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनानुसार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लगवाए गए वक्षों का विवरण निम्नलिखित है :–

दिल्ली पार्क्स एवं गार्डनस सोसाईटी द्वारा दिल्ली में विभिन्न आर.डब्लू. ए./विद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में 7 लाख पौधे लगवाए गए हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा उनके आधिकारित क्षेत्र में इस वर्ष 5155 वक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे कॉलोनी पार्क, स्कूल, सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त सूचनानुसार ाहदरा उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में इस वर्ष लगाए गए वक्षों की सूची संलग्नक 'क' में है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त सूचनानुसार उनके आधिकारित क्षेत्र में इस वर्ष लगाए गए वक्षों की सूची संलग्नक 'ख' में है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा उनके आधिकारित क्षेत्र में 49300 वक्ष लगाए गए है।

लोक निर्माण विभाग (उद्यान मंडल एम-114) द्वारा प्राप्त सूचनानुसार उनके अधिकत क्षेत्र में लगाए गए पौधोंकी सूची संलग्नक 'ग' में है।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा बवाना औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख वक्ष, नरेला औद्योगिक क्षेत्र में लगभग पचास हजार वक्ष एवं भोरगड़ फेज-2 में लगभग 18 हजार वक्ष लगाए है।

इसके अतिरिक्त तीनों नगर निगमों में उद्यान विद्यान द्वारा निम्नलिखित पार्कों का रखरखाव किया जाता है:

उत्तरी दिल्ली नगर निगम : 5500

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : 6400

पूर्वी दिल्ली नगर निगम : 1964

ड) वन विभाग द्वारा सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष 10763 पौधों का नि:शुल्क वितरण किया जा चुका है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त सूचनानुसार सीमापुरी विधानसभा में पेड़-पौधे लगाए गए हैं, जिनकी सूची संलग्नक 'क' में है।

दिल्ली पार्क्स एवं गार्डन्स सोसाईटी द्वारा सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में 08 आर.डब्लू.ए. को 28 पार्कों के रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता दी गई है एवं सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 8478 पेड़-पौधे लगवाए गए हैं।

च) जी हॉ, वक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है तथा आगे भी और वक्षारोपण किया जा रहा है।

छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 280 के अंतर्गत विषय उल्लेख के मामले लिए जायेंगे। सबसे पहले श्री नसीब सिंह जी।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूर्वी दिल्ली की मेयर के बयान की ओर दिलाना चाहता हूँ जिन्होंने स्ट्रीट लाइट को लेकर बयानबाजी की है। अध्यक्ष जी, मैं भी पूर्वी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी जो (रेवेन्यू) डिपार्टमेंट में आती है उसका चेयरमैन रहते हुए समय समय पर हम लोग रात को स्ट्रीट लाइट को चैक करते हैं और यह बयान पूरी तरह से बेबुनियाद है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और कोई काम जनता के हित में करने के लिए मिलता तो वो दिल्ली सरकार को कोसने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ एमसीडी के अंदर सिर्फ एक समिति काम करती है वो नामकरण समिति है और उस नामकरण समिति के अलावा सब लोग झूठी बयानबाजी करते हैं अध्यक्ष जी, यह मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि कुछ परसनटेज जरूर हो सकती है कि बारिा के कारण, पानी के कारण स्ट्रीट लाइट में फर्क हो सके, लेकिन रेग्युलर तौर पर हर महीने नगर निगम के निगम पार्षद अपने आप में स्ट्रीट लाइट अपने क्षेत्र में

ठीक होने का सर्टिफिकेट देते हैं और उस सर्टिफिकेट के मुताबिक ही स्ट्रीट लाइट का रख-रखाव करने का बीएसईएस हो या और दूसरी कंपनी हो उनका पूरी तरह से ब्यौरा रखते हैं। अध्यक्ष जी, एमसीडी के मेयर का जो दफ्तर है, वो पूरी तरह से राजनीतिक दफ्तर बना दिया है और कोई काम है ही नहीं सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी, एक इतना अच्छा पूर्वी दिल्ली में उनको एक ऑडिटोरियम था डीएसआईआईडीसी का उसको देने के बाद उन्होंने कहा कि इस हॉल में बराबर तो हॉल है वो, उन्होंन कहा कि इसमें हम हाउस नहीं चलायेंगे और उस हाउस को टेंटों में चलायेंगे इस तरह की बयानबाजी करते रहने से भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग जो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने चाहिए और एमसीडी के जो कार्य हैं उनको करने का दायित्य निभाना चाहिये तो यह झूठे बयानबाजी करते रहने से अच्छी बात नहीं है। यह दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ मेयर के उस बयान की कड़ी निंदा करता हूँ और उन्हें एक सुझाव देता हूँ कि अगर उन्हें कोई काम करने को नहीं मिल रहा है तो वो अपने घर में बैठ कर, अपने क्षेत्र में बैठ कर लोगों की समस्याएँ पूछने का काम करें कि, सफाई करवायें, खास तौर से हाउस टैक्स जो कि आज 65 परसेंट लोग हाउस टैक्स नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी 65 परसेंट लोग। अगर नगर निगम चाहे तो 65 परसेंट लोगों से हाउस टैक्स ले लो तो इनकी जो आर्थिक हालत है वो भी सुधर सकती है। उसी तरह से अध्यक्ष जी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट एक सिर्फ उगाही का केन्द्र बनाया हुआ है इन्होंने इसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से इनका काम करने का तरीका हो रहा है हमारे 200 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 200 करोड जो एमएलए हैड है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आज छह महीने हो गए हैं हमारा बजट दिए हुए अध्यक्ष जी, एक भी काम एमसीडी नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी डायरेक्शन खास तौर से यहाँ पर यूडी मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो समीक्षा करे कि एमसीडी कर क्या रही है। अगर वो इस तरह के कार्यकलापों में, जो उसकी जरूरी चीजें होनी चाहिए, उस पर काम नहीं कर

रहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जिसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाने की जरूरत है। मैं मंत्री जी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं एमसीडी में जिनकी सीबीआई इंक्वायरी करने की जरूरत है। अगर आप करेंगे तो अपने आप में एमसीडी में जो हो रहा है, उससे दिल्ली की जनता अपने आपको ठगी हुई महसूस करेगी कि जिन लोगों को इन्होंने बैठाया था, हमने बैठाया था उनकी वजह से दिल्ली में क्या हो रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री दयानंद चंदीला जी।

श्री दयानंद चंदीला ए. - आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्यमंत्री जी और दिल्ली सरकार के हरी विकास मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र में राजौरी गार्डन में बड़ै पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वार्ड नंबर 105, 106, 107 और 108 में अगर कोई व्यक्ति रिपेयर करे और पुलिस व कारपोरेान को पैसा ना दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन 4-4, 5-5 मंजिल के मकान बगैर किसी नक्शे के और गलत तरीके से बनाए जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अध्यक्ष महोदय, अभी 15 दिन पहले मैं स्वयं एक गली से जा रहा था मैंने देखा कि एक मकान की दो मंजिल डेढ़ फीट मकान से बाहर की ओर आ रही हैं। मैंने खुद कारपोरेान के लोगों को बुलाया और वहाँ स्थानीय लोगों के सहयोग से लोहे के गार्डर वगैरहा लगाकर उस सड़क को बंद करवाया और उन तीन मंजिलों को तुड़वाया। इस सम्बन्ध में किसी अखबार में कोई किसी भी तरह का कोई विवरण कारपोरेान ने उसका नहीं आने दिया। क्योंकि उसमें 4 लाख रूपये की लेन-देन दिल्ली नगर निगम और स्थानीय पुलिस विभाग द्वारा किया गया। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे अवैध निर्माण के ऊपर रोक लगाई जाए, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : चौ. मतीन अहमद साहब।

चौ. मतीन अहमद : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान शिक्षा निदेशालय में प्रयोगशाला सहायक के भारी संख्या में रिक्त पड़े पदों की ओर दिलाना चाहता हूं। इन प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती दिल्ली सरकार में कार्यरत चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नोति के आधार पर की जाती है। ये चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी कई वर्षों तक अपने कार्यकाल में इसी आधार पर कर्मठता के साथ अपनी नौकरी करते रहते हैं, एक दिन उन्हें भी प्रयोगशाला सहायक बनने का अवसर जरूर मिलेगा। पिछले काफी समय से शिक्षा निदेशालय में प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पड़े पदों में इन कर्मचारियों की पदोन्नति समय पर न होने के कारण इनमें घोर निराशा घर करती जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि जब कभी भी प्रयोगशाला सहायक के पद पर इन कर्मचारियों की पदोन्नति की जाती तब यदि 500 पद रिक्त हैं तो उन पर सिर्फ 100 या 150 कर्मचारियों को ही पदोन्नति दी जाती है। क्या यह संभव नहीं है कि प्रयोगशाला सहायक के जितने पद रिक्त हैं उन सभी पदों को एक साथ पदोन्नति कर भर दिया जाये। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि शिक्षा निदेशालय द्वारा इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरवाने का कष्ट करें जिससे इन कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिल सके और इनमें हो रही निराशा को दूर किया जा सके, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, यदि आपकी अनुमति हो तो, जो विषय श्री मतीन अहमद जी ने उठाया है उसके बारे में मैं बततना चाहूंगी कि अब पदोन्नति के बाद स्थिति यह है कि 493 जो पर रिक्त थे उनमें से 415 पदों पर पदोन्नति के बाद नियुक्तियां कर दी गई हैं जो बाकी रिक्त स्थान हैं उनको भी जल्द ही भर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : चौ. सुरेन्द्र कुमार।

चौ. सुरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन व मुख्यमंत्री का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। पानी के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में त्राहि त्राहि मची है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर विहार, टूंडा नगर, जगदम्बा कालोनी व जौहरीपुर में करीब दो साल से पानी नहीं आ रहा है जबकि वे लोग पानी का बिल भी देते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए ब्रजपुरी रोड़ से जो कि मेरे क्षेत्र में ही पड़ती है, एक पाइप लाइन उपरोक्त कालोनियों के लिए डाली जाए ताकि इन कालोनियों में रहने वाले लोगों की पानी मिल सकें। मैं आपके संज्ञान मे लाना चाहता हूं कि मुस्तफाबाद में पहले ही दो पाइप लाइन डली हुई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो पाइप लाइन डाली जा रही है वह मेरी विधान सभा के लिए डाली जाये क्योंकि जो पुरानी लाइन है उसमें से मेरी विधान सभा क्षेत्र की कालोनियों को केवल तीन टी जाती हैं जब कि उसमें से 16 टी मुस्तफाबाद क्षेत्र को मिलती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रजपुरी रोड पर जो पाइप लाइन डाली जाती है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की कालोनियों में पानी पहुंच सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अधिकारियों को आदेा करें कि यह पाइप लाइन गोकुलपुरी विधान सभा क्षेत्र के नाम से डाली जाए तथा इसी क्षेत्र के अधिकारी द्वारा डाली जाये ताकि पानी की समस्या से लोगों को राहत मिल सके तथा वे भी गंगाजल पी सकें। जो पाइप लाइन गोकुलपुरी नाले डाली गई है उसमें भी कम से कम 4 घण्टे पानी देने की कपा करें ताकि पानी कालोनियों की आखिरी छोर तक पहुंच सके। इन कालोनियों में भी 4-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है तथा कम प्रेार, खराब जेनरेटर, बिजली नहीं है, आदि का बहाना बनाकर टाल दिया है। जो पानी जगदम्बा कालोनी के लिए आता है वह सोनिया विहार प्लांट से आता है जो कि वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे क्षेत्र की पानी की समस्या

का समाधान मुख्यमंत्री जी से कहकर करवाएं, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान यमुनापार के सबसे बड़े जीटीबी अस्पताल की ओर दिलाना चाहता हूं। जीटीबी अस्पताल में रोज 5-6 हजार मरीजों की ओपीडी होती है और लगभग 14-15 सौ लोग इस अस्पताल में नियमित रूप से भर्ती रहते हैं। अध्यक्ष जी, मरीजों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद इस अस्पताल की आईसीयू में मरीजों के लिए केवल 6 वेंटीलेटर हैं, जो कि बहुत कम हैं। कई बार हमारे पास जो लोग आते हैं हम उनकी सिफारिश करते हैं मंत्री जी से भी कहते हैं, अस्पताल के एमएस से और डाक्टर्स से कहते हैं वे अपनी व्यवस्था बताते हैं कहते हैं कि यहां जगह नहीं है हम कहां भर्ती करें। मैंने देखा है इस अस्पताल के डाक्टर्स, आईसीयू के लिए पैंट को रिकमेंड कर देते हैं, किन्तु आईसीयू में बैड खाली नहीं होने के फलस्वरूप मरीज तो तड़पते ही हैं साथ-साथ उनके तीमारदार व परिवार के लोग भी बेहद दुखी एवं तनाव में रहते हैं। कई बार तो वेंटीलेटर्स की भारी कमी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने सभी क्षेत्रों में बेहद तरक्की की है। परन्तु जीटीबी अस्पताल में वेंटीलेटर न होने से जब मरीजों की जान चली जाती है तो हमारी तरक्की पर सवाल उठते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहां आईसीयू की क्षमता बढ़ाई जाए और वहां कम से कम 25 वेंटीलेटर होने चाहिए ताकि वहां के मरीजों की ठीक से देखरेख हो सके और उन मरीजों की जान बच सके। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस पर कुछ कहें और जीटीबी अस्पताल में इनकी संख्या बढ़ाएं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, जवाब देंगे।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बिल्कुल सही है कि जीटीबी अस्पताल पर बहुत ज्यादा प्रेार है। वैसे भी हमारे जितने अस्पताल जो कि बड़े अस्पताल हैं हम उनमें हिदायत दे रहे हैं कि आईसीयू बैड बढ़ाए जाएं और उसके साथ-साथ वेंटीलेटर भी बढ़ाए जाएं। हमारा यह पूरा प्रयास होगा कि महीने दो महीने में हम इस काम को पूरा करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री अरविन्दर सिंह जी।

श्री अरविन्दर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी द्वारा अनौथराइज कालोनियां पास करने के लिए देवली विधान सभा क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे क्षेत्र में दो ही मेजर समस्याएं है एक तो अनौथराइज कालोनी वाली मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हमारी सारी अनौथराइज कालोनियां पास हो जाएंगी। दूसरी पानी की समस्या है। इसमें विधान सभाओं में इक्वल डिस्ट्रीब्यून हो जाता है जैसे मेरे यहां देवली में आबादी ज्यादा है।

साथ में जो अम्बेडकर नगर की कांस्टिटयूएन्सी है, वहाँ दिन में दो बार आता है, मुझे दो दिन में एक बार मिलता है। अगर इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से कोई आवासन दें कि डिस्ट्रीब्यून ऑफ वॉटर मेजर समस्या है हमारे क्षेत्र में, अगर उसका कुछ हो सके तो। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

नियम - 107 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मुको ार्मा जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्तावित दिल्ली पुलिस विधयक, सर इसमें थोड़ा मिसप्रिन्ट हो गया है, कि प्रस्तावित दिल्ली पुलिस विधेयक, 2012 को दिल्ली विधान सभा को विवास में लिये बिना

जल्दबाजी में पारित न किया जाये और ये सदन भारत सरकार से सिफारि भी करता है कि इस विधेयक को दिल्ली विधान सभा में विस्तत चर्चा के लिए भेजा जाये और सदन के सुझावों को विधेयक के प्रस्तावित प्रावधानों में जनहित में ाामिल किया जाये। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा नियम-107 में प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूॅ कि पिछले 19 वर्षों में निजी सदस्यों के संकल्प के दिन यह पहला मौका है जब आपने एक अति गंभीर और एक ऐसे विषय पर प्रस्ताव लाने की अनुमति दी है, जो विषय न केवल दिल्ली के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जो विषय न केवल दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली की सरकार के अधिकारों से जुड़ा हुआ है, बल्कि वह विषय दिल्ली की आने वाली जनरेान और दिल्ली का भावी स्वरूप क्या होगा और उस वक्त जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात समय समय पर उठती रही है और पूर्ण राज्य का दर्जा यदि और राज्यों की तरह न दिए जाने की बात केन्द्र सरकार मानती है, तो उसका कारण सिर्फ एक होता है कि दिल्ली में अगर और राज्यों की तरह बिहार, उत्तर प्रदेा की तरह दिल्ली की सरकार को अधिकार दे दिये गये तो दिल्ली में चूंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में भारत की देा के तमाम मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं, दिल्ली में महामहिम भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, दिल्ली में संसद है। ये औचित्य देकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा इसलिए नहीं दिया जाता कि कल कोई चीफ मिनिस्टर या कोई दिल्ली की चुनी हुई सरकार पूरे सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सेट-अप को पैरलाइज न कर दे।

अध्यक्ष महोदय, ये विषय जिस पर प्रस्तावित बिल 2012 दिल्ली पुलिस का आया है, यह अचानक नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, 5 मार्च 2010 को भी दिल्ली पुलिस ने कोाि की और एक दिल्ली पुलिस अमेन्डिड बिल लाया गया और अध्यक्ष महोदय, जो दिल्ली पुलिस 1978 के पुलिस बिल में चल रही है, 1978 में जब ये पुलिस बिल बनाया गया, उस वक्त बहुत जल्दबाजी में बिल बनाया गया। इसमें बहुत सी खामियां थी

और खामियां होने के साथ साथ 1978 के पुलिस बिल में यदि सबसे बड़ी कोई खामी थी, और वह खामी इतनी बड़ी खामी है कि जो न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, दुनिया के किसी लोकतंत्र में ये संभव नहीं है कि जो पुलिस वाला अपराधी को पकड़ेगा, वही उसकी जमानत देगा। जो ऑफीसर होगा, वही उसे गिरफ्तार करेगा, और उसी को उसका 15 दिन जेल भेजने का अधिकार भी होगा, मुख्यमंत्री जी और यदि वह चाहे तो उसी को उसको दो घण्टे में रिलीज करने का अधिकार भी होगा। ऐसा बेतुका नियम कहीं हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया में नहीं है। अण्डर सैक्शन 107,151 जिसके अंतर्गत पुलिस जिसको चाहे जब चाहे उठाकर बंद कर देती है और 1978 का जो दिल्ली पुलिस एक्ट है, उस एक्ट के तहत स्पेाल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पॉवर दिल्ली पुलिस के एसीपी को दे दी गयी। हमारे अधिकारों का अतिक्रमण कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, धारा-107,151 में प्रावधान है कि किसी भी रीफ आदमी को उठाकर बंद कर दिया जाये, 15 दिन तक उसकी जमानत लेनी या नहीं लेनी ये अधिकार केवल एसीपी को है। उस पर अदालत भी इन्टरवीन नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, 1978 में एक्ट पास हो गया क्योंकि दिल्ली में कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी। 107/150 में कलन्दरे काट दिए जाते हैं। ऐसे और कई सैक्शन हैं जिसमें पुलिस ने 1978 में अधिकार ले लिया। अध्यक्ष महोदय, 1991 में स्व. राजीव गांधी जी ने दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार देने का विधेयक संसद में पारित किया जीएनसीटी एक्ट बना और संविधान के आर्टिकल 259 एए के अंदर हमें अधिकार दिए गए और सिर्फ हमारे से दो रिजर्व सब्जेक्ट रखे गये लैण्ड और लॉ एण्ड ऑर्डर। लॉ एण्ड ऑर्डर की हिंदी अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था का मतलब, जो डेफिनेान कानून व्यवस्था की है। कानून व्यवस्था की डेफिनेान ये नहीं है कि मैं मकान की मरम्मत कर रहा हूँ तो पुलिस आयेगी और मेरे मकान की मरम्मत रूकवा देगी। कानून व्यवस्था की डेफिनेान ये नहीं है कि कोई गरीब आदमी अपने मकान में पानी का हैण्डपंप लगाायेगा तो उससे रिवत ली जायेगी। कानून व्यवस्था की डेफिनेान ये कहीं

किसी किताब में नहीं लिखी कांस्टिटयून में कि यदि कोई आदमी अपने मकान में लैण्टर डालेगा तो उसको एक लाख रूपये देने पड़ेंगे। लॉ एण्ड ऑर्डर की डेफिनेान सीधी सीधी है आप आंतकवाद को रोकिए, आप दिल्ली में यदि कोई मर्डर होता है, उसको रोकिए, आप चैन स्नैचिंग को रोकिए। आप रेप यदि कोई कर रहा है, उसको रोकिए। आप कानून व्यवस्था को संभालिये। लेकिन आज अध्यक्ष महोदय, माफ करना लॉ एण्ड ऑर्डर की डेफिनेान यदि कोई बन गयी है तो पहली डेफिनेान दिल्ली में यह है कि यदि कोई गरीब आदमी अगर मकान की मरम्मत कर रहा है तो उस पर डण्डा कैसे चले? यह लॉ एण्ड आर्डर की डेफिनेान नं. वन। दूसरी डेफिनेान लॉ एण्ड ऑर्डर है कि यदि कोई हैण्डपंप लगा रहा है उसको रोक दो डेफिनेान न. 2 कोई गरीब आदमी एमसीडीका लाइसेंस लेकर अपनी दुकान चला रहा है, तो उसकी दुकान कितने बजे खुलेगी ये लॉ एण्ड आर्डर आज कल है। अब ये लॉ एण्ड आर्डर नहीं है कि कहां पर टैररिस्ट हैं, कहां पर गुण्डे हैं, कहां पर बदमाा हैं, कहां पर हिस्ट्री ाीटर हैं। वो सब ला एण्ड ऑर्डर से चीजें निकल चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, 1978 के उस एक्ट को हम आज तक झेल रहे हैं। बड़ी मुकिल से 2010 मार्च में दिल्ली पुलिस को समझ में आया कि एक अमेन्डिड बिल लाना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, वह अमेन्डिड बिल जब आया तो यह उससे भी खतरनाक बिल आया। 3/4 सैक्शन्स की उसमें इन्होंने काट-छांट की। मुख्यमंत्री का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूॅ। मई महीने में दिल्ली सचिवालय में एक कन्वेनन बुलाई गयी। उस कन्वेनन में एक्सपर्ट बुलाये गये। उसक साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीजीपी थे, उनको बुलाया गया। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जो हमारे एक्स कैबिनेट सैक्रेटरी, भारत सरकार के हैं, उनको बुलाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें 4 लाइन श्री आर.के. ओझा जी की, आहूजा जी जो रिटायर्ड हमारे कैबिनेट सैक्रेटरी (कोऑर्डिनेान) थे भारत सरकार के उन्होंने उस कन्वेनन के बारे में क्या कहा था, यह मैं पढ़ कर सुना रहा हूॅ। "It was stated that Delhi Police Act, 1978 was sent in a great hurry and that time, he was Deputy Commissioner and Dis-

trict Magistrate in Delhi. There was an exception that in three to four year, amendment would be carried out depending on the situation and experience.

अध्यक्ष महोदय, बड़े स्पष्ट ाब्दों में उन्होंने कहा, इसके साथ साथ विनीता राय जी जो मेम्बर सैक्रेटरी थी सैकेण्ड रिफार्म कमीान की, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाये इस कन्वेनन में श्री अजीत बसायत जी जो हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, भारत के उनको मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बाकायदा कमेन्टस पास किए। हमारे प्रकाा सिंह जी जो एसपीजी यूपी के थे, उन्होंने इस पर कमेन्टस दिए। अध्यक्ष महोदय, ये कमेन्टस देने के बाद सरकार से जो हमें इनसे मसौदा मिला। उन अमेन्डिड बिल में होना तो यह चाहिए था कि उस अमेन्डिड बिल में हमारे सुझाव डाले जाते, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं पता कि कौन लोग वहां पर बैठे हैं, या वे लोग वहां बैठे हैं जो so called civil society आजकल दे को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। कौन ऑफीसर्स इस बिल को बना रहे थे, उन्होंने हमारे सजेान्स को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और एक बहुत बड़ा षडयंत्र किया गया 2012 में अमेंन्डिड को स्वैप करके एक नया बिल कम्पलीट, पूरा कम्प्रिहैन्सिव बिल 2012 दिल्ली पुलिस बिल ये ले जाये अध्यक्ष महोदय, ये विषय कोई कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, किसी भी संस्था को ये अधिकार नहीं है कि वह दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अपमान करे। मैं मुख्यमंत्री जी आपका आभार व्यक्त करता हूँ इस बात के लिए कि 2020-21 मास्टर प्लान बनाना भी हमारा अधिकार नहीं था। 2020-21 का जो मास्टर प्लान बना, आपके हस्तक्षेप के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान को दिल्ली विधान सभा में डिस्कस किया गया। हमारे सुझावों को मास्टर प्लान में ाामिल किया गया। जब दिल्ली का मास्टर प्लान इस असेम्बली में डिस्कस हो सकता है तो पुलिस बिल इस असेम्बली में डिस्कस क्यों नहीं होना चाहिए जो दिल्ली से रिलेटिड है।

जो दिल्ली के लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज इस प्रस्ताव को लाने की आवयकता पड़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम सख्त ाब्दों का इस्तेमाल करता हूँ लेकिन आज इस पुलिस बिल के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूॅ और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि ये बिल अध्यक्ष महोदय, ये बिल प्रपोज बिल किसी भी तानााह द्वारा किसी चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक षडयंत्र के रूप में मैं इसको देखता हूॅ। जो इस बिल में प्रोविजन हैं, अगर वो बिल बगैर डिस्कस हुए असेम्बली के पास हो गया गलती से तो अध्यक्ष महोदय, इस चुनी हुई सरकार के मायने नहीं रहेंगे। कोई भी दिल्ली का पुलिस कमिनर कभी जब चाहेगा, जब कभी उसका दिमाग फिर गया वो परवेज मुार्रफ साहब की तरफ डिक्टेटरापि दिल्ली में लागू कर देगा। तमाम अधिकार छिने जा रहे हैं और उन अधिकारों का हनन हो रहा है। आर्टिकल 238 एए के अंदर जो लिस्ट हैं, उसमें केवल 6 धाराओं को छोड़कर 60 के करीब धाराएं हैं जिसमें दिल्ली सरकार को नियम कानून बनाने का अधिकार है। उन पर अतिक्रमण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन के तौर पर यह कहना चाहता हूॅ कि हमारी चुनी हुई सरकार को इस दिल्ली पुलिस बिल के माध्यम से जो अधिकार हमारे हैं, वो पुलिस अतिक्रमण करना चाहती है। जैसा मैंने कहा 107,51 में बंद ये करेंगे। बंद भी ये करेंगे, छोड़ेंगे भी ये। अध्यक्ष महोदय, सैक्न 145 सीआरपीसी की धारा 145 जिसमें एसडीएम को अधिकार है कि वह किसी भी डिस्प्यूटिंग प्रोपर्टी को झगड़ा तनाव की स्थिति में सील कर सकता है। आज दिल्ली पुलिस इस बिल में कह रही है कि धारा 145 का अधिकार भी दिल्ली पुलिस का होगा, आपके एसडीएम का कोई मतलब नहीं है। हमारे मजिस्ट्रेटी पॉवर हमारी जो मिनिस्ट्रियल पॉवर है, हमारे डिपुटी कमिनर की हमारे डीसीज की एसडीएम की, उन पॉवर को छीना जा रहा है अध्यक्ष महोदय, आज। अध्यक्ष महोदय, सहन करने लायक बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये सीधा सीधा जिन लोगों ने बिल बनाया है, उन लोगों के खिलाफ सदन की अवमानना का मामला, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनता है। अध्यक्ष महोदय, कोई तरीका नहीं है, दिल्ली में चुनी

हुई सरकार के बगैर आप कोई ड्राफ्ट बिल पब्लिक डॉमिन में डाल देंगे और दिल्ली में तनाााही फैला देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी स्टेट लिस्ट है, उसके अंदर सीधे तौर पर हमें अधिकार है बनाने एक एन्ट्री लिस्ट 13, 15, 26, 27, 31, 33, और 34 सीधा सीधा हमारी एन्ट्री लिस्ट पर इन नम्बरों पर पूरे तरीके से डाका डाला गया है। अध्यक्ष महोदय, 13 नम्बर में क्या है? ट्रैफिक सिस्टम और नो एन्ट्री से संबंधित है। 13 नम्बर। स्टेट सब्जेक्ट है, हमारा अधिकार है। माननीय मंत्री जी, आप सहमत होंगे मेरी बात से। आज दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये 13 नम्बर हमारा अधिकार है। उस स्टेट लिस्ट को चैलेंज किया जा रहा है जिस संविधान को हम मानते हैं, जिस संविधान के दायरे में हम बैठे हैं यहाँ पर, जिस संविधान के दायरे में दिल्ली की विधान सभा बनी है। जिस संविधान पर भारत के राष्ट्रपति के साइन हैं और जिन भारत के राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से नियम और कानून बनते हैं, उसकी अवहेलना हो रही है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 15 नम्बर क्या है, जानवरों को सरंक्षण देने संबधी। दिल्ली पुलिस कह रही है कि जानवरों को भी हम संरक्षण देंगे। वो वाइल्ड लाइफ एक्ट बाकायदा दिल्ली में दो में सैन्ट्रल एक्ट है। दिल्ली का अलग से एक्ट है। उसका वॉयलेान। अध्यक्ष महोदय, 26 क्या कह रहा है? अजीब तमाा है अध्यक्ष महोदय। व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण। दिल्ली की व्यापारिक गतिविधियों पर पुलिस का नियंत्रण होगा। सेल्स टैक्स विभाग भी ये ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुको जी, समअप कीजिए।

श्री मुकेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इससे जरूरी कोई विषय नहीं है। मैं यह समझता हूँ। अध्यक्ष महोदय, 27 में क्या है? सभी उपभोक्ता संबंधी उत्पादन व उसकी वितरण व्यवस्था। कोई कमिनर फूड एण्ड सिविल सप्लाई की जरूरत नहीं है। यही पकड़ेंगे, यही छोड़ेंगे। एक हमारे पास मुख्यमंत्री जी एस्मा है। हमारी सरकार जब डीटीसी में ड्राइवर्स की स्ट्राइक हुई, मुझे याद है एस्मा लगाकर दिल्ली की बसें चलाई गयी थी।

आज एस्मा को लेने की बात की जा रही है कि एस्मा भी लगाने का काम दिल्ली पुलिस का होगा। ये इस लिस्ट में 27 नम्बर में इस एक्ट में अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पुलिस ये कह रही है। अध्यक्ष महोदय, 31 नम्बर, होटल व्यवसाय। जिसमें रहने की व्यवस्था। आज भी दिल्ली पुलिस उसको एवेल कर रही है। जबरन धन वसूली के लिए ये सारे एक्स्ट्रा ये वॉयलेान कर रहे हैं। किसका अधिकार है होटल्स को लाइसेन्स देने का? हमारा अधिकार है। आज दिल्ली पुलिस कह रही है कि होटल के लाइसेंस भी हम देंगे, रेस्टोरन्ट के लाइसेन्स भी हम देंगे। फिर हम क्या करेंगे अध्यक्ष महोदय, यहाँ, हम किसलिए बैठे हैं। आपका काम है लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करना। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ 33 नम्बर जो ाामिल होगा। उसमें कोई भी चीज हो। दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आ गया। जो भी मनोरंजन के साधन होंगे चाहे वो जिम हो कोई भी चीज है। उन सब को लाइसेंस दिल्ली पुलिस देगी। यह दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आयेगा। अध्यक्ष महोदय, घर से निकलना है तो दिल्ली पुलिस से पूछना पड़ेगा कि मुझे घर से निकलना है या नहीं निकलना। हमारे तमाम अधिकारों की अवहेलना हो रही है। 34 नंबर सट्टा और जुआ, सट्टा और जुए का पकड़ना पुलिस का काम है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, क्षमा करयेगा। सट्टे और जुए कहाँ-कहाँ पर चलते हैं। इसका डाइरैक्शन देने का अधिकार मेरे एसडीएम को होगा। यह हमारी स्टेट लिस्ट का चैप्टर है। इसको दिल्ली पुलिस कैसे टेक ओवर कर सकती है। यह हमारा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, टैफिक पुलिस क्षमा करना जो चालान मुख्यमंत्री जी जितना बड़ा चालान आज रेड लाइट तोड़ने का है। आप कानून को मानती हैं। आप बैल्ट बाँधकर चलती हैं। दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे बैल्ट बांधकर नहीं चलते। आज कितना बड़ा चालान है। माफ करियेगा, रोज़ करोड़ो रूपये का रेवेन्यू चालान के माध्यम से इकट्ठा हो रहा है। क्या दिल्ली की सरकार का उस रेवून्यू में हिस्सा नहीं है। क्या हमें उसका हिस्सा, हमें उस स्टेट लिस्ट को, उसकी ोयरिंग मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। वो ोयरिंग हम को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अध्यक्ष जी, मज़े की बात है। दिल्ली पुलिस

को रान मनी हम देते हैं। हमारी सरकार दे रही है। हमारा खाना खाओगे और हमें ही गुर्राओगे। हम दिल्ली पुलिस को रान मनी देंगे। हम दिल्ली पुलिस की सुविधाओं का इंतजाम रखें। उत्तर प्रदेा बॉर्डर पर झगड़ा हो। हमारे डी.सी. जाकर सी.एण्ड जी के पम्प को बचायें। हमारे एस.डी.एम रात को जाकर वहाँ पर खड़े होकर आपका लॉ एण्ड आर्डर Maintain करें और आप हमारे अधिकारों का हनन करेंगे। अध्यक्ष जी, हम चुप बैठे रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस, मैं मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने एम.सी.डी. को split किया है। 1978 में दिल्ली की आबादी क्या थी। 2007 में दिल्ली पुलिस मान रही है कि 65 परसेंट आबादी बढ़ चुकी है। आज दिल्ली expand हो गई है। पहले कभी नई दिल्ली हुआ करती थी, पुरानी दिल्ली हुआ करती थी। आज अध्यक्ष महोदय, नरेला दिल्ली पुलिस के डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं और आपको बधाई देता हूँ कि आज तक दिल्ली में केवल एक डिस्ट्रक्ट मजिस्टेट डी. एम. हैं। जो हमारे डिवीजनल कमिनर हैं। आप 11 डिस्ट्रक्ट मजिस्टेट बनाने जा रही हैं। हम तो 11 डिस्ट्रक्ट मजिस्टेट बना रहे हैं और वो हमारे डिस्ट्रक्ट मजिस्टेट की पॉवर हिनने में लगे हुए हैं। तो फिर हमें बनाने की जरूरत क्या है। अगर हमारी सरकार के ऑफिसर कके पास मिनिस्टिरल पावर नहीं है। हमें क्या जरूरत है। अध्यक्ष जी, जो घूस देने का, बदनामी का जो काम है, वो हमारे जिम्मे आज भी है। 176 कोई लड़की जलकर मर जाए, उसकी inquest करने के लिए हमारा एस.डी.एम. जाता है। माफ करियेगा कि अगर हमारा एस.डी.एम 24 घंटे नहीं जायेगा तो दिल्ली पुलिस वहाँ से बॉडी नहीं उठाती है। हमारा एस.डी.एम. inquest करेगा और जमानत तुम लोगे। तुम माल खाओगे। अध्यक्ष जी, यह बड़ा व्यवस्था का प्रन है। मेरा एस.डी.एम. inquest करता है। अगर 24 घंटे inquest late हो जाए तो बदनामी दिल्ली सरकार की हो रही है। आप हम से ये अधिकार ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ साथ आपको दो तीन बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। अध्यक्ष जी, जैसे मुख्यमंत्री जी आपने एम.सी.डी. को

तीन हिस्सो में split किया है। हो सकता है कि मेरे इस विचार से असहमत हो। मुझे तीन चार बाते कहनी हैं और बाकायदा expert ने भी कही हैं। मैं अभी उस पर भी जाऊँगा। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पुलिस को तीन हिस्सों में बाँट देना चाहिए। दिल्ली में तीन पुलिस कमिनर हों। एक दिल्ली का डी.जी.पी. हो। आज दिल्ली expand हो गई है। यहाँ पर तीन पुलिस कमिनर हों। जैसे आपने तीन एम.सी.डी. बनाई हैं। आप तीन पुलिस कमिनर लगाइए। एक डी.जी.पी. पुलिस लगाइए और अध्यक्ष महोदय, जो Public Reforms Commision की Second Report है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है। मैं अभी आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी और वो स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी कि दिल्ली का पुलिस कमिनर कौन लगेगा, डी.जी.पी. कौन लगेगा और स्क्रीनिंग कमेटी केवल आपके अकेले की नहीं है। उसमें होम सैक्रेट्री मेम्बर है। उसमें पुलिस कमिनर मेम्बर है। यह केवल आपका अकेले का फैसला नहीं है। वह स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली के एल.जी. के पास जायेगी। यह मैं नहीं कह रहा। अध्यक्ष जी, यह रिपोर्ट कह रही है और उसके साथ साथ उसमें यह भी प्रोविजन है कि ए.सी.पी. से हॉयर रैंक से ट्राँसफर वो स्क्रीनिंग कमेटी देखेगी, वो करेगी। अध्यक्ष जी, तमाा बना हुआ है। 24 घंटे पहले एक एस.एच. ओ. ईमानदार है और 24 घंटे बाद वो बेइमान है। यह कैसा तमाा है। एक रात में ट्राँसफर कर दो, एक रात में लगा दो। हमारे तमाम अधिकारों की अवहेलना हो रही है। अध्यक्ष जी, यह असहनीय बात है और अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी Padmanabhaiya कमेटी ने भी यही सिफारि की है। जो Padmanabhaiya कमेटी Public Reforms देखने के लिए बनी थी। उसकी रिपोर्ट की कॉपी भी मेरे पास है। उसने भी यह recommendation की है जो मैं कह रहा हँ। आप Padmanabhaiya कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते। अध्यक्ष जी, नानावटी कमीान की रिपोर्ट हैं। उसकी recommendation है। अध्यक्ष जी, समय समय पर जो कमीान बैठे हैं। उन्होंने यही कहा है कि दिल्ली पुलिस का काम केवल लॉ एण्ड आर्डर को देखना है। सुप्रीम कोर्ट

ने कहा है और हाई कोर्ट ने कहा है । लेकिन नहीं। खोखे कैसे उठेंगे, रेहड़ी पर डंडा कैसे लगेगा। मकान कैसे रूकेगा। होटल कैसे बन्द होगा और ाम को कैसे खुलेगा। ये सब व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। अगर मैं यह कहूं कि जो जबरन धन वसूली दिल्ली में हो रही है। उसको लीगल तरीके से अधिकार लेने का दिल्ली पुलिस का प्रयास हो रहा है। इसलिए आज इस बिल पर डिस्कस करना इस विधान सभा में जरूरी है। मुख्यमंत्री जी मैं आपसे दिल्ली के लोगों की ओर से आग्रह करूँगा कि आप बाकायदा लीड लीजिए। आप सबको लेकर होम मिनिस्टर के पास चालिए। आप पी.एम. के पास चलिए। लेकिन किसी कीमत पर दिल्ली पुलिस बिल जब तक एसेम्बली में डिस्कस न हो। यह पास नहीं होना चाहिए क्योंकि यह दिल्ली के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। यह दिल्ली की चुनी हुई सरकार के लिए ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे तरीके से इस दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। मुझे किसी एक्स, वाई, जैड पुलिस कमिनर से पर्सनल दिक्कत नहीं है। अब जो वर्तमान पुलिस कमिनर हैं। हम तो कह रहे हैं कि उनको डी.जी.पी बना दो। उनका हौदा बढ़ा दो। अध्यक्ष जी, धीरे धीरे यह होने वाला है। कल को ये जेल माँग लेंगे। अध्यक्ष जी, आपको एक नया तमाा बताता हूँ। Forensic Lab की Ballistic report आती है। गोली दो चली हैं या एक चली है। हमारे रमाकान्त जी क्राइम रिपोर्टर Association में रहे हैं। आज Forensic Lab. को मैन्टेन करने का खर्चा दिल्ली सरकार दे रही है। हमारा पैसा है। लेकिन Jurisdiction Delhi Police की है। आप रिवॉल्वर भी जब्त करेंगे। आप उसकी Forensic जॉच भी करायेंगे। उसकी जाँच सही है या गलत है, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए अध्यक्ष जी, यह natural justic के हित में है कि Forensic Lab. भी दिल्ली सरकार का अधिकार है। वो हमारी jurisdiction में होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए ये सब बाते कह रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मैं इन्हीं ाब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके माध्यम से अन्त में अध्यक्ष जी, मैं यह स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि मुख्यमंत्री जी कपा करके आप

इसको रूकवायें और मैं Padmanabhaiya जो उन्होंने कहा था। अध्यक्ष जी, मैं उसकी चार लाइनें पढ़कर सुना रहा हूँ।

Padmanabhaiya would be here today .... but, for examile, the Committee headed by him had also recommended that investigation of offences under a number of panels status should be entrusted to bodies other than the police for example, Motor Vehicles Act, Essential Commodities Act, various Conservation Acts etc., they could be undertaken actually by Officers or the concerned department, they have inspectors etc. That Committee and had also suggested that power of investigation in many of these cases would actually be given to Executive Magistrate who are totally under work under Section 202 of the CRPC and, in fact, they went even further and said there is a case of authorizing reporting NGOs to carry out investigations in respect of offences under social, legislation. I mean, this is again futuristic but can be thought of.

अध्यक्ष महोदय, यह समय समय पर कहा गया है। अध्यक्ष जी, मैं आपको इन्हीं ाब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ और मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध करूँगा कि इस मामले में सवाल यह नहीं है। केन्द्र में हमारी सरकार है। So called सिविल सोसाइटी कुछ आधी पैन्ट निकर ये कुछ लोग मिलकर इस देा में अस्थिरता का वातावरण तैयार कर रहे हैं। चुनी हुई संस्थाओं को अस्थित कैसे किया जाए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर डिक्टेटर बैठ जायेगा। दिल्ली के पुलिस कमिनर को जितनी पॉवर्स इस बिल में दे दी गई हैं। दिल्ली का पुलिस कमिनर तो चीफ मिनिस्टर और एम.एल.ए को बंधक बनाकर एसेम्बली के अंदर घेरकर खड़ा कर देगा। आपने जितनी पॉवर्स उसको दे दी है। इसलिए यह बिल विधान सभा में आये। हमारे सुझावों को इसमें ाामिल किया जाए और मैं अध्यक्ष महोदय जी, आपसे भी यह अनुरोध करूँगा कि जो आज एसेम्बली की प्रोसिडिंग्स हैं और यह रिज्योल्यून पास होने के बाद आपको गह मंत्रालय का और भारत सरकार को एसेम्बली की प्रोसीडिंग्स with resolution इसको आपको भी

Special recommendation के साथ भेजना चाहिए क्योंकि यह हमारे भविष्य का सवाल है। आपने मुझे मौका दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : देखिये दो प्रस्ताव पास होने हैं। इस प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी ओर लवली जी बोलेंगे और इनके अलावा तीन और सदस्यों को मैं समय दे रहा हूं कपया करके चार मिनट से ज्यादा कोई समय न लें यदि उससे ज्यादा हुआ तो मैं दूसरे का नाम ले दूंगा। श्री नसीब सिंह।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नियम 107 के अंतर्गत मुकेा ार्मा जी के इस प्रस्ताव ..... अंतरबाधा।

श्री जय किशन : सर मेरा 280 है ..... अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय : 280 अब नहीं हो सकता .....अंतरबाधा।

श्री जय किशन : सर मेरा 280 है।

अध्यक्ष महोदय : आप जिद मत कीजिए, अब आप बोल नहीं सकते हैं ..... अंतरबाधा।

श्री जय किशन : मैंने टेबल पर रख दिया है।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी ये आपके कमरे में आकर के बात कर लें श्री जय ..... अंतरबाधा।

श्री जयकिशन : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

अध्यक्ष महोदय : देखिए मेरे हाथ में गाड़ी चलाने का है, वो आगे निकल चुकी है अब उसके बैग गेयर नहीं हो सकता, आप इसको दे दीजिए ..... अंतरबाधा।

श्री जयकिशन : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। जय किान जी बैठ जाइये। आप सदन को

हाईजैक नहीं कर सकते। अगर आपने इसको नहीं रखा तो मैं आपको नेम कर दूंगा। बोलिए नसीब सिंह जी।

श्री जय किशन : ठीक है अध्यक्ष जी, मैं सदन से वॉक आउट करता हूं।

(श्री जयकिशन का सदन से वॉकआउट)

अध्यक्ष महोदय : नसीब सिंह जी बोलिए।

श्री नसीब सिंह : अध्यक्ष जी, मैं नियम 107 के अंतर्गत मुकेा ार्मा जी के इस प्रस्ताव में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें बड़े ही वाजिब तौर पर मुकेा ार्मा जी ने कह दी हैं कि दिल्ली पुलिस एक्ट, 1978 के अंतर्गत काम कर रही है। क्योंकि उस समय कोई सरकार दिल्ली में नहीं थी और वो सुझाव नहीं दे पाई। चुनी हुई सरकार का लोकतंत्र में जो अपना एक अस्तित्व होता है, उस समय ाायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। 1991 में जब राजीव गांधी जी ने राष्ट्रीय राजधानी विधेयक को मंजूरी दी उस समय बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा गया लेकिन उसके बाद में दिल्ली पुलिस अमेंडमेंड बिल 2010 आया जिसमें आपत्तियां और सुझाव मांगे गये थे क्योंकि दिल्ली सरकार का गह विभाग, अपनी आपत्तियां उसमें दर्ज करा रहा था लेकिन उस समय भी आपत्तियां मांगने के बाद भी उस पर सुनवाई नहीं की गयी। लेकिन आज हमें इस बात को लेकर के बहुत चिंता है।

जिस तरह से मुकेा ार्मा ने बताया कि कहाँ-कहाँ पर इस बिल के अंतर्गत जो दिल्ली पुलिस अमेंडमेंट बिल, 2012 के माध्यम से दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट्स में और दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण की संभावना नजर आ रही है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से मुकेा जी ने कहा कि अनुच्छेद 239 एए में जो बातें सम्मिलित हैं, मैं समझता हूं कि ये सारी बातें दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र की हैं। आज दिल्ली में जो हालात है उन हालातों को बयान करने की ज्यादा जरूरत मैं नहीं

समझता लेकिन चैन स्नेचिंग पर कोई कंट्रोल नहीं है, लूटमार हो रही है, खुलेआम जिस तरह से हालात पैदा हो रहे हैं दिल्ली पुलिस का जो काम है उस पर अब ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से मुकेा ार्मा जी ने कहा कि ऐसे अधिकार जो ाायद दूसरी तरफ रूख मोड़ सकते हैं उन अधिकारों को लेने की कोाशि की जा रही है। अध्यक्ष जी, अगर जरा सा भी कोई मकान बनता है किसी का, कोई गरीब आदमी भी बना रहा होता है तो बीट कांस्टेबल पहले उसका पल्ला झाड़ लेता है ठीक से, आज कोई पम्प लगाता है, टयूबवैल लगता है, सबमर्सिबल पम्प लगाता है तो पैसे लेने का काम ाुरू हो रखा है। ऐसे बहुत सारे रेहड़ी, साप्ताहिक बाजार, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वहाँ के लोकल लेवल पर पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूं कि बहुत निंदनीय काम है, उस पर सफाई करने की या उसको सुधारने की बात करनी चाहिये और जो-जो दिल्ली सरकार के अधिकार हैं, मैं समझता हूँ कि आज दूसरे प्रदेाों में अगर तुलना की जाये तो दिल्ली में जिस तरह के अधिकार क्षेत्र बने हुये हैं जो हमारा डिविजनल कमिनर है उस पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी काम कर रहे हैं हम समझते हैं बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दिल्ली सरकार के नहीं है लेकिन दिल्ली सरकार को दिये हुए हैं लेकिन जो दिल्ली सरकार के काम हैं वो काम दिल्ली पुलिस ने लिए हुए हैं।

अध्यक्ष जी, मुकेा ार्मा जी ने अपनी बहुत सारी बातों में उन चीजों का जिक्र कर दिया है लेकिन कुछ ऐसी न्यायिक प्रक्रियाएँ हैं जिनका अतिक्रमण होने की सम्भावना कुछ ज़रूरत से ज्यादा लग रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूँगा कि इस अमेंडमेंट बिल को जाने से पहले सरकार को और मुख्यमंत्री जी पूरी कैबिनेट के साथ चलकर दे के गह मंत्री के साथ इस मामले पर बात करनी चाहिये और यह बहुत गम्भीर मामला है इसको बहुत आसान लेना बहुत घातक हो सकता है और इस मामले पर बिल को, जिस तरह से मास्टर प्लान 2021 को डीडीए में लागू होने से पहले इस सदन में उस पर चर्चा कराई गई थी, इस सदन में चर्चा के

बाद उस पर सजेान मांगे गए थे उस पर अमल भी हुआ यह सब हमारी मुख्यमंत्री जी के इंटरफेयर करने के बाद में कभी भी डीडीए के मास्टर प्लान को कभी दिल्ली सरकार या लोकल बोडी जिस पर वह लागू होने जा रहा है उस चुनी हुई सरकार को भरोसे में लिए बिना होता रहा है, क्योंकि आपने एक समय की एक समय सीमा दी है बहुत सारी बातें कुछ और भी लागे बतायेंगे और बहुत सारी बातें मुको ार्मा जी ने बताई हैं। मैं तो आपके माध्यम से इस पर पुरजोर देना चाहता हूं कि हमारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार के रास्ते पर यह ठंडाााही का जो इस्तेमाल होने की कोाि की जा रही है उसका इस्तेमाल न होने दिया जाये और हमारी मुख्यमंत्री जी उस मामले में इंटरफेयर करते हुए उस पर यहाँ इस अमेंडमेंट बिल पर इस हाउस में चर्चा कराई जाये और जो अभी भी कुछ ऐसे भी काम जो अभी भी दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट को दिये गये उन्हें वापस लेकर जिस तरह के मुको ार्मा जी के सुझाव थे उस पर अमल करने की बात की जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मुको जी ने जो बोला है उसमें लगभग सभी कुछ समाहित हो गया है। इसलिए इसको लम्बा करने की जरूरत नहीं। दो-दो, तीन-तीन मिनट आप बोल दें उसके बाद लवली जी बोलेंगे। श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान : आरदणीय अध्यक्ष जी, मैं अपने सम्मानित साथी मुको ार्मा जी द्वारा नियम 107 में जो दिल्ली पुलिस बिल के विरोध का प्रस्ताव लाये हैं मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल सही बात है कि पुलिस के जो काम हैं उन कामों को तो पुलिस करती नहीं है और जिस तरह से दिल्ली में पुलिस राज से लोगों पर अत्याचार, उनका ाोषण किया जाता है बहुत सारी ाकायतें भी मिलती हैं उन पर तो कोई ध्यान दिया नहीं जाता बल्कि इस तरह का और बिल लाकर के यह पेा किया जा रहा है जिससे कि सरकार के जो अधिकार हैं उनको भी छिन्ने की कोाि की गई है इस बिल में। इसलिए इसका हम बहुत जोरदार तरीके से विरोध करते हैं।

अध्यक्ष जी, हम देखते हैं कि पुलिस का जो रवैया है रोजाना सैकड़ों मोटर साइकिलें दिल्ली में बंद करते हैं, जो बेचारे अपनी रोजी-रोटी के लिए जाते हैं, डयूटी पर जाते हैं उनको मोटर गाडी छोड़ने के लिए तीन-तीन, चार-चार दिन थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे-ऐसे काम तो पुलिस के हैं और खुलेआम दिल्ली में हर जगह आप जाकर देखिए पुनर्वास कालोनियों में, झुग्गी-झोंपड़ियों में जुआ, ाराब, नीली चीज़ें खुले तौर पर बिक रही हैं जिन पर इनको कंट्रोल करना चाहिये। उनमें पूरी तरह से विफल हो रहे हैं बल्कि यह सही कहा कि जहाँ अगर कोई झुग्गी भी गिर जाती है गरीब आदमी उसकी मरम्मत करता है तो वहाँ ईंट लगाने से पहले पुलिस वाला पहुंच जाता है। इस तरह से जहाँ जो हमारे सरकारी पार्क हैं, रोड़ों पर ग्रिल लगी हुई है सरेआम स्मैकिये और चोर उनकी चोरी करते हैं उस पर पुलिस का ध्यान नहीं जाता, उनके सामने करते रहते हैं। अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पुलिस की धारा 107 (51) का 107 (50) का जो दुरूपयोग ये करते हैं, यही पकड़ने वाले, यही छोड़ने वाले बल्कि होना यह चाहिये कि इनसे ये जो धारायें जिनका इस्तेमाल करके ये दुरूपयोग कर रहे हैं लोगों से पैसा लूट रहे हैं वो पावर हमारे मजिस्ट्रेट के पास होनी चाहिये। यह मैं आपसे कहना चाहूँगा। अभी एक घटना सुनने को मिली है कि हमारे सम्मानित साथी जसवंत सिंह राणा को जिस बदमाा ने धमकी दी थी, उस बदमाा से समझौता कराने के लिए पुलिसमैन आया और संरडर बड़ा नाटकीय ढंग से यह हुआ बल्कि मैं तो चाहूँगा कि उस मामले की जाँच भी होनी चाहिये वो पुलिस वाला आकर के बदमाा का और इनका समझौता करना चाहता था। बाद में पता लगा कि उस पुलिस वाले को ही एक लाख रूपया ईनाम दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस तरह के कारनामें तो हमारी पुलिस के हैं मैं यह चाहूंगा कि इन्हें ज्यादा अधिकार न देकर के जिस तरह के हमारे मास्टर प्लान में यहाँ इस विधान सभा में चर्चा हुई है माननीय मुख्यमंत्री ाीला दीक्षित जी के नेतत्व में, वहाँ पर यह प्रस्ताव पास करके भेजा गया उसी तरह पुलिस का जो बिल बनने जा रहा है इस पर भी यहाँ दिल्ली की जनता की भावनाओं को हमारे विधायक अच्छी तरह से जानते हैं उनकी राय-माविरा

से दिल्ली सरकार के नेतत्व में बिल पास होकर के, प्रस्ताव पास होकर के जाये तब उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इस पर फैसला लें यह हम कहना चाहते हैं, अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उस बिल को तुरंत वापस मंगाया जाये, उसको पास होने से रोका जाये, क्योंकि हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है, उसको पूरा अधिकार है कि वो जनता के हितों को ध्यान में रखें और उस पर चर्चा कराये और उस बिल को वापस करके दोबारा से भेजे। आपसे मेरा यह अनुरोध है कि विधान सभा में चर्चा कराए बिना पुलिस बिल किसी कीमत पर पास नहीं होना चाहिये, ऐसी मेरी आपसे दरख्वास्त है। अध्यक्ष जी, मुको जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ और आाा करता हूँ कि ऐसा ही हमारी दिल्ली सरकार करेगी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री ोएब इकबाल साहब।

श्री शोएब इकबाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री मुको ार्मा जी नियम 107 के तहत जो प्रस्ताव लाए हैं मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूं और इस सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि जो दिल्ली पुलिस के ताल्लुक से जो अमैंडमेंट होने जा रहा है उसको तुरंत रोका जाए। अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस सरकार को कमजोर करना चाहती हैं, जो एक सैक्यूलर हुकूमत हैं, लेकिन पीछे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं वे चाहते हैं कि इस डैमाक्रैसी वाले मुल्क में जमूहरियत के मुल्क में जो एक सैक्यूलर गवर्नमेंट की हुकूमत है उसको निााने पर लाया जाए। उसी के माध्यम से, दिल्ली एक कैपिटल है और दिल्ली के जितने हकूक होने चाहिए थे वे हकूक इस गवर्नमेंट को अभी तक मिले नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए था वह तो अभी तक मिला नहीं बल्कि इसके जितने हकूक हैं वे छीन जा रहे हैं। अभी मेरे भाई मुको ार्मा ने कहा कि दिल्ली पुलिस मनचाहे ढंग से जो चाहती है, जब चाहती है वह करती है। दिल्ली गवर्नमेंट के जो अधिकार हैं वे हमें उनसे लेने चाहिए। कोई मर जाता है, किसी की लाा अस्पताल में पड़ी होती है, बयान लेने के लिए एसडीएम जाएं, बाद में जो लिखा पढ़ी है वह सारी की सारी वो करें। अध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहते हैं कि जैसे 107 का

है, घरेलू वायलेंस है, ये ऐसे मामले हैं ये एसडीएम के पास रहने चाहिए। यही नहीं दिल्ली पुलिस का जो डीपी एक्ट है उसमें कई चीजें होती है, वह वापस हमको एसडीएम के पास भेजना चाहिए। डीपी एक्ट क्या होता है, उसमें भी उनकी जिम्मेवारी। उसके अलावा जितने भी एक्ट हैं वे दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए। एसडीएम को भी अपना कुछ काम करना होता है। फिर किसलिए हैं ये एसडीएम, एडीएम और डीसी? इसके साथ अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से पटरी पर कोई लगाया हुआ है वह सीधा या एमसीडी का काम है उसके लिए दिल्ली पुलिस जा रही है। दफा 34 जो दिल्ली पुलिस की है उसके अन्दर वे चालान काटते हैं कुछ करते हैं। लेकिन वे तो उठाते हैं और महीना बांध लेते हैं। एमसीडी को रहना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट का रहना चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस सब करती है, हलवाई की दुकान, नाई की दुकान, कसाई की दुकान हर जगह पर ये लोग पहुंचे हुए होते हैं। दिल्ली में जहां तक पेट्रोलिंग का ताल्लुक है वह नहीं होगा। ाम को दिल्ली ाहर के अन्दर सट्टा आम होता है। आप कहीं चले जाइए।

पुरानी दिल्ली की सड़कों, गलियों व कूचों में चले जाइए, जगह जगह आपको सट्टा मिल जाएगा। सट्टा आम है रात के दो-तीन बजे तक खूब चलता है और कोई माई का लाल उसको बंद नहीं करा सकता। कोई बोलेगा तो ये उसके खिलाफ अपना अभियान चला देंगे। आज दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी पोलिटिक्स कर रहा है तो वह दिल्ली पुलिस कर रही है कोई पार्टी नहीं कर रही है उनके जो सोर्स थे वे टाउट हो गये हैं। वे बाकायदा तरीके से उनके पैसे की लेन देन करते हैं। असली काम पर तवज्जो नहीं है। पीडब्ल्यूडी को बदनाम करते हैं पैसा एक नहीं देते। दिल्ली पुलिस के ऊपर करीब 10 करोड़ रूपये बकाया है कि साहब पीडब्ल्यूडी काम नहीं कर रहा। जब आप पीडब्ल्यूडी को पैसे ही नहीं देते हैं तो वह काम क्यों करेगा। मैं तो कहता हूँ कि आज दिल्ली की पीडब्ल्यूडी के पास बहुत काम आ गया है इसने बड़ी बड़ी सड़कें ले ली हैं कामों में दिक्कत आएगी, आप इसको पीडब्ल्यूडी से छोड़कर सीपीडब्लयूडी को दे देना चाहिए। अब इनके जितने थाने हैं, क्वार्टर्स हैं सब सीपीडब्लयूडी को दे दिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ दिल्ली के अन्दर जितना खर्चा है तनख्वाह है वह हम लोग, दिल्ली गवर्नमेंट देती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जो दिल्ली सरकार ने एक थाना लेवल कमेटी बनाई

जिसका चेयरमैन एमएलए होता है उसकी चार छः महीने बाद मीटिंग होती है वह भी 15-20 मिनट के लिए बमुकिल आधे घण्टे के लिए होगी, मीटिंग होने के बाद वह अपने तरीके से चाय पानी होगा, खर्चा होगा, वहां के लोग होंगे जो उनके अपने कांफीडेंन के आदमी होते हैं। अगर इस तरह के पूरे अधिकार दे दिए यह तानााही होगी। फिर दिल्ली की जनता के प्रति हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी। इस जमुहरित मुल्क के अंदर जहां डेमोक्रैसी है जहां आदताना तौर पर हम लोग जी सकते हैं अगर इतने सारे हकूक दे दिए तो अध्यक्ष महोदय, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगी, कोई वकील नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और इनको मनचाही पावर दे दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हम इसका विरोध करते हैं और हम यह चाहते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा इस मामले को लेकर सबसे पहले होम मिनिस्टर के पास तो आप दो-चार दिन में जाएंगे, आज ही लेफ्टीनेंट गवर्नर साहब से बात की जाए क्योंकि केन्द्र का प्रतिनिधित्व वही करते हैं। बल्कि इस सदन को अभी इस वक्त लेफ्टीनेंट गवर्नर साहब के पास जाना चाहिए कि साहब इसको रोकिए और जब तक दिल्ली की विधान सभा में इस पर बाकायदा चर्चा न हो जए तब तक इसे रोका जाना चाहिए इन्हीं अल्फाजों के साथ आपका ुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद ोएब जी। अब ाहरी विकास मंत्री श्री लवली जी बोलेंगे।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष जी, मुको ार्मा जी जो मोन लेकर आए हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अहम् विषय है और यह न केवल दिल्ली के तमाम नागरिकों की बल्कि दिल्ली के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन सबका एक फर्ज भी बनता हैं क्योंकि वे जनता की नुमाइंदगी इस सदन में कर रहे हैं इसलिए वे अपना योगदान इस बारे में जरूर दें। अध्यक्ष जी, मैं मुको ार्मा जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक जागरूक विधायक के रूप में, अभी ायद बहुत कम लोगों को यह मालूम था कि दिल्ली के अन्दर पुलिस का पुलिस प्रपोज बिल पब्लिक डोमेन में है। अध्यक्ष जी, 1978 में जब दिल्ली का पुलिस एक्ट बना था तब दिल्ली के अन्दर न स्टेट थी और न कोई

इलैक्टिड बॉडी थी। उस समय कमिनर सिस्टम दिल्ली में और बाकी मेट्रो सिटीज के अन्दर भी लागू हुआ था। क्योंकि दिल्ली में उस समय चुना हुआ सदन नहीं था तो उस समय दिल्ली पुलिस के एक्ट के हिसाब से मुको जी ने जैसे जिक्र किया 107/51 की जो पावर है वह दिल्ली पुलिस के पास दे दी गई, जो उसके एसिस्टेंट कमिनर ऑफ पुलिस थे उनकी सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की भी पावर दे दी गई कि 107/51 के अन्दर वे बेल लेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, इस प्रपोज पुलिस बिल पर तो हम लोगों को ऑबजेक्शन है ही है, मेरा यह कहना है कि 1991 में जब भारत की पार्लियामेंट ने 239 एए को Act करके Constitutional amendment किया। जब वह Constitutional amendment हुआ उस Constitutional amendment में यह लिखा हुआ है कि लैंड, लॉ और पब्लिक आर्डर इन तीन चीजों को छोडक्कर बाकी हर विषय वह इस विधान सभा के और इस सरकारे के purview में आता है। जब वह Constitutional amendment 239-एए का 1991 के अन्दर हो गया उसके बाद उससे पहले के जितने भी लॉ हैं वे अपने आप null and voids हो जाते हैं इसलिए दिल्ली पुलिस का वह एक्ट किसी भी मायने में अब लागू नहीं होता। यही discrepancy दिल्ली में आज तक चली आ रही है। क्योंकि Constitutional amendment से ऊपर जो है वह कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि यह जो व्यवस्था चल रही है कोई कानून इसको यह नहीं कह रहा कि पुलिस ही पकड़ेगी और पुलिस ही उसको जमानत देगी। उस पावर उस एक्ट के तहत उस अमैंडमेंट के तहत और Commissionery System जो पूरे दे भर में हैं, मुम्बई के कमीानरी सिस्टम है मद्रास में है।

जितने हमारी बड़ी सिटीज हैं हिन्दुस्तान की, उन सब में कमिनरी सिस्टम हैं। उन सब में 107(51) की 144 की पॉवर जो है, दिल्ली पुलिस को दे रखी है। लेकिन उनकी बेल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ही उसमें लेता है। तो ये डिस्क्रिपेन्सी है जो अन-कांस्टिटयूनल हैं, अल्ट्रावायरस है, जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, उसे हमें ठीक करने की आवयकता है क्योंकि कोई कानून उनको ये पॉवर नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं मुको जी की

इस बात से तो सहमत हू कि कौन सी पॉवर किसके पास रहनी चाहिए लेकिन एज अ दिल्ली सरकार हम लोगों को चिन्ता इस बात की नहीं है कि पॉवर दिल्ली सरकार के पास रहे या किसी और के पास रहे, चिन्ता इस बात कि है हम दिल्ली को बनाना क्या चाहते हैं? हम दिल्ली को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं कि दिल्ली को हम डेमोक्रेटिक इलेक्टिड गवर्नमैन्ट की स्टेट बनाना चाहते हैं? अगर हम दिल्ली के अंदर लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं तो ये फर्ज बनता है हर चुने हुए प्रतिनिधि का कि वह ये एन्योर करे कि इस बिल के माध्यम से किसी भी तरह से दिल्ली से दिल्ली पुलिस स्टेट न बने और पुलिस स्टेट को रोकने के लिए, मैं समझता हूॅ कि मुको जी आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस मोान को लेकर आये और इस सदन की भावनाएं भी जरूर केन्द्र सरकार तक हमारी मुख्यमंत्री जी ने हमेा, मैं समझता हूॅ कि हम लोग भाग्याली हैं कि एक ऐसी कद्दावर और एक ऐसे स्ट्रेचर की लीडर दिल्ली को मिली हैं कि उन्होंने हमेा जब जब दिल्ली के ऊपर ऐसा संकट आया, तो उन्होंने बखूबी दिल्ली की लड़ाई केन्द्र तक लड़ी है और अध्यक्ष महोदय, मैं आज इसलिए इस मोान के फेवर में मोान में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूॅ कि मुख्यमंत्री जी आप हमारी नेता तो हैं ही हैं। लेकिन पूरी की पूरी दिल्ली की जनता की और इस सदन की ये भावना है कि दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे और दिल्ली में किसी भी तरह से इस पुलिस बिल के बाद पुलिस स्टेट न बनने पाये। अध्यक्ष महोदय, ये हम निवेदन करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बुनियादी बातें हैं, आज भी डिस्क्रिपेन्सी हो रही हैं और इस बिल के आने के बाद दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैन्ट की तो कोई मायने ही नहीं रह जायेगा और दिल्ली का ट्रांस्पोर्ट डिपॉर्टमैन्ट एक डीटीसी को चलाने के अलावा बाकी कोई काम नहीं कर पायेगा, अगर ये बिल आ गया तो। आज नो एन्ट्री की परमिान, आज ट्रैफिक के चालान की परमिान सब जो है, बाकी सब स्टेट में किस का अख्तियार है, दिल्ली के ट्रांस्पोर्ट का अधिकार हैं आज लाइसेन्स जैसी चीजें हमने दिल्ली पुलिस को दे रखी हैं। जो किसी भी कानून में नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, स्वीमिंग पुल सही बना है या नहीं बना है, ये इन्जीनियर तो फैसला कर सकता है, एक एसएचओ कैसे बता

सकता है कि स्वीमिंग पुल अच्छा बना हुआ है या स्वीमिंग पुल खराब बना हुआ है। सिनेमा हॉल सारी की सारी गाइड लाइन्स पूरी करता है या नहीं करता है, कोई इंजीनियर तो बता सकता है, लेकिन सब इन्सपेक्टर जाकर कैसे पता लगा सकता है कि ये सिनेमा हॉल की बिल्डिंग सही है या पिलर की बिल्डिंग सही है कि नहीं। जो काम एडमिनिस्ट्रेन के हैं, वह एडमिनिस्ट्रेन को करने की जरूरत है। मुको जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि दिल्ली की कैबिनेट ने ये फैसला किया है। दिल्ली के जो हमारे देा के सर्वोच्च न्यायालय हैं, उन्होंने यह फैसला किया है, उन्होंने दिल्ली सरकार को यह रिकमण्ड किया है कि दिल्ली के अंदर जो अभी एक डिस्ट्रिक्ट है और एक डिस्ट्रिक्अ सेान जज होता है, बाकी सारे के सारे जिलों में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, हमारी कैबिनेट ने ये पास किया है कि दिल्ली के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट सैान जज होंगे। जब दिल्ली के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट सैान जज होंगे तो हमारे डिपुटी कमिनर भी अभी जो सिर्फ कलेक्टर है, जो सिर्फ अभी एडीानल कलेक्टर का काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एक डिस्ट्रिक्ट है, तो 11 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जायेंगे, 11 डिविजनल कमिनर की पॉवर वाले ऑफीसर हो जायेंगे। जब 11 डीएम हो जायेंगे, तो वे डीएम अपनी डीएम की पॉवर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वे वहां पर करेंगे क्या? और अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि चुनी हुई सरकार का जो काम है, और हम ये किसी से कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं। किसी से हम दिल्ली सरकार के अख्तियार मांगने की बात नहीं कर रहे हैं। ये कांस्टिटयूानल अमेन्डमैन्ट ने हमें पॉवर दी है, और कोई भी विल उस कांस्टिटयूानल अमेन्डमैन्ट के ऊपर नहीं हो सकता। ये मैं निवेदन करना चाहता हूॅ, मैं ज्यादा समय मुख्यमंत्री जी की बातों से नहीं लेना चाहता। उनके विचार हम सभी लोग सुनना चाहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि दिल्ली की लोकतंत्र की लड़ाई में, पूरे का पूरा सदन, पूरी की पूरी दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, यह मैं कहना चाहता हूॅ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगी।

मुख्यमंत्री : सर, ये जो पुलिस एक्ट का अमेन्डमैन्ट का ड्राफ्ट जो हमें प्राप्त हुआ

है, इन ाब्दो में ुरू करना चाहता हूँ कि It is really shoking. क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमैन्ट जो इलैक्ट की गयी है, जिससे लोग आाा करते हैं, किसी की आाा न तो होम मिनिस्ट्री में होती है, न पुलिस पर होती है, न अर्बन डेवलपमैन्ट मिनिस्ट्री पर होती है। लेकिन ये अगर जो आाा क्योंकि हमारी एक ाक्ल ऐसी है है हमीं प्रतिनिधित्व करते हैं दिल्ली के नागरिकों का। इसलिए हमारे बिना किसी सूचना लिए या चर्चा किए या कुछ पूछा भी पता नहीं मुझे गया है कि नहीं गया है। अभी ाायद कहीं ड्राफ्ट आया है कुछ दिन पहले ही। उसमें हमारी टिप्पणी मांगी है, नहीं मांगी है, मैंने भी फाइल अभी देखी नहीं हैं, देखूंगी उसको। लेकिन इस तरह से एक तानााही तरीके से एक unilaterally without taking the opinion of the elected members of this city, I think, is not only just unfair, Sir, I think, it is an act of throwing the democratic system out of the window, You cannot just do it. मुके ार्मा जी इसको लेकर आये। इसका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। और दूसरी बात ये भी कही और ध्यानाकर्षण हमारे हाउस का किया उस पर। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी रिक्वेस्ट पार्लियमैन्ट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टरी जो ाायद इस बिल को पेा करेगी। तुरन्त ये जायेगी कि बिना हमारी राय लिए, या पूछे। आज प्लीज इसको मत पास कीजिए। और इसकी प्रति न केवल हम होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, यूपीए चेयरपर्सन को, बल्कि उनको भी देंगे, जिन्होंने जिसमें एक मि. मोइली लास्ट हमारे स्टडी जिन्होंने की थी कि दिल्ली की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे होनी चाहिए और उन्होंने भी बड़ी स्पष्टता से ये कहा था, अल्फाज मुझे याद नहीं, पर भाव याद है कि It is a strange system where the land is not with the Government of Delhi and Law & Order is not with the Government of Delhi and every citizen जिसका land से ताल्लुक होता है दिल के लॉ एण्ड आर्डर से, उस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है। थोड़ी बहुत तो गुडविल है। हम जाकर कुछ कह देते हैं तो हो जाता है। जैसे अब हमने अनौथराइज्ड कालोनीज को किया है। यदि लैण्ड हमारे हाथ में होती है तो हमें 10 साल न लगते सर इस काम को करने में। कितना परिश्रम

किया है, कितनी हमने मीटिंग्न की, कितने हमने हाथ जोड़े सबके पास गये। इस असैमम्बली में डिस्कस हुआ। तब जाकर हमारी बात वहां पहुंची तो दुख की और खेद की बात यही है सर कि हम एक इलेक्टिड बॉडी हैं। हम इलेक्न में जाते हैं। उतनी ही मेहनत हम करते हें। जितनी गवर्नमैन्ट ऑफ इंडिया करती होगी। या होम मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, वहां पर एमएलएज या मिनिस्टर्स बैठे रहते हैं। वो जितना करते होंगे, उनकी कन्सलटैंट कमेटीज हैं, जो भी कुछ हो। जितनी वे मेहनत अपने इलेक्न में करते हैं और एक सरकार बनाते हैं, उतनी मेहनत हमने भी की है, उससे कम नहीं की है। और दिल्ली की जनता एक जागरूक जनता है। एक ऐसी जनता नहीं है कि जिसको आप बहला सकें कि भैया हमने ये कर दिया या नहीं किया। वो देखती भी है, सुनती भी है, पहचान भी करती है और जानकारी भी रखती है। एक तो दिल्ली में जो भी काम होते हैं, वे सब दिखाई दे जाते हैं। एक भी मर्डर कहीं दिल्ली के बार्डर में हो जाये, हमारे यहां हो जाये, उसका हमें पता नहीं रहता। पुलिस उसे जैसा करना चाहती है, कर लेती है। कोई यहां भाग जाता है, कोई उधर भाग जाता है। पॉरस बॉर्डर हैं हमारे। बढ़ती हुई आबादी है हमारी। जमीन हमारे पास नहीं है, हम कैसे मकान देंगे लोगों को। कैसे रहने की जगह देंगे। तो सर ये अहम मामला है, इस पर मैं सदन को इतना ही विवास दिलाना चाहती हूॅ कि जो भी इस असेम्बली के अंदर से आज विचार निकले है, वो तो हम देंगे ही, लेकिन हम तुरन्त होम मिनस्ट्री को लिखेंगे कि इससे पहले कि आप इस बिल को पेा करें। अपनी पार्लियमैन्ट के अंदर, दिल्ली की असेम्बली की राय, उसके विचार जरूर उसमें ाामिल कर लिये जाने चाहिए। यह पत्र मैं आजकल में ही लिख दूंगी और मैं समझती हूँ कि हमारी बात वहां तक पहुँचनी चाहिए इस पर गौर करना चाहिए क्योंकि अगर दिल्ली की पुलिस का या दिल्ली के डीडीए का कोई काम होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, उसका सबसे पहला असर होता है तो हमारी इस असेम्बली के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत आवयक है। मैं धन्यवाद करती हूँ मुको जी का कि उन्होंने इस चर्चा को उठाया आज के दिन और अन्य सदस्यों का धन्यवाद करती हूॅ कि जिन्होंने अपने विचार रखे। ाोएब साहब का भी करती हूॅ और सबका करती हूॅ। और मेरे ख्याल से इस मामले में हमारे में मतभेद नहीं हैं कि हमारे से ये न हो कि जैसे लवली

जी ने कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट की जगह एक पुलिस स्टेट न बन जाये। इससे हमें बचना है। इसलिए बहुत है कि ये पुलिस स्टेट न बन जाये। पुलिस ही सब कुछ चलायेगी और हम भी उसके हाथों में चलेंगे या उसके ज्ञारों में चलेंगे या उसके ज्ञारों पर चलेंगे और उदाहरण वीर सिंह जी ने दिया है। ये उदाहरण उन्होंने एक दिया है, सैकड़ों हैं, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। जो दिल्ली में होते है। हम लोग क्योंकि एक प्रतिष्ठा होती है, एक इकबाल से पुलिस भी काम करती है एक इकबाल से हम भी काम करते हैं।

इकबान से हमारे डी.सीज भी काम करते हैं मैं अपने मेम्बर्स को इतना बड़ी स्पष्टता से कह देना चाहती हूँ कि हमारे डी.सी. किसी भी तरह से कमजारे हुए तो हम उसको बर्दात नहीं करेंगे क्योंकि जो डी.सीज हैं वो आज हम ने अगर एम.सी.डी. को तोड़ा तो वो दिल्ली की बेहतरी के लिए तोड़ा। अगर आज हम डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर्स नौ की जगह पर 11 बना रहे हैं तो वो भी हम दिल्ली की बेहतरी के लिए कह रहे हैं और अध्यक्ष महोदय, आचर्य की बात यह है कि हम कोई कटोरा लेकर किसी के पास जाते नहीं हैं। अपने आप ही अपना काम अपने पैरों पर खड़े होने की कोाि करते हैं हम किसी से कुछ माँग नहीं रहे हैं। लेकिन हमें चैन से काम तो करने देना चाहिए। हमारे जो अधिकार हैं। हम से लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं, हम उनको उनके माध्यम से पूरा कर सकें वो हम से न छीने जायें। हमारी यही सब से बड़ी रिक्वैस्ट होगी और मैं यह सदन को विवास दिलाना चाहती हूँ कि कल परसों तक या सोमवार तक मैक्सीमम यह खत होम मिनिस्ट्री के पास जरूर चला जायेगा कि इस बिल को पेा करने से पहले दिल्ली सरकार की एसेम्बली की राय जरूर ले ली जाए। Thank you very much.

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मुकेा ार्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसक पक्ष में है, वो हाँ कहें।

जो इसके विरोध में है, वो ना कहें।

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

माननीय साथियों इससे पहले कि मैं सदन को अनिचित काल के लिए स्थगित करूँ, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन की नेता एवं मुख्यमंत्री श्रीमती ीला दीक्षित, नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा तथा पक्ष, विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेन्सियों, सी.आर.पी.एफ. बटालियन 55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल एवं इलैक्ट्रिकल व horicultural division, अग्नि ामन विभाग आदि द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवादी हूँ। अब सदन की कार्यवाही अनिचित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।

राष्ट्र गान : जन गन मण।

(अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित कॉल के लिए स्थगित की।)